हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 27 अगस्त, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

27.08.2026/1100/RKS/AG-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ।

प्रश्न संख्या : 3659 (स्थगित)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

श्री प्रकाश राणा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं उससे संतुष्ट हूं।

प्रश्न संख्या : 4122

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है लेकिन मेरी दो-तीन और क्वेरिज हैं। मैंने प्रश्न किया था कि पिछले तीन वर्षों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, कई बार महिलाएं सामाजिक दबाव, नौकरी जाने के भय या संस्थान में बदनामी के डर से शिकायत दर्ज नहीं कर पाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी शिकायतों के लिए कोई गोपनीय व्यवस्था या ऐसा कोई पोर्टल जिला या उपमण्डल स्तर पर विकसित करने का विचार रखती है जिससे जो महिलाएं खुलकर सामने न भी आ सकें उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करवाने में कोई परेशानी न हो और उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई भी सुनिश्चित हो सके?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो यह विषय माननीय सदन में उठाया गया है यह सभी से जुड़ा हुआ है। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, मैंने अपने उत्तर में इसका विस्तृत विवरण देने का प्रयास किया है तथा स्वयं भी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ा है। माननीय सदस्य ने उन महिलाओं के संबंध में प्रश्न उठाया है जो किसी कारणवश या सामाजिक मर्यादाओं के कारण खुलकर शिकायत दर्ज नहीं कर पाती हैं, what are the provisions for them? मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास निगम

द्वारा Prevention of Sexual Harassment (POSH) के अंतर्गत 'शी पोर्टल' पर जो शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान है उसमें वह शिकायत गोपनीय रहती है and she can track what has happened to her complaint. हम उसी तर्ज पर अपने राज्य में भी इस

27.08.2026/1100/RKS/AG-2

व्यवस्था को आरंभ कर सकते हैं। मैं माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि यदि इसे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया जाए और संस्कारों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तो यह समाज के लिए लाभकारी होगा। जिस मां से हम जन्म लेते हैं और जिन बहनों से हम कल कलाई पर रक्षाबंधन बंधवाएंग उन्हें हम किस दृष्टिकोण से देखें इस विषय में भी जागरूकता लाने की आवश्यकता है। नारी को वेदों में नारायणी के रूप में वर्णित किया गया है इसलिए उन्हें किस दृष्टि से देखें, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

27.08.2026/1105/बी.एस./ए.जी.-1

प्रश्न संख्याः 4142 क्रमांगत...स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के बाद...

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने वैसे तो स्पष्ट उत्तर दे दिया है। इसमें मैं कुछेक बातें जोड़ना चाहता हूं अगर महिलाएं अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाती हैं तो निश्चित रूप से जहां भी ऐसी शिकायत विभाग के पास आएगी वहां हमारी सरकार ऐसा प्रावधान करेगी कि वह महिला कॉन्फिडेंशियल रूप से अपनी शिकायत बता सके और वेरिफिकेशन के बाद जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम नियमों में परिवर्तन करके सख्त-से-सख्त कार्रवाई करेंगे। कुछ क्षेत्रों में हमारी सरकार ने एक्शन भी किया है। महिलाओं के प्रति सम्मान हर जगह होना चाहिए चाहे नौकरी हो या कहीं और जगह हो। इसमें कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट करने का ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जहां कोई महिला चुपके से या अन्य रूप से अपनी शिकायत बताना चाहती है वहां वह अपनी बात रख सके। उस चीज के लिए हम एक नियम बनाएंगे। यही मैं सदन को बताना चाहता हूं।

प्रश्न संख्या : 4500

अध्यक्ष : कुमारी अनुराधा राणा, विभागीय उत्तर से सैटिस्फाइड।

प्रश्न संख्याः 4501

अध्यक्ष : **श्री जीत राम कटवालः** उपस्थित नहीं।

27.08.2026/1105/बी.एस./ए.जी.-2

प्रश्न संख्याः 4502

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय जाहू में स्थापित होने वाले इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में था। इसमें जो उत्तर दिया गया है उसमें लिखा गया है कि इस सारी रिपोर्ट को फिजिबिलिटी के साथ केंद्र सरकार को भेजा गया है। मैं यह सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार इसके लिए धन उपलब्ध नहीं करवाती है जैसा कि कई योजनाओं में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं तो क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर इसमें धन उपलब्ध करवाएगी?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे उत्तर में लिखा है कि जाहू के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको डवलप करने के लिए लैंड एक्वायर की है। हमने दिनांक 28 जून, 2023 को 83 कनाल लैंड जाहू में इंडस्ट्री डिपार्टमैंट के नाम इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में नोटिफाई कर दी है।

अब उस एरिया को डवलप करने के लिए इंटरनल रोड्स हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, बिजली की व्यवस्था करनी है और प्लॉट्स की डवलपमैंट करनी है। कुछ फ्लैट्स हैं और कुछ नहीं हैं। इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है, हमने लगभग 16 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को भेजी है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाकर भेज दी गई है।

हमें उम्मीद है कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से राशि आएगी अगर नहीं आएगी तो हम मुख्य मंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि जाहू के इंडस्ट्रियल एरिया को डवलप करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमैंट हमें पैसे दे। क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को डवलप करने के लिए

जो फंड है वह बहुत कम हो चुका है। उससे हम बेसिक फैसिलिटीज भी उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। जैसे रोड्स डैमेज होती हैं तो उनकी मरम्मत भी हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर फाइनेंस डिपार्टमैंट हमें पैसा देगा तो हम इसको निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

27.08.2026/1105/बी.एस./ए.जी.-3

प्रश्न संख्याः 4503

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका अधिकार है इसमें मौके की कोई बात नहीं है।

श्री पूर्ण चन्द ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मामला अत्यंत गंभीर एवं जनहित से जुड़ा हुआ है। इन सड़कों की रखरखाव की स्थिति के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि स्थानीय लोगों को अपनी समस्या को लेकर आए दिन सड़कों पर उतरकर विरोध करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है।

मेरा प्रश्न बहुत लंबा-चौड़ा था और बहुत लंबा-चौड़ा जवाब भी आया है। हालांकि मैंने अभी इसे ठीक ढंग से पढ़ा नहीं है मगर मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, नारला-बिजनी में जो एन0एच0ए0आई0 का काम गाबर कंपनी के माध्यम से चला हुआ है उसकी लंबाई लगभग 19 किलोमीटर है और उस पर लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। फोरलेन बनाने के लिए स्थानीय जनता का कोई विरोध नहीं है। मगर यहां पर एक बात है कि जो

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

27.08.2026/1110/DT/AS-1

प्रश्न संख्याः 4503 जारी.....श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जारी...

डी0पी0आर0 जिस तरीके से बनी हुई थी उसके मुताबिक काम नहीं किया गया है क्योंकि वहां पर बिल्कुल वर्टिकल कटिंग की गई है जबकि डी0पी0आर0 में साठ डिग्री के कोण पर कटिंग करने का प्रावधान है। जिन लोगों की जमीन और जिन लोगों मकान और गौशालाएं फोरलेन निर्माण के लिए एक्वायर की गई थीं, उनको मुआवज़ा तो मिल चुका है मगर वह मुआवजा बहुत कम रेट पर उन्हें मिला है। जबकि उस बेल्ट में आज भी जमीन की वैल्यू लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रति बिस्वा का रेट है जबकि लोगों को 32 हजार से 90 हजार रुपये के करीब ही मुआवज़ा मिला है।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय जनता की तरफ से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस मुआवज़े को बढ़ाकर चार गुना करने की कृपा करें क्योंकि जो मुआवजा लोगों को दिया गया है उससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। जहां वर्टिकल कटिंग हुई है वहां कम-से-कम डेढ़ सौ किलोमीटर दूर लोगों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं। लोगों की सिंचाई की कूहलें खराब हो चुकी हैं और आने-जाने के रास्ते भी खराब हो चुके हैं। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो छोटी-छोटी सड़कें बनाई थीं वे भी खराब हो चुकी हैं। जिन लोगों का नुकसान हुआ है और जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला है उनकी सूची मैं इस माननीय सदन में रख दूंगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सरकार उस पर विचार करेगी और लोगों की मांग को देखते हुए उन्हें मुआवज़ा दिलाने की कृपा करेगी। यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्य में स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम हुआ है या नहीं, इसकी जांच के लिए कमेटी का भी गठन किया जाए तथा संबंधित अधिकारियों को अपने समक्ष बुलाकर इस विषय पर कार्रवाई की जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोरलेन परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को जो मुआवज़ा एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से दिया जाता है विशेष रूप से

27.08.2026/1110/DT/AS-2

इन्होंने बिजनी, वृंदावनी-पण्डोह-झिड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से प्रभावित परिवारों का विषय सदन में उठाया है।

अध्यक्ष महोदय जो आंकड़े हमें एन0एच0ए0आई0 के माध्यम से मिले हैं उनके अनुसार पदर क्षेत्र में कुल अधिगृहीत भूमि करीब 22 हैक्टेयर है जिसमें कुल 207 भवन हैं। स्वीकृत मुआवज़ा राशि 117 करोड़ रुपये है जिसमें से 110 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा सात करोड़ रुपये अभी शेष हैं।

इसी प्रकार मंडी डिवीजन में आने वाले काला क्षेत्र में करीब 33 हैक्टेयर भूमि एक्वायर की गई है जिसमें 187 भवन हैं। स्वीकृत मुआवज़ा राशि 355.37 करोड़ रुपये है जिसमें से अभी तक 332.43 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा 22.94 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि लंबित है।

इसी प्रकार पण्डोह क्षेत्र में करीब 28 हैक्टेयर भूमि एक्वायर की गई है जिसमें 532 भवन आते हैं। स्वीकृत मुआवज़ा राशि 402 करोड़ रुपये है जिसमें से 401.64 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं तथा 85 लाख रुपये की राशि अभी लंबित है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने उस क्षेत्र में हुए नुकसान से संबंधित जो मसले यहां उठाए हैं उनके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदन और माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे विभाग द्वारा लगातार एन0एच0ए0आई0 के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करवाई जाती हैं और संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को भी इन बैठकों में जोड़ा जाता है।

माननीय अध्यक्ष, जहां-जहां पर भी इस तरीके के नुकसान के मसले सामने आते हैं उनको हम रेगुलरली एन0एच0ए0आई0 अथॉरिटीज के साथ उठाते भी हैं और उनको सॉल्व करने का हर संभव प्रयास भी किया जाता है। मैं माननीय विधायक आदरणीय पुर्ण चंन्द ठाकुर जी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज आपने जो भी मसले यहां उठाए हैं,

विशेषकर बिजनी और पदर क्षेत्र के, उन सभी मसलों को हम आर0ओ0, एन0एच0ए0आई0 के साथ पूरी मजबूती से उठाएंगे और उनको जल्द-से-जल्द सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करवाया जाएगा।

27.08.2026/1110/DT/AS-3

Speaker : Hon'ble Chief Minister wants to intervene.

मुख्य मंत्री श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1115/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 4503........जारी-----लोक निर्माण मंत्री के पश्चात.......... जारी

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री ने वैसे तो पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन मैं आपके और सदन के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। अभी भारत सरकार ने जो फोर-लेनिंग के पैच बनाने हैं, जैसे घुमारवीं से लेकर कोलवी-भंगवार तक, दूसरा-शिमला से लेकर मटौर का जो फोर-लेन पैच है, उसमें शिमला से नम्होल तक के फोर-लेन का काम चला हुआ है और उसमें टनलिंग का भी काम चला है। लेकिन केन्द्र सरकार ने हम पर एक नया नियम लगा दिया है कि लैंड एक्विजिशन के पैसे प्रदेश सरकार देगी। इन 16 किलोमीटर के पैसों के लिए वे कहते हैं कि इन्हें प्रदेश सरकार देगी। वे यह भी कहते हैं कि जब हम उन्हें लैंड एक्विजिशन करके देंगे, तब उस सड़क को हम फोर-लेन करेंगे। यह विषय भी हम केन्द्र सरकार के समक्ष उठा रहे हैं कि अगर लैंड एक्विजिशन के पैसे हमने ही देने हैं, तो सड़क भी हम ही बना लेंगे और उसमें टैक्स भी हम ही लगा लेंगे। ये नया नियम आया है। माननीय सदस्य, श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जो फैक्टर फोर या टू की बात कर रहे हैं, जिसमें आप चार गुना मुआवजा चाह रहे हैं, तो केंद्र सरकार ही

इसको करेगी। अगर केंद्र सरकार इसको करती है और एन0एच0ए0आई0 इसका पैसा देती है, तो जैसे मंत्री जी ने कहा है कि हमें चार गुना मुआवजा देने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने अभी हमें कुछ जानकारी दी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है? जहां-जहां पर वह सड़क बनाती है, वहां-वहां पर टोल लगा देती है। वे टोल का रेट इतना ज्यादा लगा देते हैं कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हमारे जो लोकल लोग हैं या बिल्कुल साथ की पंचायत या साथ के गांवों के लोग हैं, उन्हें भी अपनी-अपनी पंचायतों

27.08.2026/1115/ए.एस.-एन.जी./2

में जाने के लिए टोल को क्रॉस करना पड़ता है। यदि किसी ने 500 मीटर भी जाना होता है, तो उसको भी पूरा रेट देना पड़ता है। इनकी सड़कों की बुरी हालत है। अगर हम देखेंगे कि जो फोरलेन चंडीगढ़ से शुरू होता है और मनाली तक जाता, उसमें सिर्फ गड्ढे-ही-गड्ढे हैं। जब भी फ्लैश फ्लड आता है, तब एन0एच0ए0आई0 वाले पत्थर उठाकर केवल सड़क को खोल देते हैं। उसमें न वे बाउंड्री वॉल लगाते हैं और न ही कोई सुरक्षा दीवार लगाते हैं कि फ्लड्स को प्रोटेक्ट कर पाएं। हर साल जब भी पानी बढ़ता है तब वे सड़कें टूट जाती हैं। इससे हमारा टूरिस्ट सीजन खराब हो जाता है। हमारा सेब सीजन भी खराब हो जाता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या जानना चाहते हैं?

श्री भुवनेश्वर गौड़ : सर, मेरा आग्रह है कि एन0एच0ए0आई0 टोल लगाना बंद करे और प्रदेश सरकार स्वयं सड़क बनाए और स्वयं टोल लगाए।

Speaker : That doesn't arise from this. This pertain to toll which is a different issue. But yet the Hon'ble Chief Minister or the Hon'ble Deputy Chief Minister

wants to reply then they are permitted. Hon'ble Chief Minister you want to reply. Okay. But this doesn't arise from this.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात ठीक उठाई है कि मनाली का एक पैच है, जो डबल लेन है और उसमें जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उन पर भी टोल लगता है। जिस कारण उनका मंथली खर्चा पांच से दस हजार रुपये आ जाता है। जबकि टूरिस्ट सिटी होने के कारण वहां पर टोल केवल टूरिस्ट को लगना चाहिए। माननीय सदस्य ने इस बात को मेरे ध्यान में लाया है और उस रोड की कंडीशन नेचुरली बहुत खराब है। आजकल के समय में व्यास में जब तबाही आती है, फ्लैश फ्लड्स आते हैं और पूरा रोड डैमेज हो जाता है। **हम कोशिश करेंगे कि एन0एच0ए0आई0 से यह मुद्दा उठाया जाए कि लोकल रेजिडेंट को कम-से-कम पास तो मिनिमम रेट पर उपलब्ध करवाया जाए। इस बारे में मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से बात करूंगा।**

27.08.2026/1115/ए.एस.-एन.जी./3

Speaker : This is pertaining to NHAI and other damages which are caused due to it. Okay, Hon'ble Member Shri Chander Shekhar you want to say something.

श्री चंद्र शेखर : शुक्रिया, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हम फोर-लेन पर एंटर करते हैं, चाहे जिला बिलासपुर है, मंडी है या कुल्लू है, वैसे ही स्पीड के मानक उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घण्टा निर्धारित कर रखे हैं। जब माननीय मुख्य जी मंडी के दौरे पर थे, तब भी इनसे व्यापारियों ने यह मांग की थी। हम चाहते हैं कि इसमें इंटरवेनशन हो और जब हम फोर-लेन पर जाएं तो कम-से-कम 80 किलोमीटर प्रति घण्टा की स्पीड तो अलाऊ करें, नहीं तो चालान घर पहुंच रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मसला है।

Speaker : Hon'ble Chief Minister. This is now again a new issue.

मुख्य मंत्री : कीरतपुर-मनाली फोर-लेन में गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज होती है और उस हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घण्टा की स्पीड का मानक अभी ठीक नहीं है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि इसे बढ़ाने के बाद एक्सीडेंट भी न हो, कहीं ऐसा न हो कि एक्सीडेंट हो जाए और उसमें

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.08.2026/1120/DC/PB/1

प्रश्न संख्याः 4503 क्रमांगत्.....मुख्य मंत्री जारी...

किसी की दर्दनाक मृत्यु हो जाए। लेकिन हम इस हाइवे का सर्वे करवाएंगे और इस पर गति सीमा 60 से 70-75 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। मैं परिवहन सचिव से बात करूंगा कि वे कीरतपुर-मनाली हाइवे पर फिर से मेजरमैंट करें कि इस पर कितनी गति सीमा रखी जाए। यह एक दुर्घटना संभावित क्षेत्र है क्योंकि यहां पर प्रति मिनट 10 टूरिस्ट की गाड़ियां निकलती हैं। **मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जितनी भी अधिकतम गति सीमा बढ़ाई जा सकेगी, उसे बढ़ा दिया जाएगा। यह गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक ही बढ़ाई जाएगी, धन्यवाद।**

27.08.2026/1120/DC/PB/2

प्रश्न संख्याः 4504

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले वर्ष चार स्थानों पर तकरीबन 14 लाख रुपये का कार्य हुआ है और 11 स्कीम्स अभी लंबित हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के सोलंग, खशेरी, दराल और सारी गांव भूस्खलन के कारण बिल्कुल एज पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति में इन गांवों के सुरक्षा कार्यों के लिए दो लाख, तीन लाख या चार लाख रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है लेकिन इस राशि से इन गांवों को सुरक्षित रखना कठिन होगा। क्या विभाग इन गांवों में लैंडस्लाइड मिटिगेशन या सॉयल इरोजन के माध्यम से आवश्यक कार्य करवाएगा?

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सॉयल कंजर्वेशन का पैसा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को दिया जाता है तथा पी0डी0एन0 के तहत पैसा भारत सरकार देती है। हमारी आवश्यकता के अनुसार मांगें भेजने के बावजूद हमारी बहुत-सी स्कीम्स अभी अधूरी हैं क्योंकि पी0डी0एन0 का पैसा एक मुश्त नहीं आता है। हम जितना कार्य करते हैं उतनी ही रीइम्बर्समैंट होती है। छोटे-छोटे कार्यों जैसे कहीं दीवार लगाना या कहीं क्रेट लगाना, इस प्रकार के कार्य कोई दो लाख रुपये या कोई चार लाख रुपये का होता है। यदि किसी क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है तो वहां पर बड़ी-बड़ी दीवारें लगाने के लिए कृषि विभाग के पास पर्याप्त राशि नहीं होती है। बड़ी-बड़ी क्रेट या दीवारें लगाने का कार्य आई0पी0एच0 विभाग का है। छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए पांच लाख रुपये तक का कार्य उस क्षेत्र का प्रधान करवा सकता है। पांच लाख रुपये से अधिक के कार्य के लिए कृषक संघ बनाया जाता है जिसके साथ मिलकर कार्य किया जाता है। हमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो भी पी0डी0एन0 का पैसा प्राप्त होता है, उसकी प्रक्रिया के अनुसार जितनी राशि खर्च की जाती है उतनी ही उन्हें दे दी जाती है तथा बाद में उसकी रीइम्बर्समैंट होती है।

श्री भुवनेश्वर गौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि इससे छोटे बजट के कार्य ही किए जा सकते हैं। पहले मनरेगा में भी इसी प्रकार कार्य होते थे। अब जी-राम-जी की नई स्कीम आई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक मेसन (मिस्त्री) की दिहाड़ी 700 रुपये से कम नहीं है। यदि कार्य स्वयं करना पड़े तो कम दिहाड़ी के कारण हम उस प्रकार से भी कार्य नहीं कर पाएंगे। क्या सरकार इसके लिए भी कुछ विचार कर रही है?

27.08.2026/1120/DC/PB/3

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो नई पॉलिसी अपनाई है, मैंने उसे पढ़ा है। इसमें अनाथ बच्चों तथा वृद्धजन परिवारों में 27 वर्ष

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1125/डी0सी0/ए0पी0-01

प्रश्न संख्या 4504 जारी .....कृषि मंत्री जारी .....

से कम आयु के बच्चें हैं। इसमें भी इन्होंने यही लिखा है कि परिवार में केवल 60 वर्षीय वृद्धजन हैं और 27 - 59 वर्ष का कोई व्यस्क व्यक्ति नहीं है। यह कंडीशन जी-रामजी जो इनकी नई स्कीम है उसमें लगाई गई है। इससे पहले इस प्रकार की कोई सैंक्शन्स नहीं थीं। जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह स्कीम शुरू की थी उस समय खुला पैसा भारत सरकार की ओर से आता था। जब यह स्कीम शुरू हुई थी, उस समय मुझे सलुणी पंचायत में जाने का मौका मिला था। वहां एक प्रधान से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पंचायत में सात करोड़ रुपये खर्च किए हैं। अब इस स्कीम में बहुत-सी सैंक्शन्स लगा दी गई हैं। जिसकी वजह से गांवों के काम भी नहीं हो पाएंगे। आप जो कह रहे हैं कि मनरेगा में जो काम होते थे, उनमें पूरे कामों का एक शेल्फ तैयार किया जाता था। शेल्फ के अनुसार पैसा मिलता था और काम भी ठीक गति से होते थे तथा कामों को पूरा भी किया जाता था। जब इस पर बहुत-सी सैंक्शन्स लगा दी गई हैं, अब तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ही देखेगा कि कौन-से काम हो सकते हैं और कौन-से काम नहीं हो सकते हैं। इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया जाएगा।

Speaker : Hon'ble Minister wants to say that this matter shall be taken up with the Government of India.

प्रश्न संख्या : 4505

श्री लोकेन्दर कुमार (आनी) : अनुपस्थित।

27.08.2026/1125/डी0सी0/ए0पी0-2

प्रश्न संख्या : 4506

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें लिखा गया है कि कुहल जगह-जगह टूटा हुआ है और बजट आने पर उसकी मरम्मत करवाई

जाएगी। लेकिन इसकी दूसरी वजह यह है कि यह लोअर बैजनाथ कुहल लूणी बिनवा से चलकर चवीन के डोग तक जाती है और ज्यादा टूटी हुई नहीं है। इसका मुख्य कारण चंगर विद्युत परियोजना है। जब इसका निर्माण हुआ था तो परियोजना वालों ने एक पाइप डालकर कुहल में पानी दिया था। वह पानी चवीन तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि पाइप छोटी है। अगर सरकार चंगर विद्युत परियोजना को पूरा पानी देने के लिए कहे तो हमें आसानी से उस कूहल में पानी मिल सकता है। जहां तक चरामती का सवाल है, चिरामती में कुहल इतनी ज्यादा टूटी हुई नहीं है। उसमें सरकार ने करोड़ रुपये खर्च किए हैं और चरामती के बराबर पानी किसानों को मिलता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि चंगर विद्युत परियोजना वालों को कहा जाए और आदेश दिए जाएं कि जितना पहले पानी छोड़ा जाता था, उतना ही पानी कुहल में दिया जाए, यही मैं कहना चाहता हूं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो निचली बैजनाथ कुहल है, इसमें साढ़े चार करोड़ रुपये की आवश्यकता है और जो चरामती कुहल है इसमें ढाई करोड़ रुपये की आवश्यकता है। निचली बैजनाथ कुहल को मुख्य स्त्रौत से चलाने के लिए 500 मीटर कुहल का निर्माण कराना जरूरी है। चरामती की कुहल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इससे लगभग 215 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल रही है और इसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर है। इसके लिए लगभग ढाई करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरा माननीय सदस्य को सुझाव है कि धन कुबेर (मुख्य मंत्री की ओर इशारा करते हुए।) इधर बैठे हुए हैं। आप यहां अपना प्रार्थना पत्र लगाएं ताकि धन हमारे तक पहुंचे, हम इसकी मरम्मत करवा देंगे।

27.08.2026/1125/डी0सी0/ए0पी0-03

श्री किशोरी लाल : मेरा निवेदन यह है कि वहां जो चंगर विद्युत परियोजना है जिससे कुहल में पूरा पानी नहीं दिया जाता। अगर सरकार उन्हें कहे कि पूरा पानी दें तो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुहल बढ़िया है। मैं वहीं बैजनाथ में रहता हूं। मेरी समस्या तो चंगर विद्युत परियोजना की है।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय जी आप इसे एग्जामिन कर लें।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .... उप-मुख्य मंत्री जारी.....

27.08.2026/1130/AT/HK/01

प्रश्न संख्या 4506 जारी ......

उप -मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, थोक पीट के गुजारा नहीं होगा। पैसा लगाना ही पड़ेगा। वैसे मैं अधिकारियों को आपके पास भेज दूंगा। अगर आपके जुगाड़ू तरीके से काम चल सकता है, तो आप करवा लें। लेकिन अन्यथा तरीका यही है कि पैसा ले लो और उसको करवा लो।

प्रश्न संख्या- 4507 पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया। (सैटिस्फाइड।)

27.08.2026/1130/AT/HK/02

प्रश्न संख्या -4508

श्री राम कुमार: सर, जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसमें जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र था, उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन धन का अभाव है और धन उपलब्ध नहीं है। तो एक तो मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि इसमें पैसे उपलब्ध करवाए जाएं।

दूसरा, जो हमारी स्टाफ क्वार्टर्स की स्वीकृति है, उसमें 85 प्रतिशत काम हो चुका है। मैंने विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया

है कि पैसा पूरा दे दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि 85 प्रतिशत जो काम हो गया है, उसकी कंप्लीशन के लिए निर्देश दिए जाएं। और जो डिस्प्यूट की बात की गई है, उसमें वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो हल्का-सा डिस्प्यूट था, वह सॉल्व करा दिया गया है, सर। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि अस्पताल के लिए धनराशि इसी वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत उपलब्ध कराएं।

Speaker : Please, please no disturbance in the Question Hour.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय। दून विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जर्जर भवन है और उसमें कोई शक नहीं कि इसकी जितनी भी उपचारितियां उस पर we are at it and it is under complete surveillance and we are doing it. But in the meantime जो ये समस्याएं रही, उसके कारण जो उसको allotted money थी, that was allotted for construction of a BMO office and the residential quarters for the staff of the Medical department only. अभी तकरीबन जो उन्होंने 85 प्रतिशत कहा है, Yes. उनको पूरा दिया जा चुका. We are observing that why after completion of 85 per cent work जो पूरा नहीं हो सका? That is No.1. No.2, जो staff quarters हैं उनको भी पैसा दे दिया गया। अब इनके लिए हमने प्लान भेज दिया है। Some of the boundary disputes are there, as usual which we will be also resolved. And this construction of Samudayak Swashtaya Kender will presume soon.

27.08.2026/1130/AT/HK/03

अध्यक्षः मंत्री जी ने बोल तो दिया है कि shortly they will be doing it. माननीय राम कुमार जी.

श्री राम कुमारः सर, मैं यह चाह रहा हूं कि जो यह अस्पताल है, क्योंकि वहां हमारा BMO office complete है, सर, और अस्पताल को ध्वस्त करने के आदेश भी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसमें 50 प्रतिशत धन डाल दिया जाए, तो उसका टेंडर हो जाएगा। आधा

अस्पताल तोड़कर वहां नए अस्पताल के भवन का काम शुरू होगा और पुराने आधे भवन में हम इसे चलाते रहेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या विभाग इस बजट से इसका 50 प्रतिशत बजट हमें इस वर्ष में उपलब्ध कराएगा?

Health & Family Welfare Minister : Mr. Speaker, **Sir, I will go to the site and resolve this issue.**

प्रश्न संख्या -4509 (अनुपस्थित।)

अध्यक्ष : माननीय जगत सिंह नेगी जी, माननीय सदस्य तो अनुपस्थित हो गए।

राजस्व मंत्री : सर, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने वर्ष-2023 की आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी। 1167 पेज का पूरा डाटा हमने अपलोड कर दिया है। इतनी मेहनत करने के बावजूद ये प्रश्न नहीं पूछ रहे। कुछ तो चक्कर है।

Speaker : The information which you have please place it on the Table of this House so that everybody should know.

प्रश्न संख्या- 4510 श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1135/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 4510

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला में विज्ञान भवन का निर्माण कार्य 96 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। मेरा यह आग्रह है कि इस भवन का जो 4 प्रतिशत कार्य शेष रहता है, वह कहीं बजट की कमी के कारण रुक न जाए। इसलिए इसका बकाया बजट भी समय पर दिया जाए ताकि इसके भवन का कार्य जल्दी पूरा हो जाए और बच्चे इसका लाभ उठा सके।

इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलून और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मचौती का कार्य भी 80 से 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। अतः इन स्कूल्ज के लिए भी जो बजट की कमी है, उसको जल्दी-से-जल्दी दिया जाए।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जांगला के विज्ञान भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इस भवन के निर्माण हेतु लगभग 1.70 करोड़ रुपये की राशि दी गई है यानी अपने पड़ोसी श्री मोहन लाल ब्राक्टा जी का पूरा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलून और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मचौती के बारे में कहा है तो इनके लिए भी पैसे का प्रावधान किया गया था। इन भवनों का कार्य 90 प्रतिशत से ऊपर पूरा हो चुका है। अतः विभाग के स्तर पर निश्चित रूप से रीएप्रोप्रिएशन के माध्यम से इन्हें पैसा उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय उप-मुख्य मंत्री ने जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया था, मैं उसको भी अनुमोदित करूंगा कि हमारे जो कार्य 90 प्रतिशत से ऊपर हो चुके हैं उन्हें स्पेशल सेंट्रल एसिस्टेंस प्लान के अंतर्गत राशि दी जाए ताकि वे सभी कार्य आगामी 6 महीनों के अंदर पूरे हों।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जब बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें क्रिस्टल क्लीयर कहा है और जो भी कार्य 80 प्रतिशत से ऊपर पूर्ण हो चुके हैं, उनके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसके जो भी कार्य 90 प्रतिशत से ऊपर पूरे हो चुके हैं, आप उसके लिए पैसा मांगिए। आपको पैसा मिलेगा और आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। **उसमें चाहे बद्दी का होस्पिटल है या कोई और शिक्षा संस्थान हैं। उनके लिए पैसा उपलब्ध करवाया**

27.08.2026/1135/av/hk/2

गया है। आप सभी सदन में बैठे माननीय सदस्य 80 प्रतिशत से ऊपर हो चुके कार्यों के लिए बजट की मांग कर सकते हैं। हम यह पैसा उपलब्ध करवा देंगे क्योंकि हमने इस बारे में बजट में घोषणा की है और पैसों का प्रावधान भी किया है।

27.08.2026/1135/av/hk/3

प्रश्न संख्या : 4511

अध्यक्ष : अगला प्रश्न माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज (चुराह) करेंगे।

Speaker : I am naming the constituency, reason being the students are sitting and I was asking them that how the MLA comes, they come from the respective constituency. That is why I am naming the constituency.

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मालूम है कि चुराह एक दूरदराज व पिछड़ा विधान सभा क्षेत्र है। भारत सरकार ने एक आर0डी0एस0एस0 स्कीम चलाई है जिसका कार्य आर0बी0एन0एल0 कम्पनी कर रही है। मेरा मुख्य मंत्री से यह निवेदन है कि चुराह विधान सभा क्षेत्र में आयल, बढ़न्तर, झज्जा, बैरागढ़, चांजू, कुठैढ़ और सपरोट इत्यादि एरियाज में आज भी कई जगह तारें पेड़ों पर हैं। हमने इसके लिए कोशिश की है मगर कभी खम्भे नहीं आते तो कभी ट्रांसफॉर्मर्ज नहीं मिलते। यहां तक कि छोटी-छोटी चीजें जैसे कंडक्टर इत्यादि भी नहीं मिलतीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पर्टिकुलर चुराह विधान सभा क्षेत्र में रेनोवेशन इत्यादि कार्यों के लिए जो 16 करोड़ रुपये की राशि आबंटित हुई है, क्या माननीय मुख्य मंत्री आश्वस्त करेंगे कि उसको सही तरीके से खर्च किया जाएगा? इसके अतिरिक्त वहां से जो बिजली बोर्ड को उठाकर डीविजन को डीनोटिफाई कर दिया, क्या उसको भी दोबारा नोटिफाई किया जाएगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन क्षेत्रों के नाम लिए हैं कि वहां पर बिजली की तारें पेड़ों पर लटकी हुई हैं, रिपोर्ट के अनुसार तो मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। **लेकिन यदि आपकी नज़र में ऐसा कुछ है तो आप मुझे उस स्थान**

का नाम बता दीजिए और जिसने भी गलत रिपोर्ट दी है मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा क्योंकि सदन के अंदर गलत रिपोर्ट देना भी गलत बात है।

टी सी द्वारा जारी

27.08.2026/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
प्रश्न संख्या : 4511... क्रमागत्
मुख्य मंत्री .... जारी

दूसरा, आपने क्वालिटी ऑफ लाइट्स की बात की है। सरकार का प्रयास है कि सभी स्थानों पर क्वालिटी ऑफ लाइट्स अच्छी हो। चुराह विधान सभा क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लाइट्स सुधारने तथा आर0डी0एस0एस0 के अंतर्गत आने वाली धनराशि के उपयोग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आर0डी0एस0एस0 के अंतर्गत चार कंपोनेंट्स हैं जिनकी धनराशि पिछले काफी सालों से पड़ी हुई है। 'गुड गवर्नमैंट के लिए गुड गवर्नेंस' और 'अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना' आवश्यक है। यह धनराशि हमारी सरकार के समय से लंबित नहीं है बल्कि पिछले सात-आठ वर्षों से लम्बित पड़ी हुई है। पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया लेकिन हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इन कार्यों के लिए टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। स्मार्ट मीटरिंग और फीडर मीटरिंग के साथ नई लाइनों तथा ट्रांसफॉर्मरों के बदलाव का कार्य किया जा रहा है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइट्स मिल सके। कम क्वालिटी की लाइट में पढ़ने से बच्चों की आंखों पर अधिक दबाव पड़ता है और चश्में लग जाते हैं। **इसलिए चुराह विधान सभा क्षेत्र में क्वालिटी ऑफ लाइट्स सुधारने का विशेष ध्यान रखा जाएगा।**

तीसरा, विषय एक्सीयन डिवीजन के डी-नोटिफाई किए जाने का है। एक्सीयन डिवीजन इसलिए डी-नोटिफाई हुआ था क्योंकि चुनाव से छह महीने पहले खोले गए 650 संस्थानों में यह संस्थान भी शामिल था। केवल नोटिफिकेशन करना पर्याप्त नहीं है। यदि वहां कर्मचारियों की नियुक्ति न की जाए तथा टैस्ट के माध्यम से एस0डी0ओ0, जे0ई0 और एक्सीयन के साथ क्लेरिकल स्टाफ तथा बिल लेने वाले कर्मचारी भी नियुक्त न किए जाएं तो ऐसे संस्थान खोलने का कोई लाभ नहीं है। हमारी सरकार का प्रयास है कि पहले

इम्प्लॉइज़ की भर्ती की जाए और उसके बाद जहां भी आवश्यकता होगी वहां एक्सीयन ऑफिस खोलने के संबंध में समयानुसार निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, आप कुछ और जानकारी देना चाहते है?

27.08.2026/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय राजस्व मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी के प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री बिक्रम ठाकुर जी ने आज प्रश्न पूछा और वे आपदा से संबंधित प्रश्न पर हमेशा हल्ला करते हैं। आज जब आपदा से संबंधित पूरा जबाव आया तो आज वे माननीय सदन में उपस्थित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उनको यह भी देखना चाहिए कि इस प्रकार के सवालों के उत्तर में बहुत ज्यादा पेपर लगते है। इसलिए आप भविष्य में इस तरह की व्यवस्था करें कि जिस प्रश्न का उत्तर इतने पेजों से ज्यादा होगा उनका उत्तर माननीय सदस्य को ऑनलाइन भेजा जाएगा ताकि वे उसका उत्तर घर पर मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ सके। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए।

Speaker : This is a suggestion to the Vidhan Sabha Secretariat. We will look into this also, but our duty is that whatever the question asked from any Hon'ble Member, that has to be placed in the Vidhan Sabha. We are doing our duty. In any case, if Hon'ble Members, those who have sought the information and they are not here, this is up to them. But still, the Government is ready. I am happy to note that the Department and the Government is ready with all kinds of information. And this information, if the Member doesn't ask, still it will be parted with the public at large through the Vidhan Sabha, as well as through the press and media.

प्रश्न संख्या : 4512

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह -उपस्थिति नहीं। I don't know why they are absent today. Either they are in a protest or they are not interested in their questions. Why they have asked such questions?

प्रश्न संख्या : 4513

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी -उपस्थिति नहीं। Some Members are absent, some group being referred by the Hon'ble Chief Minister time and again, that conspicuously one can observe it here.

27.08.2026/1140/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

प्रश्न संख्या : 4514

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो यहां पर पहले भी लग चुका है और लगभग सेम ही सवाल यहां पर दोबारा लगा दिया गया है लेकिन फिर भी सूचना सदन पटल पर रख दी गई।

श्री आशीष शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो पहले सवाल लगा है वह अलग था और यह सवाल अलग है। मैं आपके माध्यम से उप-मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि विपक्ष का विधायक होने के नाते

एन0एस0 द्वारा .... जारी

27-8-2026/1145/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 4514 ------क्रमागत---श्री आशीष शर्मा------जारी

मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन्फॉर्मेशन मांगूं और आपका दायित्व बनता है कि आप वह इन्फॉर्मेशन दें। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें लिखा है कि जसवां-प्रागपुर डिवीजन में लगभग एक बीघा से कम भूमि 18 लाख रुपये में अधिग्रहित की है और उसका भुगतान करीब चार लोगों को किया गया है जिनमें श्री राजीव सिंह, श्रीमती निकिता, श्रीमती नेन्सी

और श्री सुखविन्दर सिंह जी शामिल हैं। श्री सुखविन्दर सिंह सहित इन लोगों को लगभग 18 लाख रुपये दिए गए हैं। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि यही भूमि वर्ष 2012 में इन्हीं व्यक्तियों ने 2700 रुपये में खरीदी थी और उसके बाद आपके विभाग ने उसे 18 लाख रुपये में लिया है? यदि यह सत्य है तो क्या इसकी जांच करवाई जाएगी कि प्रदेश की जनता का पैसा इस प्रकार लुटाया गया है? आप कृपया करके मुझे यह बताएं।

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मन नहीं मान रहा है। इस बात पर यहां विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अब ये उसी मसले को दोबारा उठा रहे हैं। आपकी सरकार ने जमीन दी, कितने में दी और कितने में खरीदी, उस समय आपकी सरकार थी। इस बारे में श्री जय राम ठाकुर जी बेहतर बता सकते हैं कि इन्होंने कितने में खरीदी थी और कितने में बेची थी? हमें यह मालूम है और हमने आपको बता दिया है कि हमें योजना बनाने के लिए इस जमीन की आवश्यकता थी इसलिए हमने इसका पैसा दिया और वहां योजना बना दी।

श्री आशीष शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि 2700 रुपये की जमीन यदि 18 लाख रुपये में सरकार एक्वायर करेगी तो चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, चाहे जो भी सरकार हो तो यह गलत है। यदि प्रदेश की जनता का पैसा इस प्रकार लुटाया जा रहा है तो यह गलत है। यहां सभी माननीय सदस्य बैठे हैं और वर्ष 2012 में 2700 रुपये में जमीन खरीदी जा रही है और 14 वर्ष बाद उसे सरकार द्वारा 18 लाख रुपये में खरीदा जा रहा है। यह चाहे किसी भी सरकार के कार्यकाल में हुआ हो तो इसकी जांच होनी चाहिए। यह जांच का विषय है। मुख्य मंत्री जी यहां दो दिन पहले कह रहे थे कि गग्गल एयरपोर्ट के आसपास

27-8-2026/1145/NS-YK/2

जितनी भी जमीनें खरीदी जा रही हैं या जो भी सौदे हुए हैं, उनकी जांच के लिए हम एस0आई0टी0 बैठा रहे हैं। यह भी तो वैसा ही सौदा है जिसमें 2700 रुपये की जमीन 18 लाख रुपये में सरकार ले रही है। यह किस प्रकार का और कौन-सा व्यवस्था परिवर्तन है?

उप-मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मसला हाई कोर्ट में भी जा चुका है। इन्क्वायरी की बात तो तब होती है...(व्यवधान) और इसमें जो खरीद की बात है तो आप क्या चाहते हैं कि यह जमीन वापस ले ली जाए? वहां स्कीम बनी है और पानी के लिए सोर्स चाहिए था। माननीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने पूरे विवेक से जमीन की खरीद-फरोक्त की होगी। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं, इस हाउस के सबसे सीनियर मैंबर हैं और पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं। यदि इन्होंने कोई खरीद की है तो सही ही की होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना को समझता हूं, इनकी स्पिरिट को समझता हूं और इनकी पीड़ा को भी समझता हूं तो इसलिए यह सवाल बार-बार लाने के बजाय किसी अप्रोप्रिएट मंच पर जहां आप लड़ रहे हैं, लड़ लें।

अध्यक्ष : माननीय जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी मेरा जिक्र कर रहे हैं और इनकी बात से ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार में कुछ गलत हुआ है। मैं इस प्रश्न की बहुत डिटेल्स में नहीं जा पा रहा हूं और इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जमीन जब सरकार ने ली थी तो कब ली थी और किस रेट पर ली थी और उसके बाद यह जमीन डिपार्टमैंट को कब दी गई थी और किस रेट पर दी गई थी? बात तो यह है। विशेष तौर से मुझे लगता है कि प्रश्न के माध्यम से यही बात सामने आ रही है। जैसा आप कह रहे हैं कि यह मामला कोर्ट में है लेकिन कम-से-कम इतनी जानकारी तो हमें होनी चाहिए क्योंकि आप हमारी सरकार का जिक्र कर रहे हैं। अब हम विपक्ष में हैं और मुख्य मंत्री जी सत्ता में हैं। आप कहीं ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों ने मिलकर यह किया है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस बात को लेकर भी थोड़ा स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मैं सच कह रहा हूं कि मुझे जानकारी ही नहीं है कि यह जमीन किसकी है? आप शायद वर्तमान मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था कि यह जमीन इनके

27-8-2026/1145/NS-YK/3

नाम पर है। यदि मुझे पता होता तो मैं शायद उस समय यह जमीन नहीं लेता। लेकिन जमीन ले ली है

आर0के0एस0 द्वारा-----जारी

27.08.2026/1150/RKS/AG-1

श्री जय राम ठाकुर जारी....

इसलिए आप इस विषय पर विस्तृत उत्तर दें कि हमारी सरकार के कार्यकाल में यह ज़मीन कब और कितने मूल्य पर खरीदी गई थी? आप यह भी बताएं कि बाद में यह ज़मीन संबंधित विभाग को कब और कितने मूल्य पर दी गई? मुझे बेसिक बात यह लग रही है कि यदि इसका भुगतान वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किया गया है यानी सरकार से इस प्रयोजन के लिए भूमि खरीदी गई है तो इन्हें इस विषय पर थोड़ा सोचना चाहिए था। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब आपने इस बात का जिक्र किया है तो सदन को यह भी अवगत करवाया जाए कि भूमि कब खरीदी गई और जल शक्ति विभाग को कब और किस दर पर हस्तांतरित की गई? आप यह समस्त जानकारी सदन के समक्ष रखने की कृपा करें।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भूमि की खरीद तो श्री जय राम ठाकुर जी के कार्यकाल में हुई थी लेकिन आज ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जिन लोगों की यह भूमि थी, वे न्यायालय में गए और उन्होंने हलफनामे देकर कहा कि वे भूमि नहीं बेचना चाहते। इसके बावजूद भूमि खरीदी गई और वहां पानी की स्कीम भी बन गई है। अब आप क्या चाहते हैं? आप प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं और हम आपका सम्मान करते हैं। यह आपके शासनकाल का ही विषय है। आपने वर्ष 2017 से 2022 तक शासन किया। उसी दौरान यह पूरी योजना तैयार हुई और सभी कार्य सम्पन्न हुए। आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पहले भी लगाया था। हमने इसके उत्तर में यह बताया है कि कितनी भूमि किन-किन व्यक्तियों से खरीदी गई है। अब इस विषय को दोबारा यहां उठाया जा रहा है जबकि यह मामला न्यायालय में भी गया था। जो कुछ भी हुआ, वह आपके कार्यकाल में ही हुआ है। भूमि जैसे भी खरीदी गई, आपके शासनकाल में खरीदी गई है। अब आप हमसे क्या चाहते हैं?

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पीछे जो मूल भावना है और उसका जो उत्तर आना चाहिए, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदकर एक हजार रुपये में बेचता है तो इसमें भी यह प्रश्न बनता है। यह भूमि 2700 रुपये में खरीदी गई थी और बाद में सरकार ने इस भूमि के मालिकों को 18 लाख रुपये का भुगतान किया।

27.08.2026/1150/RKS/AG-2

इस विषय में वर्तमान मुख्य मंत्री जी का नाम भी आया है कि इन्हें भी यह पैसा मिला है। सदन में अक्सर चर्चा होती है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं कि आपदा के समय उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। ऐसे में प्रश्न केवल यह है कि इतनी सी भूमि के लिए इन्हें भुगतान लेने की क्या आवश्यकता थी? यही वह विषय है और बाकी किसी को कोई समस्या नहीं है। यदि इस संबंध में कोई तथ्य है तो माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को स्पष्ट करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब किसी को पीड़ा होती है तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। यदि उन्हें पीड़ा हुई है तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। वे पहले भी यह प्रश्न पूछ चुके हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वह लगभग 500 बीघा भूमि हमारे परिवार की है। श्री बिक्रम सिंह जी को वर्ष 2016-17 में वहां एक योजना का उद्घाटन करना था। वहां क्रशर भी लगे हुए हैं और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। उस क्षेत्र में और भी क्रशर लगाने की योजना थी। जल शक्ति विभाग ने उस भूमि के एक हिस्से में बिना पूछे टैंक बना दिया। यह आपकी जल जीवन मिशन की योजना थी और उसी के अंतर्गत वहां टैंक का निर्माण किया गया। वह जमीन हमारी थी। मेरे भाई साहब लोअर कोर्ट में गए और उन्होंने यह कहा कि वे यह जमीन नहीं देना चाहते, क्योंकि वहां खनन हो सकता है। टैंक के 500 मीटर की परिधि में माइनिंग की अनुमति नहीं होती और यदि जल शक्ति विभाग द्वारा वहां टैंक बनाया जाएगा तो भविष्य में कभी भी माइनिंग की एन0ओ0सी0 नहीं मिलेगी। यह उनका पहला तर्क था कि वे यह जमीन नहीं देना चाहते। नदौन लोअर कोर्ट में इस मामले पर स्टे हुआ और यह बात आपको भी पता होनी चाहिए। उसके बाद जल शक्ति विभाग के अधिकारी मेरे पास आए। उस समय मैं विधायक था। उन्होंने कहा कि टैंक का आधा निर्माण

हो चुका है, हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें सस्पैंड कर दिया जाएगा इसलिए हम भूमि की एक्विजिशन करवा देते हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

27.08.2026/1155/बी.एस./ए.जी.-1

मुख्य मंत्री जारी...

हमने कहा कि लैंड एक्विजिशन हम कर देते हैं। लैंड एक्विजिशन की नेगोशिएशन कमेटी बनी। मेरे भाई साहब ने फिर कहा कि इस लैंड को नहीं देना चाहते हैं। उसमें परिवार के नाम मुश्तरिका प्रॉपर्टी है और उसमें मेरा भी एक हिस्सा निकल गया।

मैं यह चीज इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि जो लोग अपने इन धंधों में फंसे होते हैं उनको पता होता है। उन्होंने कहा कि हम नहीं देना चाहते हैं और कोर्ट से इनका फैसला हुआ, कहां हुआ? आपके लोअर कोर्ट नदौन में इसका फैसला हुआ। फिर भी मेरे भाई साहब नहीं माने। मैंने कहा कि मंत्री जी के पानी की बात है आप मान जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं यहां हमने क्रेशर लगाना है और हमें क्रेशर की परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि 500 मीटर के दायरे में परमिशन मिलनी नहीं है। फिर भी मैंने उनको मनाया और उन्होंने पैसे डाल दिए जिसमें मेरे अकाउंट में भी 2-3 लाख रुपये आए क्योंकि शेयर इतना होता है। अब जगह कब खरीदी गई? यह वर्ष 2012 में नहीं खरीदी गई है। यह जो कह रहे हैं वह भी गलत कह रहे हैं।

वैसे तो इस तरह की गलत जानकारी आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि कानून ने अपने हिसाब से कार्य किया है। यह विधान सभा में भी दूसरी बार पूछा जा रहा है। विधान सभा में दूसरी बार पूछने के पीछे जो आप इंटेंट बोल रहे हैं वह वर्ष 2016-17 की बात है। माननीय सदस्य ने उसका उद्घाटन करना था यह वर्ष 2017-18 की बात होगी जिसमें आप ही ने पैसे दिए हैं।

मैंने पैसे तो लेने ही नहीं थे, दिए तो अच्छा किया? और उसके कारण नुकसान कितना हुआ? मैं यह बताना चाहता हूं उसके कारण नुकसान यह हुआ कि वह जो जगह है वह बहुत सस्ती गई है। वही जगह वहां एक कनाल 50 लाख रुपये की है और यही लोग देने के लिए तैयार रहते थे। हमने तो सिर्फ 10 कनाल 18 लाख रुपये में दी। यह जगह कौड़ियों के भाव जगह दी। यह इसलिए दी कि ताकि लोगों को पानी मिले।

किसी की जगह में बिना उसकी अनुमति के टैंक बनाना क्या जायज है? अगर पूछ लेते तो मुफ्त में भी दे देते। वहां कोई थोड़ी जगह नहीं है वहां 500 बीघा जगह है

27.08.2026/1155/बी.एस./ए.जी.-2

और ई0डी0 भी उसकी इनक्वायरी कर चुकी है।, धन्यवाद।
27.08.2026/1155/बी.एस./ए.जी.-2

Speaker: This question has been very exhaustively replied. Next Question 4515. ...(व्यवधान) आप इस विषय को नियम-61 में ला सकते हैं। ...(Interruption) If you are not satisfied, that is not my fault. Next Question 4515, Hon'ble Member Shri Surender Shourie (Banjar). ...(Interruption) Chief Minister ने एक्सहॉस्टिवली सारी बातें खोल करके विधान सभा में रख दी हैं ।I am also looking into this matter. In any case, if this question/issue stands replied six months or one year before, then how has this question been listed again? I am also looking into this. But you see, since complete reply has come, there is no need of any further supplementary. In any case, if you are not satisfied with the reply, you can resort to Rule 61.

27.08.2026/1155/बी.एस./ए.जी.-3

प्रश्न संख्याः 4515

श्री सुरेन्द्र शौरी : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है उसमें लगभग 11 रूट्स ऐसे हैं जहां पर बसें नहीं चल रही हैं। डिजास्टर के कारण वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सड़क मार्ग बंद होने के कारण वहां बसें नहीं चल रही हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारी विधान सभा की एक मुख्य सड़क बंजार से गाड़ा घुशैणी है जिसमें लगभग 8-10 पंचायतें हैं। एक डंगा गिरने के कारण वह सड़क बंद पड़ी हुई है लेकिन उसमें अल्टरनेट व्यवस्था है कि अगली तरफ बस में सवारियां एक्सचेंज हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जो दो रूट की बसें वहां फंसी थीं उन्हें बाय जंजैहली होकर कुल्लू वापस मंगा लिया गया है। मंगा ली हैं। इसके कारण 8-9 पंचायतों की आवाजाही के लिए वहां कोई साधन नहीं है। लोगों को टैक्सी में भारी-भरकम किराया देकर आना पड़ता है।

उस डंगे को लगाने में लगभग दो-अढ़ाई महीने लग सकते हैं। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने रेज्योल्युशन देकर यह भी आग्रह किया है कि दो बसें अगली तरफ से गाडा धुशैणी की रखी जाए।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि दो बसें दूसरी तरफ रहें और डंगा लगने में जो दो महीने का समय लगेगा उस दौरान वहां की आवाजाही चलती रहे ताकि लोगों को कोई मुसीबत का सामना न करना पड़े।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

27.08.2026/1200/DT/AS-1

प्रश्न संख्याः 4515 जारी.....

अध्यक्ष : अब माननीय उप-मुख्य मंत्री जी।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम बसें तब चलाते हैं जब हमें लोक निर्माण विभाग से सड़क प्रमाण पत्र मिल जाता है। यह लोगों के जीवन का सवाल है। बस लेकर जाना है जिसमें सवारियां बैठी हुई हैं। इसलिए जिस भी सड़क के लिए आप लोक निर्माण विभाग से हमें अनापत्ति पत्र दिलवा देंगे वहां हम बस चला देंगे। अन्यथा कोई वैकल्पिक व्यवस्था, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस तरफ भी बस रख दो और उस तरफ भी बस रख दो, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है कि आपके विधान सभा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। मैं इस बात से सहमत हूं और इस बात से भी सहमत हूं कि आपके गुशैनी के क्षेत्र को किसी-न-किसी ढंग से बस से जुड़ना चाहिए। लेकिन आप लोक निर्माण विभाग से बातचीत करके रास्ते को बहाल करवाएं। हम तत्काल बस चला देंगे। जैसे ही आपका फोन हमें आएगा कि हमने लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति पत्र हासिल कर लिया है, हम बस चला देंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त। Now, before that I start the Zero Hour, which is the next item, I would request the Hon'ble Deputy Chief Minister to give the statement which he wants to give in the House but before that Hon'ble Chief Minister wants to make some query, statement, or intervention, I don't know.

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल नेपाल में भूकंप/बाढ़ आया जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई। मेरा यह मानना है कि सदन में उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा जाए तो एक अच्छा संदेश दिया जाएगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति चाहूंगा कि आप इसकी अनुमति दें और हम दो मिनट का मौन रखें।

अध्यक्ष : मैं सहमत हूं। अब मैं सभा मण्डप में उपस्थित सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े हो जाएं।

27.08.2026/1200/DT/AS-2

(सभा मण्डप में उपस्थित सभी ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा।)

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to make another statement.

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल रक्षाबंधन का पर्व है। बहनें भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई को सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। इस अवसर पर मैं चाहता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन भी अभी हम छुट्टी नोटिफाई कर दें। पूरे हिमाचल प्रदेश में कई स्कूल लगे होते हैं। बहनें स्कूल में अपने भाईयों को राखी बांधने के लिए सुबह जल्दी तैयार होना पड़ता हैं। **इसलिए मैं कल की छुट्टी की भी घोषणा करता हूं।**

अध्यक्ष : Hon'ble Deputy Chief Minister wants to make a statement. Hon'ble Deputy Chief Minister.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को सप्लीमेंट करता हूं कि कल हिमाचल पथ परिवहन निगम में हमारी बहनें पूरा दिन मुफ्त में सफर कर पाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्टेटमेंट सदन में रख रहा हूं। यह टैक्सी वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय, हम ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में भारत सरकार के कायदे-कानून, नियमों, नीतियों और पोर्टल से गवर्न होते हैं और जो भी फैसले भारत सरकार करती है उसको हम हिमाचल प्रदेश में लागू करते हैं। इस सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों यानी कि जो हिमाचल की परिधि के अंदर गाड़ियां चलती हैं और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं उनकी आयु सीमा को लेकर माननीय सदस्यों एवं वाहन संचालकों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। मैं इस विषय पर सरकार की स्थिति सदन में स्पष्ट करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटर्स की मांग के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। सरकार

27.08.2026/1200/DT/AS-3

ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला पहले ही भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

27.08.2026/1205/ए.एस.-एन.जी./1

उप-मुख्य मंत्री.......... जारी

मंत्रालय (MoRTH) के समक्ष उठाया है तथा आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय का एक महत्वपूर्ण वैधानिक पक्ष भी है। Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 59 के अंतर्गत मोटर वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसलिए राज्य सरकार अपने स्तर पर केंद्रीय प्रावधानों में संशोधन कर Contract Carriage वाहनों की आयु सीमा 15 वर्ष नहीं कर सकती। सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है, ताकि सदन और प्रदेश की जनता के समक्ष वस्तुस्थिति स्पष्ट रहे।

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों में यह प्रचारित किया जा रहा है कि कुछ राज्यों में Contract Carriage वाहनों की आयु सीमा 15

साल से भी अधिक है। यह धारणा सही नहीं है। केवल सोशल मीडिया में प्रसारित जानकारी के आधार पर इस विषय में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले में केवल अपनी असमर्थता बताकर बैठ नहीं रही है। सरकार ने अपना प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रख दिया है और इस विषय को लगातार प्रभावी ढंग से उठाया जा रहा है। हमारा स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार All India Tourist Permit (AITP) के अंतर्गत आने वाले वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई है और यह व्यवस्था 01 अप्रैल, 2026 से लागू है, उसी प्रकार Contract Carriage वाहनों के लिए भी 15 वर्ष की आयु सीमा पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाना चाहिए।

27.08.2026/1205/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के समझा उठाया है। माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गड़करी जी से मैं स्वयं मिला था और बैठक में इस विषय पर चर्चा भी हुई थी। उसके बाद केन्द्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों की आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है और यह पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन इस विषय की पहल हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई थी और हिमाचल प्रदेश की मांग के मुताबिक ही पूरे देश के ट्रांसपोर्टर्स को इसका लाभ मिला है।

अध्यक्ष महोदय, जब तक Contract Carriage के संबंध में भारत सरकार का निर्णय नहीं आता, इच्छुक Operators नियमानुसार AITP व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। VAHAN एवं AITP Portal का संचालन/प्रबंधन NIC द्वारा किया जाता है। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से अब तक 1009 Operators ने AITP Portal के माध्यम से इस व्यवस्था का लाभ उठाया है।

अध्यक्ष महोदय, जो लोग कहते हैं कि 15 वर्ष नहीं हो पाया है तो उनकी सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के 1009 लोग गाड़ियों के ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट हासिल कर चुके हैं और इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को यह भी अवगत करवाना चाहूंगा कि हमने AITP फीस को कम करने बारे मामला भी भारत सरकार के समक्ष उठाया है ताकि प्रदेश के Operators को उचित राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की गाड़ी को जब रिन्यू करती है तो 20,000/- रुपये फीस लेती है। हमने केन्द्र सरकार को लिखा है कि इस फीस में कटौती की जाए और टैक्सी संचालकों के हक में फैसला लिया जाए।

27.08.2026/1205/ए.एस.-एन.जी./3

इस विषय पर केन्द्र सरकार में मंथन चल रहा है और हमें भारत सरकार से इस मुददे पर सकारात्मक निर्णय की आशा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के सभी Contract Carriage Operators को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार उनके हितों, निवेश और रोजगार के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमारा उद्देश्य किसी Operator को अनावश्यक कठिनाई में डालना नहीं है। लेकिन साथ ही, सरकार को कानून के दायरे में रहकर ही निर्णय लेना होता है। **इसलिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि Contract Carriage वाहनों की निर्धारित आयु सीमा 15 वर्ष करने का मामला सरकार पूरी गंभीरता से भारत सरकार के समक्ष उठाती रहेगी और भारत सरकार से शीघ्र एवं सकारात्मक निर्णय का पुनः अनुरोध किया जाएगा।**

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों और सभी Operators से भी आग्रह करता हूं कि इस विषय को तथ्यों और वैधानिक स्थिति के आधार पर देखें। सरकार की मंशा स्पष्ट है :-

a. Operators के हितों की रक्षा करना;
b. कानून का पालन करना; और
c. उपलब्ध वैधानिक व्यवस्था के भीतर उन्हें अधिकतम संभव राहत प्रदान करना।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला पूरी तरह केन्द्र सरकार से जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश सरकार Operators के हक में काम कर रही है।

विषय :- प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जाँच के लिए Automated Testing Stations (ATS) स्थापित करने के संबंध में।

27.08.2026/1205/ए.एस.-एन.जी./4

अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए Automated Testing Stations (ATS) के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। Central Motor Vehicles Rules, 1989 के Rule 62 के अनुसार वाहनों की

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.08.2026/1210/DC/PB/1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (ए0टी0एस0) की स्थिति सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1989 के रूल-62 के अनुसार वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 3 ए0टी0एस0 बद्दी, हरोली और नदौन में स्थापित किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में 5 ए0टी0एस0 स्थापित करने की मंजूरियां मिली हैं। ये ए0टी0एस0 कांगड़ा के रानी ताल, मंडी के कांगो, बिलासपुर, नालागढ़ तथा पांवटा साहिब में स्थापित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र के 2 ए0टी0एस0 रानीताल, कांगड़ा और कांगो, मंडी में कार्यशील हो चुके हैं जबकि अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 5 और ए0टी0एस0 स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें कांगड़ा के जसूर, डमटाल और पालमपुर, सिरमौर के काला अम्ब, कुल्लू के भुंतर तथा चम्बा के बनीखेत शामिल हैं। ए0टी0एस0 के माध्यम से फिटनेस जांच को पारदर्शी, वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर बनाया जा रहा है। इससे मैनुअल इंटरफेरेंस कम होगी और वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि अभी प्रदेश में ए0टी0एस0 की संख्या कम है। जब तक ए0टी0एस0 व्यापक स्तर पर स्थापित नहीं हो जाते तब तक प्रदेश में मैनुअल फिटनेस जारी करने के लिए सरकार पक्षधर हा और यह मामला भारत सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। हम भारत सरकार से इस मुद्दे पर भी सकारात्मक निर्णय की आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि हम भारत सरकार से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (ए0आई0टी0पी0) जिसकी निर्धारित आयु 15 वर्ष की गई है, के शुल्क को कम करने का आग्रह कर रहे हैं। दूसरा, मुद्दा राज्य की परिधि में चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के संबंध में है। प्रदेश की सीमा के भीतर चलने वाले वाहनों के परमिट की अवधि 15 वर्ष करने की व्यवस्था केंद्र सरकार को करनी है। लेकिन हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए इन्हें राहत देने के लिए यह निर्णय कर रहे हैं कि पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों की गाड़ियां जिनकी आयु 12 वर्ष से अधिक हो चुकी

27.08.2026/1210/DC/PB/2

है, उन्हें 15 वर्ष तक चलने दिया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के भीतर उनका कोई चालान नहीं किया जाएगा। हम प्रदेश के भीतर इन वाहनों की पासिंग की भी वैकल्पिक व्यवस्था का कोई-न-कोई हल ट्रांसपोर्टर्स और टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ बैठकर निकाल लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, म्यूचुअल फिटनेस के संबंध में आज भी हमारी टैक्सी ऑपरेटर्स से बात हुई है। जैसा मंत्री जी ने भी कहा है कि यह पोर्टल केंद्र सरकार का है और हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की सीमा के भीतर जो राहत दे सकते हैं, वह दे रहे हैं। यह पोर्टल केंद्र सरकार का है और ट्रांसपोर्टर्स ने भी माना है कि यदि केंद्रीय पोर्टल के मुताबिक या उनके कैमरों के माध्यम से कोई चालान हो जाता है तो उसका रिस्क उनका अपना है। हिमाचल प्रदेश का कोई अधिकारी या कर्मचारी इन गाड़ियों का चालान नहीं करेगा और हम इनकी पासिंग की व्यवस्था पूरी सुविधाओं के साथ करेंगे। उन्हें हमसे जो भी राहत चाहिए होगी हम इन्हें वह प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा मसला ए0टी0एस0 का है। हम केंद्र सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन्ज की संख्या बहुत कम है। जब तक ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन्ज की संपूर्ण प्रणाली विकसित नहीं हो जाती तब तक केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर मैनुअल तौर पर पासिंग की व्यवस्था जारी रखे। इस संबंध में हमने केंद्रीय मंत्री जी से पत्राचार किया था और हमें उनकी तरफ से रिप्लाई में कहा गया है कि वे इस बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसलिए इन तीनों मांगों में से ऑल इंडिया टैक्सी परमिट को 15 वर्ष तक किए जाने की हिमाचल प्रदेश की मांग पर केंद्र सरकार ने फैसला कर दिया है। हिमाचल की परिधि के भीतर जो गाड़ियां चलती हैं उन्हें हम चालान से मुक्त रखेंगे और उनकी पासिंग की व्यवस्था करेंगे। तीसरा, ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन्ज के साथ-साथ मैनुअल फिटनेस की व्यवस्था भी चल सके, इसके लिए हम केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमें इसकी अनुमति दी जाए। ये तीनों मसले केंद्र सरकार से गवर्न होते हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि हम केंद्र सरकार

से बातचीत कर रहे हैं और हमें इसका कुछ-न-कुछ सही हल जल्द निकलने की उम्मीद है।

अध्यक्ष श्री ए0पी0 के पास...

27.08.2026/1215/डी0सी0/ए0पी0-01

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये टैक्सी ऑपरेटर पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनके जो इश्यूज़ थे, वे जेन्युइन इश्यूज़ थे। प्रदेश सरकार ने पहले इन सारे विषयों को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया। पिछले कल रात को भारी बारिश में उनको जबरदस्ती वहां से उठाने का प्रयत्न हुआ और उनको उठाया भी गया। जब मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट सुन रहा था तो एक ही चीज को लेकर इनका प्रयास रहता है। किसी भी गलती या परेशानी के लिए केंद्र सरकार को दोष दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इनकी यह एक आदत बन गई है, इन्हें इससे बाहर आना चाहिए। जबकि केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया परमिट के लिए टैक्सियों की अवधि पहले ही 15 साल कर दी थी। जब केंद्र ने 15 साल कर दिया था तो आपको किसने रोका था? आपको भी 15 साल कर देना चाहिए था। आपने 12 साल क्यों रखी? आपको उसी समय तुरंत 15 साल कर देना चाहिए था कि केंद्र ने कर दिया तो हमको भी करना चाहिए। अगर ऐसा किया होता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। मुख्य बिंदु तो उनकी हड़ताल, स्ट्राइक और आंदोलन का था। दूसरा, में इस सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूं जो आपके ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन हैं। वे दो सौ-से-डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर की दूरी पर हैं। जब तक आप इनके नंबर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक टैक्सी ऑपरेटरों को परेशानी होती रहेगी। एक टैक्सी के परमिट को लेने के लिए उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट लेने के लिए 150-से-200 किलोमीटर का सफर करना है तो उनके लिए कितना परेशानी वाला काम है। यह बात आपके संज्ञान में पहले ही आनी चाहिए थी। फिर आपने इसको लेकर विलंब क्यों किया? अब मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि इस विषय पर आप तुरंत क्या करने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि मैनुअली

टेस्टिंग करेंगे। ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (ATS) में बहुत ज्यादा जुर्माना पड़ा रहा है। वहां इतनी बारीकी से गाड़ी की जांच होती है कि अगर आप नई गाड़ी भी वहां ले जाएंगे तो उसमें भी कई नुक्स निकाल दिए जाते हैं। दस-दस नुक्स जब निकलते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए टैक्सी ऑपरेटरों को हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह काम तुरंत करना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ

27.08.2026/1215/डी0सी0/ए0पी0-02

आप take up करेंगे तो it will take time. आप जल्दी-से-जल्दी इसके लिए कितना समय लगाएंगे ताकि मैनुअली टेस्टिंग जल्दी-से-जल्दी permissible हो जाए, मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा विषय वैकल्पिक पोर्टल का है। आपने कहा कि पोर्टल केंद्र सरकार का है। इस बात से हम सहमत हैं कि केंद्र सरकार ने पोर्टल को बहुत stringent किया है। लेकिन आपने अपनी व्यवस्था में जो बात कही है उसका प्रोविजन क्या है? इन दो-तीन चीजों को लेकर मैं क्लियर किया है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा होने के बाद, जब वे धरने पर बैठे, प्रदर्शन हुआ, रोष हुआ और आक्रोश हुआ, उसके बाद आप जाकर इन विषयों पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले तो आप सोए हुए थे। आपने विलंब किया, जिससे परेशानी हुई। हिमाचल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां के टैक्सी ऑपरेटरों की बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़ी फोर्स भी है। वे सारी चीजों पर इंपैक्ट डालते हैं और इलेक्शन पर भी इंपैक्ट डालते हैं। टूरिज्म के सिस्टम में भी उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए इन सारे विषयों को बहुत गंभीरता से समय रहते लेना चाहिए था। इस मामले में चूक हुई है।

उप-मुख्यमंत्री ः माननीय जय राम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। मैं समझता था कि पांच साल मुख्य मंत्री रहने के नाते उन्हें ट्रांसपोर्ट के नियमों, कानूनों और वैधताओं के बारे में पूरी जानकारी होगी। मुझे आज बहुत दुःख हो रहा है। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं! मुझे बड़ा दुख हो रहा है जिस ढंग से ये चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अब आप सुन लें।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.08.2026/1220/AT/HK/01

उप-मुख्यमंत्री जारी....

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हो रहा है जिस ढंग से चीज़ों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ...(व्यवधान)आपने अपनी बात रखी, मैंने चुप बैठकर सुनी। अब आप सुन लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, वह केंद्र सरकार ने कर दिया था। पहले तो इनको यह नहीं पता कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को बारह से पंद्रह साल करने का मसला हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह पर पूरे हिंदुस्तान में उठाया गया था। पूरे हिंदुस्तान में हमने यह मसला उठाया था और आप तो गडकरी जी के पास....(व्यवधान) आप सुनिए, अब आप सुनिए।

Speaker: Please, please सुनिये-सुनिये। Let the Hon'ble Deputy Chief Minister reply.

उप- मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये भी गडकरी जी के पास बराबर जाते हैं और ट्रांसपोर्ट के बारे में उनसे चर्चा भी कर सकते हैं और मामले के बारे में पूछ भी सकते हैं। हमने उनके...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमनें कब-कब पत्र लिखे, मैं माननीय जय राम ठाकुर जी को दे दूंगा। हमने कब-कब यूनियन गवर्नमेंट...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय उसके बाद कब-कब उनके पास मीटिंगों में गए, यह सब रिकॉर्ड मैं जय राम ठाकुर जी को दे दूंगा है। अब ये दोनों बातों को मिक्स कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि केंद्र ने कर दिया था, आपने क्यों नहीं लागू किया? ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जैसे ही केंद्र ने किया, हमारी नोटिफिकेशन भी साथ ही हो गई है। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, उसका कोई विवाद नहीं है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट केंद्र सरकार ने जारी किया और हमने भी इसकी नोटिफिकेशन कर दी है। उसके बाद 1039 गाड़ियां इसके तहत उनके पोर्टल पर भी दर्ज

हो। इसमें सिर्फ एक विवाद है कि केंद्र सरकार इसमें 20 हजार रुपये की फीस ले रही है और ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं कि इस फीस को कम किया जाए। यह फीस केंद्र सरकार ने कम करनी है। हमने यह मसला भी सेंटर के साथ उठाया है और हमने केंद्र को कहा है कि इस फीस को कम कर दें, क्योंकि यह ट्रांसपोर्टर्स के बस से बाहर की बात है। केंद्र सरकार इस पर भी गौर कर रही है।

27.08.2026/1220/AT/HK/02

जो बात यहां के ट्रांसपोर्टर्स अब कह रहे हैं, वह यह है कि जो हिमाचल की परिधि में चलने वाली गाड़ियां हैं, जो हिमाचल प्रदेश में चलती हैं और जो विदिन स्टेट चलती हैं, उनका समय 12 साल तक का है। वे उस नोटिफिकेशन में शामिल नहीं हुई हैं कि उनको भी 12 से 15 साल कर दिया जाए।

हमने यह मसला भी केंद्र के साथ उठाया है। हमने उनको पत्र भी लिखे हैं कि जो गाड़ियां प्रदेश की परिधि में चलती हैं, there can't be two set of rules in one state कि आप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों को 15 साल चलने दें और जो स्टेट की गाड़ियां हैं, उनको आप 12 साल रखें। हमने यह मसला केंद्र के साथ उठाया है और केंद्र इस पर विचार कर रहा है कि हमने इसको कब लागू करना है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो पोर्टल है, वह केंद्र सरकार का पोर्टल है। ये सारे ट्रांसपोर्टर्स जानते हैं कि उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। न हम उनकी फीस ले सकते हैं और न ही हम उनकी आयु बढ़ा सकते हैं। यह केंद्र का पोर्टल है और इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है इसलिए हम केंद्र से कह रहे हैं कि जो गाड़ियां प्रदेश की परिधि में चल रही हैं, उनको भी पंद्रह साल कर दें। केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है। इस संबंध में गडकरी जी का पत्र भी मेरे पास आया हुआ है। इस पर भी बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा इसलिए इनका यह कहना कि आप केंद्र पर डाल रहे हैं, यह इनकी आदत पड़ गई है। यह ऐसा मसला नहीं है। यह मसला बिल्कुल सेटल्ड है कि AITP यानी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट 12 से 15 साल का सेटल हो गया है और उसमें डिजिटल रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है।

दूसरा जो इन्होंने हमारे ध्यान में लाया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज प्रदेश के अंदर चलता है और उसके बारे में हमने यह कह दिया है कि जब तक केंद्र फैसला लेता है, तब तक हम अपनी एजेंसियों को कहेंगे कि इनकी गाड़ियों का चालान न करें। 12 से 15 साल के बीच की गाड़ियों को चलने दें और इनकी गाड़ियों की पासिंग की भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हम कर दें।

27.08.2026/1220/AT/HK/03

हम टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ पूरी तरह हैं। जो यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, इनको भी मालूम है कि यह मसला हिमाचल प्रदेश सरकार का नहीं है, यह केंद्र से ही जुड़ा हुआ मसला है। केंद्र फैसला करेगा, तभी गाड़ियां 12 से 15 साल तक चल पाएंगी। हम अपने टैक्सी ऑपरेटर्स को पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे मनाली...(व्यवधान) हमने कह दिया है ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वैसे तो ये मुख्य मंत्री रहे हैं। इनको मालूम है कि हमारा कोई भी आदेश वैधानिक तौर पर सही नहीं है, कानूनन तरीके से सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कह दिया कि ये हमारे लोग हैं, हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स हैं। इनको हिमाचल प्रदेश में बिना किसी रोक-टोक से 15 साल तक चलने दिया जाए। तब तक सरकार कोई न कोई फैसला ले लेगी। दूसरा, आपने ATS की बात कही। ATS का फैसला भी केंद्र सरकार की पॉलिसी है। भारत सरकार ने कहा है कि हम मैनुअल पासिंग नहीं होने देंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यहां वैठे हैं उनके फैसले के तहत ही ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1225/av/hk/1

उप-मुख्य मंत्री ------- जारी

यहां पर पूर्व परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। उनके फैसले के तहत ही ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन्ज लग रहे हैं। हमने नीतिन गडकरी जी से आग्रह किया, मेरे पास पत्र मौजूद है। हमने उनसे कहा है कि जब तक पूरे देश में ऑटोमैटिक टैस्टिंग स्टेशन्ज नहीं लग जाते

तब तक आप मैनुअल गाड़ियां चलने की अनुमति दें। उन्होंने उस संदर्भ में सकारात्मक रुख़ दिखाते हुए कहा कि हम इस बारे में जल्दी फैसला लेंगे। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का मकसद केवल हमें कोसना नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान) नहीं, आपका मकसद सिर्फ हमें कोसना नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि किसी मसले को इस ढंग से रखकर आपको थोड़ा-बहुत राजनैतिक फायदा मिलता हो, परंतु सच्चाई यही है कि पोर्टल केंद्र सरकार का है और इसमें कानून तथा नीतियां भी केंद्र सरकार की हैं। हम उसमें जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। वरना मैं आपको एक-एक पत्र भेज सकता हूं, आप उनको पढ़ने के बाद अपनी राय बनाना। इस प्रकार से राय बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

27.08.2026/1225/av/hk/2

शून्य काल

Speaker : Thank you. Now Zero Hours issue. Again, you see we have taken more than 25 minutes on one issue and now only 5 minutes are left for the Zero Hour. Anyway, today, I allowed. Now, I would request the Hon'ble Member Dr. Hans Raj, to raise his issue under Zero Hour.

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से सरकर से यह गुजारिश कर रहा हूं कि दिनांक 19 अगस्त, 2026 को एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। एक 36 वर्ष के युवा श्री नेगी राम जोकि एक ढाबा चलाता था, उसको बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया। उसका कत्ल किया गया है। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी परंतु उसके बावजूद हम उसी दिन सुबह वहां सपॉट पर पहुंचे थे। यह खुशनगरी पंचायत के अंतर्गत ढांजू नाले के पास हुआ है। ये कुल चार भाई हैं और इनकी धर्म पत्नी व दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। 19 अगस्त से लेकर आज 27 अगस्त हो चुका है, पुलिस ने इसमें कोशिश भी की है। वहां पर एक मोबाईल फोन भी मिला था जिसमें सिम

नहीं थी, ऐसा पुलिस द्वारा बताया गया है। लेकिन जिस तरह से उसका ब्रूटली मर्डर किया गया है क्योंकि कुल्हाड़ी से उसके सिर के टुकड़े किए गए थे, मैं आपको उसकी पिक्चर भी भेज सकता हूं यानी उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसको देखकर मैं खुद रो पड़ा था और मेरी धर्म पत्नी भी साथ थी क्योंकि हम शिमला ही आ रहे थे। लेकिन सुबह 06.15 बजे फोन आया कि एक डैड बोडी मिली है। रात को 09.30-10.00 बजे तक वह अपने ढाबे पर ही था। उसके बाद वह वहां से किसी व्यक्ति के साथ गया। उस व्यक्ति की इंटैरोगेशन तो हुई है परंतु उसने कहा कि मुझे ड्रोप करने के बाद पता नहीं वे क्यों उस रास्ते पर चले गए। वहां शाली गांव है और बीच में बेरास्यूल नाला आता है। यह उसके सामने ही है, हम नाले में एक किलोमीटर नीचे गए थे। मेरा यह अनुरोध है कि जिस तरह से उसको मारा गया है ऐसी प्रैक्टिस हिमाचल में पहले कभी नहीं हुई है। हम चिन्तित ही इसलिए हैं कि चुराह, चम्बा या हिमाचल में पहले कहीं भी किसी को इस तरह से कभी नहीं मारा गया क्योंकि उसकी बोडी को देखकर रुह कांप सकती है। हालांकि वहां पर डी0एस0पी0 साहब भी गए और एस0एच0ओ0 भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। परंतु

27.08.2026/1225/av/hk/3

उसमें जो 3-4 कल्प्रिट लोग हैं, वे कैसे निकल सकते हैं। उनको तो पुलिस ही निकाल पाएगी। उसमें जो 3-4 लोग इंवॉल्व हैं, उनका पकड़ा जाना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे तो कोई पशु हत्या भी नहीं करता, चाहे कोई बूचड़खाना ही चलाता हो परंतु इस तरह से कोई नहीं मारता। इसलिए सारी स्थिति को देखते यह विषय उठाना बहुत जरूरी था। श्री नेगी राम बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। मैंने जैसे कहा कि वह एक ढाबा चलाता था। उसके पीछे दो छोटे-छोटे बच्चे रहे गए तथा उसके मां-बाप व बाकी भाई भी उसी पर आश्रित थे। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरा परिवार अस्त-व्यस्त हो चुका है। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री स्वयं इंटरवीन करें और स्पेशल डायरेक्शन दें कि अपराधियों को यथा-शीघ्र पकड़ा जाए।

मुझे इतना ही कहना था, आपका धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन के अंदर एक बहुत ही गम्भीर बात रखी है। एक व्यक्ति श्री नेगी राम जोकि ढाबा चलाता था, उसकी हत्या कर दी गई है।

टी सी द्वारा जारी

27.08.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
मुख्य मंत्री.... जारी

इस मामले में कुछ लोग पकड़े गए हैं तथा यह भी कहा जा रहा है कि इसमें कुछ और लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या हुई है उसके संबंध में **मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त-से-सख्त कार्रवाई करेगी तथा कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।**

इसके अतिरिक्त जो अन्य लोग इस मामले में सम्मिलित हैं उनकी भी पूरी जांच की जाएगी। आज ही मैं डी0जी0पी0 को निर्देश दूंगा कि इस मामले में पूरी तह तक जाकर इसमें संलिप्त सभी लोगों की पहचान करें तथा यह पता लगाएं कि हत्या किस प्रकार हुई और इसके क्या कारण थे। इस मामले में एस0आई0टी0 गठित करने के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया जाएगा क्योंकि पहले हत्या के वास्तविक कारण का पता लगाना आवश्यक है। जब इस प्रकार की निर्मम हत्या होती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस संबंध में भी आपको जरूर अवगत करवाया जाएगा। यदि आप इस विषय में कुछ और भी जानकारी देना चाहेंगे तो मैं डी0जी0पी0 को निर्देश दूंगा कि वह आपसे पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। मैं आज ही इस संबंध में दिशा-निर्देश दे दूंगा। धन्यवाद।

शून्य काल समाप्त।

अध्यक्ष : अभी 14 और विषय हैं। Now, we will take up all these fourteen issues in the next Zero Hour. ...(व्यवधान) आज और भी बहुत सारे विषय हैं। सोमवार को जब

माननीय सदन का सत्र होगा तो इन विषयों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करेंगे तथा इसके बाद आने वाले विषयों को क्रमशः आगे लिया जाएगा।

27.08.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 17वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

Shri Anil Sharma : Mr. Speaker, Sir, with your permission, I present and lay on the Table of the House a copy each of the Reports of the Committee on Public Accounts:-

27.08.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

1. समिति का 173वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) पर बने समिति के 31वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

2. समिति का 251वां मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) पर बने समिति के 343वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

3. समिति का 74वां मूल प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) पर बने समिति के 337वें कार्रवाई प्रतिवेदन (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है; और

4. समिति का 102वां मूल प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) पर बने समिति के 40वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" पर आधारित तथा लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का 81वाँ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) पर बने समिति के 46वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष
2.

27.08.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-4

2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का अष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर बने समिति के 27वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2025-26) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण" तथा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सीमित से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष : अब श्री मोहन लाल ब्राक्ट , सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति, के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(1) समिति का 51वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि जनजातीय विकास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

3. समिति का 52वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि हि0 प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संवीक्षा पर आधारित समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित है।

27.08.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-5

अध्यक्ष : अब श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2026-27), समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन जोकि पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति (वर्ष 2026-27), समिति का 20वां मूल प्रतिवेदन जोकि पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य समिति, सामान्य विकास समिति, के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सामान्य विकास समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

(1) समिति का 22वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का अग्रेत्तर कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 26-पर्यटन और नागर विमानन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

27.08.2026/1230/टी0सी0वी0/वाई0के0-6

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। These are very important issue, but I would request the movers to be very specific and very brief about their issues. सबसे पहले माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा उसके उपरांत मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी, if you want any clarification, you can seek that clarification with the permission of the Chair. Let us be very quick on the subject.

श्री हरदीप सिंह बावा, एन0एस0 द्वारा .... शुरू

27-8-2026/1235/NS-YK/1

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अंतर्गत मैं आपकी अनुमति से "शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट के संचालन और लीज अवधि के विस्तारीकरण से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम-62 के तहत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव माननीय सदन में रखा है उसका विषय बहुत महत्वपूर्ण है और स्थिति बहुत गंभीर है। इस संबंध में मैंने आपके साथ भी विस्तार से चर्चा की है। आप इस माननीय सदन के बहुत पुराने सदस्य रहे हैं। नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र व बी0बी0एन0 में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो इसके बारे में मैं इस माननीय सदन में विस्तार से बताना चाहता हूं। लगभग वर्ष 1981 में बद्दी-बरोटीवाला-

नालागढ़ एरिया में औद्योगीकरण शुरू हुआ। मुख्य रूप से बद्दी और बरोटीवाला एरिया ज्यादा डवलप होना शुरू हुआ। हमें वर्ष 2003 में केंद्र सरकार से एक्साइज पैकेज मिला। उस समय उस एक्साइज पैकेज का लाभ लेने के लिए पूरे देश से विभिन्न औद्योगिक घराने और इंडस्ट्रियल हाउसिस के लोग उस एक्साइज पैकेज के एवज में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ और हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों जिनमें मुख्य रूप से सोलन, सिरमौर, ऊना तथा यहां तक कि कांगड़ा भी शामिल है तो वहां भी औद्योगीकरण हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में वर्ष 2003 से 2007 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, वर्ष 2007 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वर्ष 2012 से 2017 तक दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और वर्ष 2017 से 2022 तक पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। विभिन्न सरकारों ने औद्योगीकरण के लिए अपने-अपने स्तर पर जो कुछ किया जा सकता था उसको किया है, चाहे इंडस्ट्रियल पैकेज को इंक्रीज करने की बात रही हो या रेवेन्यू, इंडस्ट्री तथा अन्य विभागों की ओर से परमिशन्स देने की बात रही हो तो सभी विभागों ने अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने कार्य किए।

(श्री अनिल शर्मा, सभापति पदासीन हुए।)

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में औद्योगीकरण होने के कारण प्राइवेट भूमि की कीमतों में भी उछाल आया और लोगों की जमीनों के रेट बढ़े। उद्योगों के माध्यम से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में बहुत-से लोगों को डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट

27-8-2026/1235/NS-YK/2

रोजगार मिलना शुरू हुआ। आज बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में फार्मास्यिूटिकल यूनिट्स, नॉन-फार्मास्यिूटिकल यूनिट्स, टैक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, सीमैंट इंडस्ट्रीज, एथनॉल इंडस्ट्रीज, मेडिकल डिवाइसिज और स्टील इंडस्ट्रीज सहित हर प्रकार की इंडस्ट्री स्थापित है। मैं कहूंगा कि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं होगी जो बी0बी0एन0 क्षेत्र में स्थापित न हुई हो। यह अच्छी बात है कि लोगों को रोजगार मिला। केवल इस क्षेत्र

के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के लोगों को भी हमारे क्षेत्र में रोजगार मिला है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि मैंने बहुत पुराना आंकड़ा नहीं लिया है। हाल ही के दो से चार वर्षों का आंकड़ा लिया है। टैक्स के रूप में जी0एस0टी0, सैंट्रल एक्साइज तथा स्टेट एक्साइज को पैसा आता है। मैं इस मुद्दे को आंकड़ों के साथ सदन में रखना चाहता हूं इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो आंकड़ों पर आधारित न हो।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

वर्ष 2022-23 में 825,2,55,817/- रुपये एक्साइज में जी0एस0टी0के तहत

आर0के0एस0 द्वारा-----जारी

27.08.2026/1240/RKS/AG-1

श्री हरदीप सिंह बावा जारी..

केंद्र से राज्य सरकार को प्राप्त हुए। वर्ष 2023-24 में 756,68,87,534/- रुपये प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेंट्रल एक्साइज तथा स्टेट एक्साइज के माध्यम से 693,53,38,460/- रुपये प्राप्त हुए। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 26 जून, 2025 तक मात्र तीन महीनों में 112,97,70,187 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक्साइज तथा सेल टैक्स से प्राप्त होने वाली इस बड़ी राजस्व राशि का प्रमुख स्रोत हमारे क्षेत्र में स्थापित उद्योग हैं। आमतौर पर जब बी0बी0एन0 का नाम लिया जाता है तो बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र का उल्लेख किया जाता है लेकिन नालागढ़ एक अलग विधान सभा क्षेत्र है और दून अलग विधान सभा क्षेत्र है। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां लगभग 20 से 25 प्रतिशत उद्योग स्थापित हैं। वहां तीनों सीमेंट कंपनियों के प्लांट स्थापित हैं। चाहे अल्ट्राटैक हो, अंबूजा हो या ए0सी0सी0 सीमेंट प्लांट हो, ये सभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थापित हैं। अंबूजा और ए0सी0सी0 कंपनी के मालिक अदानी हैं। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किए

जा रहे हैं। इनमें से एक फंक्शनल हो चुका है, दूसरा शीघ्र फंक्शनल होने वाला है तथा तीसरे में भूमि डवलपमैंट का कार्य चल रहा है। ये तीनो एथेनॉल प्लांट मेरे विधान सभा क्षेत्र में लग रहे हैं। आज मैंने नियम-62 के अंतर्गत शिवालिक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट का विषय सदन के समक्ष उठाया है। मैंने विभाग से यह जानकारी मांगी थी कि नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम माजरा में संचालित शिवालिक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट की स्वीकृत क्षमता तथा वर्तमान में प्रतिदिन प्राप्त अपशिष्ट की मात्रा कितनी है? यह अपशिष्ट किन-किन उद्योगों, नगर निकायों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जा रहा है। इसके उत्तर के 'क' भाग में कहा गया है कि शिवालिक सॉलिड वेस्ट ट्रीटमैंट प्लांट की कुल स्कवेर लैंडफिल क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान में इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 130 से 140 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट प्राप्त हो रहा है। मुझे प्राप्त उत्तर से यह भी जानकारी मिली कि वर्तमान में लगभग 2662 उद्योगों से यह अपशिष्ट इस प्लांट में पहुंच रहा है। यह केवल बी0बी0एन0 क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश से प्राप्त होने वाला अपशिष्ट यहां लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि लगभग 601 प्रकार का हैज़र्डस वेस्ट इस प्लांट में

27.08.2026/1240/RKS/AG-2

प्राप्त हो रहा है। इन 601 प्रकार के हैज़र्डस वेस्ट में मुख्य रूप से ई0टी0पी0 स्लज, ई0टी0पी0 ड्राई स्लज, ए0टी0एफ0डी0 सॉल्ट, फिल्टर वेस्ट, कंटेमिनेटिड प्लास्टिक ड्रम तथा कंटेमिनेटिड क्लॉथ आदि शामिल हैं। इस ट्रीटमैंट प्लांट में डेट एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स, चिमनी ऐश, वेट स्लज, कैमिकल स्लज, ऑयल फिल्टर वेस्ट तथा कंटैमिनेटिड पी0पी0 कैन जैसे लगभग 600 प्रकार के हैज़र्डस प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस प्लांट को स्थापित हुए लगभग 18 वर्ष हो चुके हैं और यह बात उत्तर के 'ख' भाग में दर्शाई गई है। इस प्लांट के लिए वर्ष 2006 में भूमि आबंटित की गई थी।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

27.08.2026/1245/बी.एस./ए.जी.-1

श्री हरदीप सिंह बावा जारी...

उस समय उस क्षेत्र के लोगों और उस गांव के लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि किस तरह का प्लांट वहां स्थापित किया जा रहा है। लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। हालांकि वहां से आबादी केवल 50 मीटर की दूरी पर है और माजरा पंचायत का माजरा गांव घनी आबादी वाला क्षेत्र है।

वर्ष 2006 में लगभग 151 बीघा भूमि इस प्लांट के लिए दी गई और वर्ष 2009 में यह प्लांट फंक्शनल हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से मैं सरकार से इस विषय में आग्रह करना चाहता हूं। मैंने इस बारे में मंत्री जी से चर्चा की है और मुख्य मंत्री जी से भी चर्चा की है। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे दो बार नहीं बल्कि तीन बार फोन करके स्वयं यह कहा कि मैं खुद उस क्षेत्र में आना चाहता हूं। किसी कारणवश शायद वह नहीं आ पाए लेकिन आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आफ्टर सेशन आई बिलीव मंत्री जी स्वयं उस क्षेत्र में आएंगे।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि आज उस क्षेत्र के लोग इस प्लांट के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। आज टेम्परेरी इंजंक्शन हाईकोर्ट से मिला है। लगभग 500 मीटर दूर 100 से अधिक महिलाएं और बच्चे उस प्लांट के बाहर बैठे हैं।

हालात यह हैं कि उस ट्रीटमैंट प्लांट में हैजार्डस वेस्ट आ रही है और इतना पॉल्यूशन हो गया है कि आज लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे समक्ष एक ऐसा मामला आया जिसमें एक व्यक्ति जो इसी प्लांट में काम करता था उसे कीड़े पड़ गए। स्थिति इतनी भयानक है कि उस गांव के लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हैं और कैंसर तो आम हो गया है। हर दूसरे-तीसरे घर में कैंसर का मामला है। वाटर कंटैमिनेशन हो गई है और स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह गुजारिश है कि इस प्लांट के संबंध में विभाग से मुझे जवाब मिला है उसमें कहा गया है कि इस भूमि को दिनांक 18 नवंबर, 2006 को निष्पादित पट्टा अभिलेख के अनुसार 50 वर्षों के लिए शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट

27.08.2026/1245/बी.एस./ए.जी.-2

लिमिटेड को दिया गया है। यह बहुत जरूरी बिंदु है सर, जिसमें 20 वर्ष का समय सयुत्र के संचालन के लिए है जो अवधि वर्ष 2028-29 में लगभग पूरी हो रही है और उसके बाद 30 वर्ष का समय पोस्ट क्लोजर मैंटेनेंस के लिए रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो प्लांट शिवालिक कंपनी चला रही है उनका कहना है कि इस सुविधा में अभी तक केवल चार लाख मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट प्राप्त हुआ है which is one fifth what they had expected. जबकि केंद्र की कुल प्रचलित क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन है।

उनका कहना है कि अभी हमें केवल चार लाख टन अपशिष्ट प्राप्त हुआ है और हमारी क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन की है इसलिए हमें इसे आगे चलाने की परमिशन दी जाए। अध्यक्ष महोदय, जब इसकी अवधि as per the agreement 20 वर्ष के संचालन की निर्धारित है और उसके बाद 30 वर्ष का पोस्ट क्लोजर मैंटेनेंस होना है तो यह विचार करना आवश्यक है कि कितना अपशिष्ट प्राप्त होगा और कितना नहीं हुआ इस पर न जाकर अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा चाहिए और यह प्लांट आगे नहीं चलना चाहिए। अगर चलना है, अध्यक्ष महोदय, शिवालिक सॉलिड वेस्ट को लेकर चण्डीगढ़ में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। वहां भी प्रोटेस्ट हुए और धरने हुए तथा बहुत कुछ हुआ। वहां की सरकार को अंततः इसे शिफ्ट करना पड़ा। जब इसकी अवधि समाप्त हो रही है और आप 30 साल के लिए इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं तो इसे आगे लीज देने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए इसे आगे चलाने की अनुमति न दी जाए क्योंकि मैंने यह भी जानने का प्रयास किया है कि गांव माजरा

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

27.08.2026/1250/DT/AS-1

श्री हरदीप सिंह बावा जारी.....

सहित अन्य पंचायत का प्रस्ताव ध्यान में रखते हुए कम्पनी की लीज संचालन अवधि का विस्तार न करने के संबंध में क्या विचार रखती है। इसमें मुझे जो जवाब मिला है उसमें कहा गया है: "कि कम्पनी की लीज संचालन अवधि के विस्तार संबंधी मामला विचाराधीन है"। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह शिवालिक सॉलिड वेस्ट प्लांट एक ही प्लांट नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की पूरी फार्मा तथा नॉन-फार्मा इंडस्ट्री का सारा वेस्ट मेरे विधान सभा क्षेत्र में आ रहा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज हैं।

Speaker : This is specifically for this only.

Shri Hardeep Singh Bava : Yes, Hon'ble Speaker, Sir, this is specifically for this but there are other plants. मेरे यहां तीन एथलॉन प्लांट भी स्थापित हुए हैं और उससे जो दिक्कतें आ रही हैं उससे भी वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। इसके साथ-साथ ब्लड ड्रग प्लांट भी है जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, वह भी है। आज जो कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत, चाहे वह किन्विन इंडस्ट्री हो जिसे एक रुपये प्रति मीटर लीज के रूप में भाजपा की सरकार के समय यह लैंड दी गई थी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका इश्यू आ गया। Thereafter you seek clarification if you want.

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मैं जो क्लेरिफिकेशन चाहता हूं।

अध्यक्ष : अभी बाद में करना न। अभी माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

श्री हरदीप सिंह बावा : जी, सर।

Speaker : Your issue has come. माननीय उद्योग मंत्री महोदय,

27.08.2026/1250/DT/AS-2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय हरदीप बाबा जी ने अपने चुनाव क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस सदन में रखा है। इन्होंने तारांकित प्रश्न का उत्तर जो इन्हें दिया गया है उससे संतुष्ट न होने के उपरांत ही इन्होंने नियम 62 के अंतर्गत इस मामले को सदन में रखा है। इन्होंने वैसे भी नीजि तौर पर मुझे कई बार अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में जिक्र किया है और I am aware of it and he is facing the people of that area and the people of that are a grave problem. जैसे इन्होंने विस्तार से बताया है उस डिटेल में अब नहीं जाना चाहूगा । वर्ष 2006 में हाईकोर्ट के आदेशानुसार जब हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल पैकेज आया और जिसके कारण ही प्रदेश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आईं तो उनके वेस्ट के डिस्पोजल के लिए क्या किया जाए? यह प्लांट on the recommendation of the High Court के बाद लगा है। इसमें इंडस्ट्रीज के कुछ लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था कि हैजार्डस वेस्ट तथा सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल किया जा सके इसलिए वह साइट सलैक्ट की गई थी और यह चलता रहा है। यह जमीन 50 वर्ष की लीज शिवालिक को पट्टे पर दी गई है तथा पूरे हिमाचल प्रदेश का सॉलिड वेस्ट चाहे उसमें हैजार्डस वेस्ट भी सारा का सारा वहां पर ही आता है। अब यह काफी समय से यह चल रहा था लेकिन अब जो समस्या खड़ी हुई वह यह है कि वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज ने वहां लिक्विड वेस्ट भी वहां पर डालना शुरू कर दिया। लिक्विड वेस्ट डालने की वजह से सीपेज के माध्यम से या पानी के माध्यम वह उस प्लांट में जाता है जिसके कारण वहां स्मेल आती है। जैसे वहां पर जो किन्विन इंडस्ट्री वह कैल्शियम कार्बोनेट की इंडस्ट्री है तथा ए0पी0आई0 इंडस्ट्री है और यह इंडस्ट्रीज बहुत हैजार्डस होती हैं। उन्होंने उस प्लांट में लिक्विड वेस्ट डालना शुरू किया और इन्होंने एतराज किया। यह बात इन्होंने मुझे भी कही थी और प्रशासन से भी इसके बारे में बात की थी। हमनें लिक्विड डिस्पोजल वेस्ट को डालने के लिए मना कर दिया है। अब वहां पर केवल सॉलिड डिस्पोजल ही हो रहा है लेकिन सॉलिड डिस्पोजल में भी लोगों को स्मेल आ रही है। आसपास लगभग 200-300 मीटर में आबादी का क्षेत्र है और जो लोग वहां रहते हैं उनको भी स्मेल के कारण दिक्कत हो रही है। हमने कहा कि इसको बैठकर इसका समाधान करेंगे क्योंकि इसमें तरह-तरह का डिस्पोजल डाला जा रहा है, लगभग कई किस्म का हैजार्डस वेस्ट ही इस प्लांट में डाला जाता है। अब इनमें से किस

वेस्ट से स्मेल आ रही है उसको हम we will scrutinize and we will try to shift that जो वेस्ट है, जो स्मेलिंग वेस्ट है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि अब हमें नए साइट सलैक्शन की प्रक्रिया करनी होगी तब तक इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

27.08.2026/1250/DT/AS-3

अब माानीय सदस्य और वहां की स्थानीय जनता चाह रही है कि इसको बंद किया जाए लेकिन बंद करना तो संभव नहीं है क्योंकि यह बंद तो नहीं हो पायेगा। क्योंकि इसको बंद करने के लिए हमें एक long-term plan बनाना पड़ेगा। हमें एक नई साइट का सलैक्शन करना पड़ेगी और उसमें इन्वेस्टमैंट का प्लान करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा कि इसे शिफ्ट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर निकट भविष्य में पांच-छह वर्ष में यह नहीं होगा लेकिन हमें अभी एक नए सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए साइट का चयन करना पड़ेगा। हम नई साइट का चयन करके अल्टरनेट भी देखेंगे ताकि आने वाले समय में लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए इसको अगर शिफ्ट करने की नौबत आती है तो उस स्थिति में इसको शिफ्ट किया जा सके। हम भी मानते हैं कि वहां पर लोगों को इससे दिक्कत हो रही है और लोगों की इस समस्या का समाधान करना जरूरी है।

साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी के आदेशों के अनुसार हमने हिमाचल प्रदेश में एथनॉल के जो प्लांट लगे हैं, क्योंकि एथनॉल बहुत ही स्मेलिंग करता है, उसका डिस्पोजल

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1255/ए.एस.-एन.जी./1

उद्योग मंत्री.......... जारी

या फ्लिंट का डिस्पोजल जो है, वह बहुत स्मैल और ग्राउंड को बहुत डाउन तक प्रेरिट्रेट करता है। हम हिमाचल प्रदेश में नए एथेनॉल प्लांट नहीं लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जो

बिजली कंज्यूमिंग यूनिट्स हैं, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में जब इंडस्ट्रियल पैकेज आया तब सरिया के बहुत सारे यूनिट्स आए। एक सरिया का यूनिट 50 मेगावॉट बिजली को कंज्यूम कर रहा है और कुछ तो 100-100 मेगावॉट बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास इतनी बिजली नहीं है कि हम इन इंडस्ट्रीज को बिजली दे पाएं। इसलिए हम ऐसे यूनिट्स को, जो पावर कंज्यूमिंग हैं और जो हैजल्स वेस्ट या एथेनॉल वाले हैं, जो पानी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं—एथेनॉल वाले प्लांट तो जमीन से बहुत ज्यादा पानी लेते हैं।

अध्यख : मंत्री जी, ऐसे प्लांट्स एयर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन और वॉटर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एथेनॉल के प्लांट्स लगभग 5 से 10 लाख लीटर ग्राउंड वॉटर को यूज करता है, वह भी हर दिन। We are now discouraging it, and I assure the Hon'ble Member कि आपकी जो समस्या है, उसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है और हम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इंडस्ट्री वाले मिलकर के we will again visit it and we will try to solve this problem.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा, आप बोलिए पर be specific please.

Shri Hardeep Singh Bawa : Sir, I am really grateful and thankful to the Hon'ble Industries Minister कि आपने इस इश्यू को गंभीरता से सुना और इसको समझा। क्योंकि जब तक एक मंत्री के तौर पर आप विषय को समझेंगे नहीं, तब तक उसको हल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

27.08.2026/1255/ए.एस.-एन.जी./2

दूसरी बात, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ 20 से 25 प्रतिशत इंडस्ट्रीज हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रीलाइजेशन हुआ है, लेकिन वह सारा दून विधान सभा क्षेत्र की ओर हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है और पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। हम पानी के कितने बोर करें?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो बात यहां पर कही और मेरी भी बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोगों के साथ, जो इस प्लांट में भी शायद शेयरहोल्डर्स भी हैं, उनसे भी मेरा विचार हुआ है। मैं भी जानता हूं कि इस प्लांट को एकदम से उठा के तो कहीं पर नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन जैसे मंत्री जी ने कहा कि सरकार सिलेक्शन ऑफ न्यू साइट के लिए विचार कर रही है तो यह बहुत ही सराहनीय कदम होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसे एकदम से बंद करना तो ठीक नहीं होगा लेकिन जब भी न्यू साइट का सिलेक्शन हो तब यह ध्यान में रखा जाए कि वह आबादी से दूर हो।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मंत्री जी से ऐसा कहिए कि जब तक साइट का सिलेक्शन नहीं होता, तब तक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉयल पॉल्यूशन को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको ऐमिकेबली देखे।

27.08.2026/1255/ए.एस.-एन.जी./3

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात माननीय मंत्री ने लिक्विड वेस्ट को लेकर कही। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर लिक्विड वेस्ट के लिए अलग से CTP प्लांट है, जोकि BBNIA का है और बद्दी में स्थापित है। मेरा कहना है कि वहां लिक्विड वेस्ट भेजने के बजाय इस प्लांट में भेज दें।

Speaker : Hon'ble Member, this is called violation of agreement and they should be penalized for that. भेजे नहीं, they should be penalized. The Pollution Control Board should look into all this.

Shri Hardeep Singh Bawa : Sir, Pollution Control Board should look into all this. अध्यक्ष महोदय, एफ0आई0आर0 भी हुई हैं और हम भी कितनी एफ0आई0आर0 करें? मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि यह कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत जो इंडस्ट्रीज को इतनी बड़ी रियायत दी है, मेरी जनाब से गुजारिश है कि अगर कहीं पर कोई ऐसा यूनिट लग रहा है तो लोकल एरिया की पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष : चलो, वह तो आगे की बात है।

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008, 2009 और वर्ष 2010 में मेरे क्षेत्र के बघेरी में जे0पी0 थर्मल प्लांट लगाने जा रहा था।

Speaker : This doesn't pertain to this site.

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, अंत में, जहां मैं आपका धन्यवाद करता हूं, वहीं मैं सरकार का और माननीय उद्योग मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय को गंभीरता से सुना और इसके लिए आने वाले समय में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

27.08.2026/1255/ए.एस.-एन.जी./4

Speaker : Hon'ble Member, let me tell you that this is a very important issue. I am stating it and bringing it on record. In any case, the issue is raised now and this is pertaining to the pollution, air pollution, water pollution, soil pollution, and the people are agitating over there. If the pollution control board doesn't take any action, I will straightway taking action against them. **If the**

Environment Minister or the Industries Minister, if they don't take action, I will be visiting the site and will be taking the action.

Shri Hardeep Singh Bawa : Hon'ble Speaker, Sir, I am really grateful to you. अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जल्दी ही वहां विजिट करें और शिवालिक सॉलिड वेस्ट प्लांट के बाहर आएं और वहां के लोगों को मिलें तथा उनका दुख समझें

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.08.2026/1300/DC/PB/1

श्री हरदीप सिंह बावा जारी...

तथा मॉनसून सत्र के बाद शीघ्र ही इस समस्या का निपटारा करने का प्रयास करें।

अध्यक्ष : उद्योग मंत्री जी।

उद्योग मंत्री : मैं माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा जी की पीड़ा से बिल्कुल सहमत हूं। मैंने विस्तृत रूप से कहा है कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा but it is going to take time.

अध्यक्ष महोदय, आप जो यह कह रहे हैं कि you will take action ...(interruption).

अध्यक्ष : मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेरयमैन रह चुका हूं इसलिए मैंने यह बात कही है।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप हमारी पावर को करटेल न करें।

अध्यक्ष : मैं आपकी पावर करटेल नहीं कर रहा हूं। मैं स्वंय देखूंगा क्योंकि this is very important issue related to the public. I will be visiting the site. ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा जी अब आपने और क्या बोलना है। When I have interrupted and assured the Hon'ble House that the Vidhan Sabha itself will take the cognizance of this issue then what do you want to say. ...(Interruption). माननीय सदस्य श्री हरदीप बावा जी अपनी बात संक्षिप्त में कहिए।

श्री हरदीप सिंह बावा : Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे केवल एक गुजारिश है कि वर्ष 2028 या वर्ष 2029 में प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार रहे, मैं चाहता हूं कि इस विषय को आगे बढ़ाया जाए।

27.08.2026/1300/DC/PB/2

अध्यक्ष : वर्ष 2028-29 में भी लोग होंगे, सदस्य भी होंगे और सरकार भी होगी। You will also be there and I will also be there. Next issue under Rule-62 is from Hon'ble Member Shri Satpal Singh Sattiji. I request you to raise the issue.

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम-62 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में विद्युत कार्यों के ठेके इलैक्ट्रिकल ठेकेदारों को न मिलने तथा इलैक्ट्रिकल विंग को सिविल विंग में समाहित करने से उत्पन्न स्थिति बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग वर्ष 1972-73 में स्थापित हुआ था। तभी से आज तक इलेक्ट्रिकल विंग भी साथ-साथ चलता रहा है। उनकी एनलिस्टमैंट अलग से होती है और सिविल विंग की एनलिस्टमैंट अलग से होती है। बिल्डिंग के अंदर होने वाले समस्त कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार के टैंडर होते हैं। एक सिविल ठेकेदारों के लिए होता है जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और दूसरा इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए होता है। बिल्डिंग के अंदर होने वाला इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्थापित इलेक्ट्रिकल विंग के माध्यम से टैंडर किया जाता है। इस विंग में छोटे कर्मचारियों से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर तक के

अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। इस बीच एक-दो बार ऐसा विषय सामने आया कि दोनों विंग को इकट्ठा करके क्लब कर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के लोग वर्ष 2023 में आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे। उस समय उन्होंने इसे विड्रॉ किया था। लेकिन अब दोबारा दिनांक 19 मई, 2026 को एक अधिसूचना जारी हुई है कि किसी भी बिल्डिंग के सभी कार्यों का इकट्ठा एक ही टैंडर होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक साथ टैंडर होने के कारण समस्या यह आ रही है कि जो बड़े ठेकेदार हैं और विशेष रूप से बाहर के ठेकेदार हैं वे ऐसे कार्य अपने हाथ में ले रहे हैं। एसोसिएशन के लोगों ने मुझे इसके उदाहरण भी दिए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सब्जी मंडी की एक बिल्डिंग बन रही है। वहां दिल्ली से कोई बड़ा ठेकेदार आया है, जिसे उन्होंने बंसल एण्ड कम्पनी बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि शायद दिल्ली का सदन भी इसी कम्पनी ने बनाया है। उन्होंने दूसरा उदाहरण हमीरपुर बस स्टैंड का दिया है। उनके अनुसार उसका लगभग 200 करोड़ रुपये का सिविल और

27.08.2026/1300/DC/PB/3

इलेक्ट्रिकल दोनों प्रकार का कार्य एक ही ठेकेदार के पास है। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि हम लोग क्लास-1 ठेकेदार हैं और लगभग 40-50 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ये लगभग 500-600 ठेकेदार हैं और इनका एक अलग इलेक्ट्रिकल विंग इन कार्यों को करता है।

अध्यक्ष महोदय, जब इन सभी कार्यों को क्लब करके एक ही टैंडर कर दिया जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रिकल विंग के अधिकारियों और कर्मचारियों का क्या होगा? हमारे ये 400-500 ठेकेदार भी प्रभावित होंगे। इन ठेकेदारों का एक प्लस प्वाइंट यह है कि ये हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। इनके साथ जितने भी लोग काम करते हैं चाहे लेबर या इलेक्ट्रिकल या अन्य कार्य हो वे भी हिमाचल प्रदेश के ही लोग हैं क्योंकि वे यहीं के निवासी हैं। अब यदि दिल्ली, चंडीगढ़ या पंजाब से कोई ठेकेदार आएगा तो उसके साथ उसका पूरा सिस्टम भी आएगा।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1305/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी .....

हमारा यह सारा सिस्टम बेकार हो जाएगा और हमारे बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो पुरानी व्यवस्था है, उसको भी हम जारी रखें। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को साथ बैठकर दूर करें। उनमें एक्सपर्टीज़ कैसी हो सकती है, उनमें ऑग्मेंटेशन कैसे हो सकता है। उनको ट्रेन कैसे किया जा सकता है क्योंकि ये अपने लोग हैं, छः,सात सौ-से-आठ सौ के करीब लोगों है। बाकी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वे भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय यहा नहीं हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करूंगा ताकि वे भी इस पर पुनर्विचार करते हुए, इनके हितों का ध्यान रखें और हिमाचलवासियों के रोजगार का ध्यान रखें, धन्यवाद।

Speaker : This is very important issue. मेरे ख्याल में, अगर सदन इजाज़त दें तो लंच के बाद हम इसका जवाब लें सकते है। फिर इसमें आपने क्लैरिफिकेशन भी लेनी है।

The House adjourns for the lunch break and we will reassemble at 2'O clock.

27.08.2026/1400/AT/HK/01

(सदन की बैठक 2.10 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई।)

अध्यक्ष : अब माननीय लोक निर्माण मंत्री, ऑथोराइज्ड माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री नियम 62 के अंतर्गत हुई चर्चा का जवाब देंगे।

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 62 के अंतर्गत माननीय श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां पर रखा है, वह लोक निर्माण विभाग में इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों को काम न मिलने से हो रही परेशानी तथा इलेक्ट्रिकल विंग को सिविल विंग में समाहित करने के संबंध में है। इसमें विभाग की तरफ से यहां पर जो बताया गया है, वह इस प्रकार है। इसको मैं पढ़ देता हूं, बाद में फिर इस पर बात कर लेंगे।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों की संयुक्त निविदा के संबंधित अधिसूचना दिनांक 19-5-2026 को जारी की गई, जिसके अनुसार अगर कार्य की अनुमानित लागत 5 करोड़ से ऊपर की हो तो यह कार्य सिविल, इलेक्ट्रिकल और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त निविदा के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

हिमाचली इलेक्ट्रिकल कामगारों को इससे उनके रोजगार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल से संबंधित कार्यों को इलेक्ट्रिकल एवं हॉर्टिकल्चर के कार्य हॉर्टिकल्चर कामगारों द्वारा ही करवाया जाएगा। इस संदर्भ में बिड डॉक्यूमेंट को बिडर की सूचना के पैरा 16.3(6) के अनुसार मुख्य ठेकेदार को माइनर कंपोनेंट (घटक) का कार्य भी स्वयं निष्पादित करना होगा उसे स्वयं पात्र ठेकेदार होना चाहिए अथवा विद्युत कार्य के निष्पादन हेतु ऐच0पी0पी0डब्ल्यू0डी0-6 के अनुसार पात्र एजेंसी को अपने साथ सबंध करना होगा ठेकेदार को निर्धारित समय के भीतर ऐसी अधिकतम तीन एजेंसियों के नाम "माइनर कंपोनेंट एजेंसियों " के रूप में

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1415/av/hk/1

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ---जारी

दर्शाने होंगे। यदि बोलीदाता द्वारा विद्युत एजेंसियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे विवरण बोली की स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत करने होंगे। बिडर को सूचना के (ITB) पैरा 16.3 (vii) के अनुसार निविदा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के पश्चात कार्य के प्रमुख घटक के प्रभारी अधिशासी अभियंता द्वारा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से कार्यादेश (Letter of Award) जारी किया जाएगा। कार्य आबंटित किए जाने के पश्चात मुख्य ठेकेदार को प्रमुख घटक के प्रभारी अधिशासी अभियंता के साथ एक अनुबंध करना होगा तथा कार्य के लघु-घटकों के प्रभारी अभियंताओं की संख्या के आधार पर अनुबंध की दो या अधिक प्रतियों पर हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध की एक प्रति लघु-घटक के प्रभारी अभियंता को सौंप दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त विभाग के अन्तर्गत अधिकांश प्रमुख भवन निर्माण कार्य सिविल एवं विद्युत ठेकेदारों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण विलंबित हो जाते हैं। इसलिए जवाबदेही एवं गुणवत्ता की दृष्टि से समग्र (Composite) कार्य एक ही संस्था/एजेंसी को सौंपना उचित है।

यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा भी भवन परियोजनाओं के लिए समग्र निविदाओं (Composite Tenders) की व्यवस्था अपनाई जाती है। CPWD Works Manual-2026 के खंड 4.5.2 में समग्र निविदाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :-

सभी प्रकार के भवन एवं सड़क कार्यों (लागत की परवाह किए बिना) के लिए समग्र निविदा प्रणाली अपनाई जाएगी। सिविल कार्य एवं उद्यानिकी कार्य के अतिरिक्त समग्र निविदा में आंतरिक विद्युत संस्थापन (Internal Electrical Installations) तथा अन्य आंतरिक एवं बाह्य विद्युत कार्यों जिसमें संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं, का घटक भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

27.08.2026/1415/av/hk/2

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि सभी कार्यों के ठेके सिर्फ सिविल ठेकेदारों को नहीं मिलेंगे और न ही इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों व इनके साथ जुड़े हिमाचली कामगार बेरोज़गार होंगे।

सरकार माननीय सदस्य की चिंताओं तथा जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है तथा माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहती है कि संयुक्त (composite) निविदा के कार्यन्वयन से Electrical Contractors के हितों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अकसर यह देखने को मिला है कि जब सिविल कार्य एक ठेकेदार के पास होते हैं और इलेक्ट्रिकल कार्य दूसरे ठेकेदार के पास होते हैं तो उनका आपस में कई बार समन्वय का अभाव रहता है। ऐसे में कई बार कार्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले होते हैं। उससे बचने के लिए ही कंपोजिट टेंडर की व्यवस्था की गई है और ऐसा अकसर बड़े कार्यों में होता है। हिमाचल प्रदेश में भी पी0डब्ल्यू0डी0 के अलावा जो हमारी अन्य एजेंसीज हैं, जैसे हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित ए0पी0एम0सी0 बोर्ड है या हमुडा में भी ऐसे कंपोजिट टेंडर की व्यवस्था है। हमारा जो बस स्टैंड मैनेजमैंट अथॉरिटी है यानी हमारी कई और सरकारी एजेंसियां भी हैं जहां पर कंपोजिट टेंडर की व्यवस्था पहले से ही अपनाई जाती है। सी0पी0डब्ल्यू0डी0 ने भी ऐसा प्रावधान किया है। लेकिन इसके कारण हमारे वर्कर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं क्योंकि हिमाचल में हमने जहां पहले ही इंडस्ट्रीज को ये गाइडलाइन्स जारी की हैं, वहीं पर हमें कम-से-कम 70 प्रतिशत हिमाचली को रोज़गार देना है। इसमें वह प्रावधान भी किया जा सकता है ताकि हमारे स्किल्ड वर्कर्स को किसी तरीके का नुकसान न हो। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जो बड़े काम हैं, जैसे कोई बड़ा होटल बनना है तो अभी हमारे पास उस क्वालिटी के वर्कर्स नहीं है। यहां पर जैसे उच्च क्वालिटी के प्लंबर नहीं मिलते और प्लंबर के लिए ज्यादातर ओडिशा के वर्कर्स पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। इसको हमें उस तरीके से भी सोचना पड़ेगा और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो बड़े कार्य हैं वे डिले न हों क्योंकि डिले होने की वजह से फिर कॉस्ट बढ़ती है। जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टर्स के कई तरह के क्लेम आते हैं और सरकार को फिर डिले के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपन्सेशन भी देना पड़ता है।

टी सी द्वारा जारी

27.08.2026/1420/टी0सी0वी0/वाई0के0-1
नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री .... जारी

अभी आई0जी0एम0सी0 के संबंध में भी एक अधिकारी ने मेरे ध्यान में यह विषय लाया था कि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल थी उससे भी अधिक पेमेंट की जा चुकी है जबकि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और बैलेंस पेमेंट अभी दी जानी है। इसी मंशा से विभाग ने यह कदम उठाया है। साथ ही यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हिमाचल प्रदेश के छोटे कॉन्ट्रैक्टर और स्किल्ड वर्कर इससे प्रभावित न हों।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर साहब किसी कार्य से बाहर जाने के कारण उन्होंने आदरणीय धर्माणी (नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री) जी को यह जिम्मेवारी दी है। आपको भी इस फील्ड का अनुभव है और आपने जो बात कही है उस पर मेरा यही कंसर्न है कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से कार्य कर रहे छोटे कॉन्ट्रैक्टरों के हितों पर कोई आंच न आए। इन लोगों ने छोटे-छोटे कार्यों से शुरुआत की और अब बड़े कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए विभाग और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनके हित सुरक्षित रहें तथा स्थानीय कारीगरों और इलेक्ट्रीशियन्ज के हितों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मुझे लगता है कि इस संबंध में ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों के हकों का संरक्षण हो सके। यदि ऐसा किया जाता है तो मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उद्देश्य पूरा होगा। मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय को पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाया जाए और बाद में उनके साथ तथा मुख्य मंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा कर लेंगे ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदय, हमारा पैसा है, हमारा प्रदेश है और ये हमारे अपने लोग हैं। आज तक लगभग 600-700 लोग इस क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं और इनके साथ अनेकों लेबर तथा इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले लोग जुड़े हैं जिनकी संख्या कम-से-कम 5,000 होगी। जब बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो वह अपने लोगों को साथ लाएगा। इसलिए व्यवस्था

ऐसी होनी चाहिए कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर को सिविल का कार्य मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों को भी उस कार्य में जोड़ा जाए

27.08.2026/1420/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी देखा है कि कई बार बिल्डिंग का एक या दो फ्लोर बनने के बाद इलेक्ट्रिकल का कार्य शुरू किया जाता है जिससे बाद में तोड़-फोड़ करनी पड़ती है। इससे हिमाचल प्रदेश का नुकसान होता है। इसलिए निर्माण कार्यों में ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे इस प्रकार का नुकसान न हो और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। यह बात सही है कि इस प्रकार की व्यवस्था न होने से कार्य में डिले होता है। इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय कॉन्ट्रैक्टरों और बड़े ठेकेदारों के बीच उचित तालमेल हो तथा उनके कार्य और पेमेंट की व्यवस्था स्पष्ट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा कॉन्ट्रैक्टर अपनी मर्जी से उनकी पेमेंट रोके या डिले करे और छोटे कॉन्ट्रैक्टर तथा अन्य लोग काम छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। जैसे कहा भी जाता है कि बड़ी मछली, छोटी मछली को खाने के लिए होती है, इसलिए यदि छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को इस प्रकार बाहर कर दिया गया तो बड़े ठेकेदारों का पूरा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार विकास हो रहा है उससे आगे बड़े-बड़े कार्य आएंगे। इनमें वे लोग भी कार्य कर सकें जो लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं और जिन्होंने अब बी-टेक तथा एम-टेक जैसी योग्यताएं प्राप्त करके कॉन्ट्रैक्टरशिप को अपना व्यवसाय बनाया है। पहले लोग अनुभव के आधार पर क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर बनते थे लेकिन अब पढ़े-लिखे लोग भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं। यदि उन्हें छोटे स्तर से कार्य करने का अवसर नहीं मिलेगा तो उनका अनुभव नहीं बन पाएगा और उनके आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाएगा। इसलिए मेरा कंसर्न यही है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों और स्थानीय कामगारों के हितों को सुरक्षित रखा जाए ।

27.08.2026/1420/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने जो चिंता जाहिर की है वह स्वाभाविक है। इसका थोड़ा-बहुत असर पड़ेगा लेकिन विभाग ने इसे कवर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मुख्य कॉन्ट्रैक्टर को अपने साथ माइनर कंपोनेन्ट एजेंसी के तौर पर संबंधित एजेंसी को ऑफिशियल रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा। मुख्य कॉन्ट्रैक्टर को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके साथ इलेक्ट्रिकल का काम करने वाली एजेंसी भी रिकॉर्ड में शामिल हो।

मैं इसमें यह अवश्य कहना चाहूंगा कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि टेंडर सबलेट करते समय इलेक्ट्रिकल के कार्य को जिस एजेंसी को सबलेट किया जाए या जो एजेंसीज एम्पैनल हों वे हिमाचली कॉन्ट्रेक्टर ही हों और कम-से-कम इतना सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही उनके हिस्से के कार्य की पेमेंट भी डायरेक्टली और टाइमली उन्हें ही मिल सके इसके लिए आवश्यक प्रोविजन करने की जरूरत है ताकि उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, काफी लोग ऐसे हैं जो अनुभवी हैं और लंबे समय से यह कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें इस व्यवस्था से डिप्राइव किया गया तो उनके लिए कठिनाई होगी। हालांकि उनके पास यह ऑप्शन भी रहेगा कि वे इलेक्ट्रिकल के कार्य के लिए स्वयं को एम्पैनल करा सकें ताकि वे भी कंपोजिट वर्क्स ले सकें। इसके अतिरिक्त जॉइंट वेंचर बनाना भी संभव होगा। वे ऐसी कंपनी बना सकते हैं जिसमें सिविल के कार्य करने वाले लोग भी शामिल हों क्योंकि उन्हें भी इसकी आवश्यकता **होगी। इस प्रकार की कंपनियों को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए विभाग जो भी आवश्यक कदम उठाएगा उसके बारे में मैं आपको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद।**

अगला वक्ता एन0एस0 द्वारा ... शुरू

27-8-2026/1425/NS-YK/1

विधान सभा कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा। अब माननीय सदस्य श्री विनय कुमार जी कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करेंगे तथा प्रस्ताव भी करेंगे कि इसे अंगीकार किया जाए।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करता हूं और प्रस्ताव भी करता हूं कि इसे अंगीकार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है।

तो प्रश्न यह है कि माननीय सदन कार्य सलाहकार समिति के 17वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों से सहमत है?

प्रस्ताव स्वीकार

नियम-101 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्य दिवस

आज गैर-सरकारी सदस्य दिवस है और गैर-सरकारी कार्य होगा। इससे पहले आज के बैलेट में जो प्रस्ताव आए हैं तो पिछली बार नियम-101 के तहत गैर-सरकारी सदस्य दिवस के अवसर पर माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी द्वारा एक संकल्प सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 31 मार्च, 2026 को प्रस्तुत वह संकल्प इस प्रकार है

यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने पर विचार करें।" इस संकल्प पर आगे चर्चा होगी। इसके लिए जो अलॉटिड टाइम था वह लगभग समाप्त हो चुका है। मेरे ख्याल से लगभग 40 मिनट में से 35-36 मिनट व्यतीत हो चुके हैं। डॉ0 जनक राज जी ने इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुए लगभग 36 मिनट का समय लिया था। माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री भी इस प्रस्ताव पर लगभग 17 मिनट बोले हैं।

27-8-2026/1425/NS-YK/2

अभी मेरे पास जिन माननीय सदस्यों के नाम आए हैं उनमें सर्वश्री डॉ0 हंस राज, राकेश जम्वाल, सुरेन्द्र शौरी, लोकेन्दर कुमार तथा त्रिलोक जम्वाल शामिल हैं। ये सभी विपक्ष की ओर से हैं। सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक मेरे पास किसी सदस्य का नाम नहीं आया है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम अगला प्रस्ताव तभी ले पाएंगे जब यह प्रस्ताव समाप्त होगा। इसलिए कम समय में अधिक-से-अधिक बात कहकर अपना योगदान दें। मैं डॉ0 हंस राज जी से आग्रह करूंगा कि वे अब इस विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और दिनांक 31 मार्च, 2026 को यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था। इस विषय पर दो माननीय सदस्य पूर्व में अपने विचार रख चुके हैं और डॉ0 जनक राज जी ने विशेषकर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के समक्ष रखा है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश इकोलॉजी के हिसाब से शुरू से ही एक बहुत ही संपन्न प्रदेश रहा है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीनरी तथा जिस प्रकार से जंगलों का विस्तार हुआ है उसमें जब कोई भी नई चीज स्थापित होती है तो इकोलॉजी में डिस्टर्बैंस तो हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाइड्रो पावर ने हिमाचल प्रदेश को काफी ग्रोथ भी दी है। इसके दो पक्ष हैं और मैं दोनों पक्षों पर चर्चा करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 27,000 मैगावाट का पोटैंशियल असेसमैंट से आता है

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.08.2026/1430/RKS/AG-1

डॉ0 हंस राज जारी.......

जिसमें हम लगभग 11000 से 12000 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर चुके हैं। लेकिन अभी भी पर्याप्त प्रोटैंशियल उपलब्ध है। विद्युत क्षेत्र में चम्बा जिला का बहुत बड़ा कॉंट्रीब्यूशन रहा है। अकेले चम्बा जिला से लगभग 1700 से 1800 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है।

इससे पारिस्थितिक असंतुलन हुआ है या नहीं लेकिन इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं यह पाता हूं कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक ढांचा और वहां की सामाजिक व्यवस्थाओं में बदलाव आया है। मैं मानता हूं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स स्थापित होने के कारण काफी डवलपमेंट हुई है। एन0एच0पी0सी0 की शुरुआत बैरा-सिउल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ही हुई थी। ऐसा कहते हैं कि यह प्रोजैक्ट वर्ष 1970-71 के आसपास आरम्भ हुआ और वर्ष 1981-82 में इसका कार्य पूर्ण हुआ। हम वर्ष 1983 में पैदा हुए हैं। इस परियोजना ने न केवल एन0एच0पी0सी0 को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में विद्युतीकरण की दिशा में क्रांति पैदा की। इसके बाद चमेरा-प्रथम, चमेरा-द्वितीय और चमेरा-तृतीय जैसी अनेक परियोजनाएं स्थापित हुईं। 73 मेगावाटी की बुढल परियोजना में मैं स्वयं कार्य कर चुका हूं जिसे बाद में ग्रीनको ने टेकओवर किया। इसके अतिरिक्त जे0एस0डब्ल्यू0 सहित अन्य कम्पनियों ने भी वहां हाइड्रो प्रोजैक्ट स्थापित किए। देश की उन्नति और हिमाचल प्रदेश के विकास में चम्बा जिला का हाइड्रो के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हाइड्रो परियोजनाओं के कारण वहां स्थायी बाजार विकसित हुए, स्थायी सड़कें बनीं तथा लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। वहां अनेक क्षेत्र विकसित हुए किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी है। हाइड्रो परियोजनाओं को ग्रीन एनर्जी माना गया है लेकिन ऐसे प्रोजैक्ट स्थानीय ईकोलॉजी को काफी प्रभावित करते हैं। हमने स्वयं इस प्रभाव को अनुभव किया है। बैरा-सिउल परियोजना का डैम मेरी कांस्टिच्यूएंसी में स्थित है। बैरा नदी मेरे घर से होकर बहती है तथा सिउल नदी डलहौजी क्षेत्र से आती है। बैरा-सिउल में लगभग 180 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। हाल ही में इस परियोजना का रेस्टोरेशन का कार्य भी किया गया है। पीछे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस परियोजना को स्थापित हुए 40 साल हो गए हैं इसलिए हम परियोजना को टेक-ओवर कर रहे हैं। हमने इन परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि दी, जंगल दिए और अनेक स्थानों पर लोगों का विस्थापन भी हुआ। लोगों को कुछ हद तक रोजगार भी मिला किन्तु जिस स्तर पर स्थानीय लोगों को

27.08.2026/1430/RKS/AG-2

कंपनसेशन मिलना चाहिए था वह उस एवज़ में नहीं मिल पाया। हाइड्रो परियोजनाओं ने विकास की तस्वीर अवश्य बदली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब इन परियोजनाओं के

लिए एम0ओ0यू0 साइन किए गए थे तब स्थानीय लोगों से कहा गया था कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा, सड़कों का विकास किया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों को बेहतर बनाया जाएगा। किन्तु जैसे ही परियोजनाएं कमीशन हो गईं, चाहे वह बैरा-सिउल हो, चमेरा-प्रथम, चमेरा-द्वितीय, चमेरा-तृतीय या चम्बा जिला की अन्य परियोजनाएं हों, उनके प्रभाव से प्रभावित हुए अनेक परिवार आज भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुहार लगा रहे हैं। मैं चमेरा-प्रथम परियोजना का उदाहरण देना चाहता हूं। लगभग 500 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली इस परियोजना का पानी रोकने के कारण काफी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। जब हम चौहड़ा से जाते हैं तो देखते हैं कि बनीखेत, डलहौजी, बाथरी, भलेई माता मंदिर वाला स्थान, कोटी, चण्डी, चकलू, राजनगर और क्यानी जैसे क्षेत्रों में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। बहुत-सी जगहों पर गाद या सिल्ट इतनी अधिक मात्रा में जमा हो गई है कि वहां आसपास रहने वाले लोगों के लिए रुकना अत्यंत कठिन हो जाता है। 'लाडा' या सी0एस0आर0 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा जो धनराशि दी जाती है, वह कहां व्यय की जाती है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने कई बार इनक्वायरी करने का प्रयास किया लेकिन कुछ तथाकथित लोग मिलीभगत कर लेते हैं। पुराने कॉंट्रैक्टर इन प्रोजैक्टों के निर्माण के समय अपनी युवा अवस्था में थे लेकिन वे अब सीनियर हो चुके हैं और वही लोग आज भी कार्यों को आउटसोर्स कर रहे हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

27.08.2026/1435/बी.एस./ए.जी.-1

डॉ0 हंस राज जारी...

और वही लोग टेंडर भी लेते हैं। वही लोग यह भी डिसाइड करते हैं कि काम क्या होना है।

मुझे लगता है कि सरकारों को कम-से-कम हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट बनने के बाद ऐसी कमेटी भी खड़ी कर देनी चाहिए जो समय-समय पर उन हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट्स की

निगरानी रखे। वह यह देखे कि सामाजिक और एनवायरनमैंट के हिसाब से कहां कोलैप्स हो रहा है और हर तरीके से उस इलाके में क्या नुकसान हो रहा है।

अब मेरा सीधा-सीधा आरोप एन0एच0पी0सी0 पर ही रहता है। आपने तीसा में जब प्रोजैक्ट बनाया था उस समय वर्ष 1970-71 और वर्ष 1980 के दौर में केंद्रीय विद्यालय के नाम से स्कूल चलाया। बंजराडू में जहां आज अटल चौक बना है और जिसे आप कॉलोनी कहते हैं वहां स्कूल चलता था। जैसे ही एन0एच0पी0सी0 को लगा कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता तो इन्होंने वहां से स्कूल ही हटा दिया।

सुर्गवानी में भी इनका कितना बढ़िया सीनियर सेकंडरी स्कूल चलता था। इन्होंने वह स्कूल डी0ए0वी0 को दे दिया। अब जहां पहले केंद्रीय विद्यालय खुद चलाया जाता था वहां फीस कम थी। बहुत सारे बच्चे वहां से पढ़कर आज बड़े-बड़े पदों पर पहुंचे हैं। लेकिन आज उन लोगों को भारी मात्रा में फीस देनी पड़ती है। यही स्थिति सुर्गवानी में भी है।

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए)

हमारा एक सी0एच0सी0 खोला था। उसको भी उठाकर खैरी ले गए। जब प्रोजेक्ट बन रहा था तब कहा गया कि आप जमीनें दीजिए। आपने अपना पर्यावरण दीजिए। आपने अपने घर-धराट और जंगल सब कुछ दिए लेकिन आज जब हम 40-50 साल बाद मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि जिन लोगों ने नौकरी की केवल उन्हीं को रोजगार मिला बाकी लोगों को क्या मिला। इस सवाल का जवाब आज भी नहीं मिला है।

27.08.2026/1435/बी.एस./ए.जी.-2

चमेरा-। में भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जिन लोगों का विस्थापन हुआ और जिनकी जमीनें गईं उन्होंने अपना सब कुछ खोया। मैं उदाहरण दे रहा था कि हमारे क्यानी में आज भी चार परिवार ऐसे हैं। चमेरा-। कब का बना हुआ है? लेकिन आज भी कई परिवार मांग करते रहते हैं कि जिस जगह की जमीन हमने दी थी उस जमीन को इन्होंने अकुपाई नहीं किया था। बाद में जब पानी रोका गया तो डैम का पानी उनकी अपनी जमीनों की परिधि में

आ गया और उनके घर तथा दूसरी संपत्तियां भी उसकी जद में आ गईं। अब उनको कंपनसेशन कौन देगा?

जब मैं पिछली बार डिप्टी स्पीकर था तो हमने डी0सी0 चम्बा के साथ इस तरह की कई बैठकें कीं। लोगों की ग्रिवेंसेस सुनी गईं। वे बैठक में कह देते थे कि हम असेसमेंट करेंगे कि हमने आपकी लैंड को अकुपाई किया है या नहीं किया है। बाद में जब रिजल्ट आ जाता था तो कहा जाता था कि इसे फरीदाबाद भेज रहे हैं क्योंकि उनका हैड ऑफिस वहां है। फिर कहा जाता था कि इसमें यह दिक्कत आ रही है और वह दिक्कत आ रही है।

उस समय कंपनसेशन जिस रेट पर दिया जाता था आज वह रेट बदल चुका है। अब समय बदल गया है इसे 20-22 वर्ष हो गए हैं। चमेरा-II में भी हुई और थर्ड तो सबसे लेटेस्ट बना था। हमारे जो भरमोर का इलाके में भी लोगों ने बहुत कुछ सहन किया है। जैसा कि डॉक्टर जनक राज जी ने भी कहा था कि इन लोगों ने तो और भी ज्यादा बर्दाश्त करना शुरू किया है। इस पर मुझे लगता है कि सरकार को एक कमेटी बिठा देना चाहिए। जिला चम्बा ने लगभग 17-18 सौ मैगवाट अगर हम देश को बिजली दे रहे हैं तो हमें उसकी एवज में कुछ मिलना भी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, परमानेंट जॉब आप देते नहीं हैं। पिछले कल भी मैंने यह मुद्दा उठाया था कि आप जो काम हैं वह आउटसोर्स कर देते हैं। तथाकथित व्यक्ति टेंडर ले लेता है और वह अपने भाई अपने भतीजे अपने बंधुओं तथा सगे रिश्तेदारों को उसमें प्लंबर इलेक्ट्रिशियन फिटर और वेल्डर के रूप में रखता है। इसमें कोई रोस्टर नहीं रखा जाता है जिन लोगों के दो खेत या चार खेत हाइड्रो पावर के निर्माण के लिए सैक्रिफाइस किए हैं बाद में उनको कुछ नहीं मिला। यह भी तो एक अन्याय है।

27.08.2026/1435/बी.एस./ए.जी.-3

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यहां डॉक्टर साहब ने ठीक इस मुद्दे को संकल्प के रूप में लाया है। सामाजिक ताने-बाने में अगर देखा जाए तो सोशली रिफॉर्म्स तब होते हैं जब कोई नई चीज लगती है लेकिन उसकी एवज में बहुत

सारी चीजों का हमें भी भुगतान करना पड़ता है। इसलिए यह भुगतान लोगों को न करना पड़े यह सरकारों का दायित्व रहता है।

अध्यक्ष महोदय, जब मिंजर का मेला होता है तब डी0सी0 साहब उनको बुला लेंगे कि भाई तेरे वहां 10 मेहमान आएंगे उनके लिए 10 कमरे हों या 20 कमरे या 40 कमरे और दो गाड़ियां 10 गाड़ियां चाहिए लेकिन जब एक आम गरीब आदमी अपनी ग्रिवेंस लेकर वहां जाता है तो उससे कहा जाता है कि यह फरीदाबाद का मामला है। वहां जो जी0एम0 बैठता है वह इतना कम्पीटेंट नहीं है कि वह उस स्तर पर कोई डिसीजन ले सके।

अध्यक्ष महोदय, यह उन लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। जहां प्राइवेट हाइड्रो पावर्स हैं वहां हम इसे सरकारी एंटरप्राइजेज मानते हैं कि एन0टी0पी0सी0 और एन0एच0पी0सी0 हमारे अपने ही उपक्रम हैं और वे हमारे लिए काम करेंगे। लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं वे उससे भी घोर अन्याय करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया है

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

27.08.2026/1440/DT/AS-1

डॉ हंस राज जारी...

जैसे मैंने चुराह में देखा है कि आई0 एनर्जी का 35 मेगावाट का प्रोजैक्ट लगा। ऐसे ही कॉस्मॉस नाम की कम्पनी ने अपना 17-18 मेगावाट का प्रोजैक्ट लगाया। जब यह प्रोजैक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन था उस समय तो उन्होंने सब बातें मानी। लेकिन अब जो एम्बुलेंसिज उन्होंने दी हैं, वह भी खड़ी रहती हैं। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा था कि हम उस क्षेत्र में एक पी0एच0सी0 या सी0एच0सी0 स्तर के भवन की कंस्ट्रक्शन कर देंगे और स्कूल भी खोलेंगे, लेकिन बाद में वह भी नहीं दिया। अब आज जब लोग मुखर होकर उनका विरोध करते हैं तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं रह जाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जहां हम इस संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं वहां हमें यह भी देखना पड़ेगा जब डी-सिल्टिंग होती है because there is no mechanism of disilting, उसका कोई पैमाना नहीं है। जिस किसी की भी चलती है वह वहां अपनी जे0सी0बीज0, अपनी एल0एन0टीज0

और अपने टिपर्स खड्ड में उतारते हैं तथा मलबा निकालकर अपने-अपने क्रशरों पर उसका कार्य कर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डी-सिल्टिंग का भी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। इससे इकोलॉजी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

हमारे माननीय प्रधान मंत्री हमरी पूर्व भाजपा सरकार के समय माननीय चम्बा आए थे और उन्होंने चांजू-III और चांजू-IV पॉवर प्रोजैक्ट का शिलान्यास किया था। शिलान्यास किया उसके बाद चांजू-III प्रोजैक्ट तो शुरू हो गया लेकिन फोर्थ स्टेज, जो दयोथल में बनना है, उसका काम शुरू नहीं हुआ। वे कह रहे हैं कि वहां पर तो रोपवे से जाना होगा। हमने कहा कि जहां खुंडी माता का मंदिर है और यह यात्रा जाती है उसी रास्ते में चांजू माता का मंदिर भी है, चांजू माता के मंदिर जो यात्रा जाती खुंडी की तरफ जाती है और वहां पर वह कम्पनी डैम भी बना रही है, हम वहां के लिए रोड भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कम्पनी वाले कम-से-कम स्थानीय प्रतिनिधियों से चाहे प्रधान हों, चाहे वार्ड पंच, हों चाहे बी0डी0सी0 हों, चाहे वहां के विधायक हों कम-से-कम उनसे पूछें तो सही कि क्या हो सकता है? जब आप वहां पर रोपवे बनाएंगे जहां दस-दस-बीस-बीस फीट बर्फ पड़ती है, तो वह रोपवे कैसे सर्वाइव करेगा? हमारे पास अभी स्विटजरलैंड जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या सोचा हुआ है? लेकिन जो चीज वहां हमें रोजगार दिलवा सकती है तो उसकी तरफ भी हमें

27.08.2026/1440/DT/AS-2

जाना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी वहां आए थे और उन्होंने 4 अगस्त, 2025 सई कोठी-I सई कोठी-II का शिलान्यास किया था। यह दो छोट-छोटे 15-मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट हैं। ऐसे ही देवीकोठी में हमारा हैल और टेपा का प्रोजैक्ट भी है वहां पर एक्सियन भी बैठते हैं और एस0ई0 भी बैठते हैं, मैंने उनको कहा कि आप रोड बनाने के लिए जो अलाइनमैंट कर रहे हैं या वहां पर कॉलोनी बनानी है, ऐसी जगह में जहां हमें लोगों को विस्थापित करना होगा और इतने लोगों को सैट्टल करना होगा ओर इतने लोगों को रोजगार देना होगा, हमें इस बातों पर बैठकर मिलजुल कर विचार करना चाहिए उसके बाद ही आगे काम शुरू करना चाहिए। अब एम्प्लॉयमैंट देने का मैकेनिज्म भी बदल गया है। वह भी आउटसोर्स में रखे जा रहे हैं। इस पॉलिसी पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि जो

जो लोग अपनी पूरी की पूरी जमीन उस प्रोजैक्ट के अगेंस्ट कर रहा है उसका तो सब जा रहा है।

जैसे घराट का ही कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए हमने 2005-06 में लड़ाई लड़ी थी। उसके कारण ही मुझे भी सराकरी दफ्तरों में जाने का और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने का मौका शुरू मिला था। हमने पाया था कि एक घराट ओनर, जिसे हम अब फ्लोर मिल भी कहते हैं, यह घराट प्राचीन समय से ही चल रहे हैं। जब मानव सभ्यता ने काम करना शुरू किया था और जैसे-जैसे उन्होंने भोजन उपार्जन शुरू किया होगा तो उसको पकाना और उसको ग्राइंड करना भी शुरू किया होगा, घराट तो उस समय का है। मालिकाना हक हमारे हैं और रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन घराट को एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में न प्राइवेट सैक्टर वाले मानते हैं न सरकारी सैक्टर वाले मानते हैं। वे कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारा एक-दो लाख रुपये दे देते हैं और इसी से तुम्हारा गुजारा-भत्ता चल जाएगा। लेकिन यह गलत है क्योंकि यह हमारे पुश्तैनी घराट हैं। हम लोग सदियों से उसी पर निर्भर हैं। किसी का परिवार किसी का समाज उसी घराट में चलता है। लेकिन हम उसको प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं दे पाते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जब घराट को एक्वायर किया जाता है तो Gharat may be treated as a small scale industry and may be compensated as a small industry. इस तरह का प्रावधान हमें करना चाहिए। और इसमें अभी जैसे सई कोठी-। और सई

27.08.2026/1440/DT/AS-3

कोठी-॥ फर्स्ट इसमें बाहर से जो है वह फंडिंग हो रही है। पिछले डेढ़-दो वर्ष से मैं प्रोजैक्ट के मुलाजिमों को समझा रहा हूं कि भाई सरकार किसी की भी हो लेकिन प्रोजैक्ट तो यहीं लगना है। आप प्रोजैक्ट शुरू करो तो उससे चार लोगों को रोजगार मिलेगा और वैसे ही प्रदेश में बेरोजगारी छाई हुई है। जैसे उस दिन माननीय विक्रमादित्य जी कह रहे थे कि आप जमीन को विभाग के नाम करवाने के लिए गिफ्ट-डी-डीड करवाने में सहयोग करो, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम तो सहयोग करें लेकिन कोई आए तो सही।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1445/ए.एस.-एन.जी./1

डॉ0 हंस राज......... जारी

हम उसको बोलें तो सही कि भाई, मैं तेरे साथ चलता हूं और उसको कन्विंस करता हूं। वहां पर कोई हमारा कार्यकर्ता होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई तो हमारी बात मानने वाला होगा, तब तेरी मदद हो जाएगी और तेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। उसकी सैलरी चल रही है और मजे से गाड़ी मिली हुई है। शायद टी0ए0-डी0ए0 भी क्लेम करते होंगे, यह मुझे नहीं पता। मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 4 अगस्त 2025 को ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया। हमने कहा, भाई कर दो, जो भी हो कर दो, लेकिन इस काम को जल्दी-जल्दी करो। फिर वह काम नहीं चलता है, तो यह किसकी जिम्मेदारी है? अगर कोई हाइड्रो पावर चलना है या वहां पर वह रोजगार का साधन बन सकता है, तो हमें करना चाहिए। इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए आपको वहां के लोकल लोगों को साथ रखकर कोई-न-कोई नया सोशल मैकेनिज्म खड़ा करना ही पड़ेगा। यह हमको करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन कर रहा हूं कि सरकार इस पर बड़ा वाइडली सोचे। क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो अलॉटेड डंपिंग साइट्स होती हैं, कई बार वहां का गार्ड, पटवारी, DFO—यह सब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं—वे लोग थोड़ा-बहुत फिक्सिंग कर लेते हैं। कई बार हमने देखा है कि स्थानीय नेता भी फिक्सिंग कर लेते हैं। उस वजह से डंपिंग साइट के लिए जहां जमीन अलॉट हुई है और जहां पर मलबा डालना चाहिए, वह वहां पर नहीं डलता और उसके कारण ऐसे-ऐसे जंगल तबाह हो गए, जिनको देखकर हम लोगों को रोना आता है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं कैसे पाल-पोसकर वे जंगल बड़े किए हुए हैं। हमारे बुजुर्ग कभी भी दराट लेकर जंगल में नहीं जाते थे। वे कहते थे कि हरा पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए। यह डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी। इनकी L&T और जे0सी0बी0 तो मानती ही नहीं है।

27.08.2026/1445/ए.एस.-एन.जी./2

इसके अलावा आजकल तो ऐसी ब्लास्टिंग आ गई है जो ज्यादा शोर-शराबा भी नहीं करती क्योंकि वे लोग कॉल-टैक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सरकारों को यह सोचना पड़ेगा और हम चाहते हैं that for the sake of development of the State and for the sake of generating a new employment in State, उसके लिए इंडस्ट्रीज लगनी चाहिएं तथा हाइड्रो पावर भी लगने चाहिएं। यह ग्रीन एनर्जी है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब तो बहुत-सी नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं। मैं हैदराबाद गया था और वहां की ग्रीनको कंपनी, जिसमें मैं काम भी करता था, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको हाइड्रो पावर दिखाते हैं। उन्होंने हाइड्रो पावर दिखाया, जोकि लगभग 1000 मेगावॉट का है। प्रधानमंत्री जी ने उनको बहुत प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने डैम बनाया हुआ है और उसके पानी के कारण नीचे टरबाइन घूमती है। आगे जाकर उन्होंने उस पानी को फिर से पकड़ा और लिफ्ट करके दूसरी बार फिर वही पानी का उपयोग किया। जहां पर उनको स्कोप लगा, तो उन्होंने सोलर भी वहीं पर लगा दिया है। इस प्रकार कम-सी जगह में कैसे ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, ऐसा हिमाचल प्रदेश भी सोच सकता है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम लोग ग्रीन तरीके से काम करना शुरू कर दें, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे माननीय सदस्य, श्री हरदीप सिंह बावा जी कह रहे थे कि इन इंडस्ट्री वालों ने हमारा पानी व हमारी जगहें यूज़ करके, हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन हाइड्रो पावर एक ग्रीन तरीके से प्रदेश के रेवेन्यू को भी जनरेट करेगा और प्रदेश को आने वाले 20 सालों में स्ट्रेंथ करेगा। मुख्य मंत्री जी तो चलो गप के लिए गप मार देते हैं कि वर्ष 2027 में स्वावलम्बी हो जाएंगे या वर्ष 2032 बत्ती में सबसे अमीर हो जाएंगे। उसके लिए काम करना पड़ता है। उसके लिए तरीका लगाना पड़ता है। उसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आपके एग्रीकल्चर-हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पोटेंशियल है। आपके टूरिज्म सेक्टर में पोटेंशियल है। आपके हाइड्रो सेक्टर में पोटेंशियल है। Then why are you not thinking

about all these things? आपको सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते। वहां उस कुर्सी में बैठकर पता नहीं क्या हो जाता है?

27.08.2026/1445/ए.एस.-एन.जी./3

जैसे हमारी झण्डी रुक गई और मुख्य मंत्री जी जब विपक्ष में होते थे तो बहुत नारे लगाते थे। उस वक्त ये कहते थे कि कोई बात नहीं, मैं वहां बैठूंगा तो सब कुछ कर दूंगा। यहां पर मामूली-सा व अदना-सा बंदा भी झण्डी लगाकर घूमता है। लेकिन एक विधायक, जो एक लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको जगह-जगह जलील होना पड़ता है। यह शेमलेस स्थिति तो है ही है और आज की डेट में ऐसी ही स्थिति विधायकों की फील्ड में बनाई हुई है। मुझे लगता है कि यह हम लोगों के लिए सोचने का विषय है। 'सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी' और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपयी साहब भी कहते थे कि दल आएंगे-जाएंगे। लेकिन यहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वे तो रहनी चाहिएं। वे प्रॉपर तरीके से कैसे रहेंगी? अगर हम लोग एक-दूसरे का सहयोग, एक-दूसरे का समर्थन, एक-दूसरे का विश्वास और जो जनता के लिए भी we are the servant of the public. हम लोग जनता के लिए आए हुए हैं। हम लोग ऐसे ही किसी की वजह से थोड़ी न बैठे हुए हैं। हम लोगों को जनता ने भेजा हुआ है। इसलिए जनता के इश्यूज को एड्रेस करना हमारी first and foremost duty है। हमको यह करना चाहिए। मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि इसको अंगीकार करके और इस संकल्प पर सरकार को बड़े व्यापक पैमाने पर सोचना पड़ेगा और इस फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी और बाकायदा उनकी मॉनिटरिंग तथा उसका मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा कि अगर हाइड्रो पावर कोई लग रहा है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.08.2026/1450/DC/PB/1

डॉ0 हंस राज... जारी

तो उसके संचालन के बाद उसकी मॉनिटरिंग और देखभाल कौन करेगा, लोगों की ग्रिवैंसेस कौन सुनेगा, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया जा सकता है तथा उनके लिए कैसे एम्प्लॉयमैंट जनरेट की जा सकती है, इन सभी विषयों पर सरकार को विचार करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

27.08.2026/1450/DC/PB/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी भाग लेंगे।

श्री राकेश जम्वाल : सभापति महोदय, नियम-101 के अंतर्गत माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज द्वारा लाए गए इस महत्वपूर्ण संकल्प पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में बह रहे पानी से प्रदेश में अनेक हाइडल प्रोजैक्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं तथा कुछ निर्माणाधीन हैं। इन प्रोजैक्ट्स के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ-साथ कुछ सामाजिक दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज जी ने इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए चम्बा का भी जिक्र किया तथा प्रदेश के लिए कुछ सुझाव दिए।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सुंदरनगर में भी दो बड़े हाइडल प्रोजैक्ट्स हैं। इनमें एक बी0एस0एल0 हाइडल प्रोजैक्ट है जिसका निर्माण कार्य हमारे पैदा होने से पहले ही शुरू हो गया था तथा दूसरा एन0टी0पी0सी0 द्वारा निर्मित 800 मेगावाट क्षमता का कोलडैम प्रोजैक्ट है। बी0एस0एल0 प्रोजैक्ट 990 मेगावाट क्षमता का है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1962 में उस समय शुरू हुआ जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं

हुआ था। उस समय जो एम0ओ0यू0 हुआ होगा उसकी परिस्थितियों और वर्तमान वर्ष 2026 की परिस्थितियों में दिन-रात का फर्क है। पानी

हमारा, जमीन हमारी तथा इस निर्माण कार्य में लोगों की जानें भी गईं, जमीनें भी गईं और लगभग 35,000 वर्कर्स तथा एम्प्लॉयज़ ने इस प्रोजैक्ट के निर्माण कार्य में अपना योगदान दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश को इस प्रोजैक्ट में उसका हक मिलना चाहिए। ब्यास नदी पर बनाए गए इस प्रोजैक्ट में ब्यास नदी से 4,716 मिलियन घन मीटर पानी डाइवर्ट करके सतलुज नदी में डाला जाता है।

सभापति महोदय, मंडी जिला में पंडोह से लेकर बग्गी तक तथा अटगड़ से लेकर सुंदरनगर और सलापड़ तक के क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण हुआ और लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह भी सत्य है कि देश के विकास के लिए सुंदरनगर

27.08.2026/1450/DC/PB/3

का बी0एस0एल0 प्रोजैक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते क्योंकि

जब इस प्रोजैक्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब हम पैदा भी नहीं हुए थे। यह प्रोजेक्ट वर्ष 1977 में बनकर तैयार हुआ। मैं वर्तमान परिस्थितियों में आदरणीय शांता कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हिमाचल के हक की लड़ाई लड़ी और बी0बी0एम0बी0 के प्रोजैक्ट्स में हिमाचल को उसका शेयर दिलवाया। जैसा मैंने कहा कि जमीन हमारी, पानी हमारा और नदियां हमारी तथा लोगों ने इन प्रोजैक्ट्स के विकास में अपने प्राण भी दे दिए लेकिन इसके बावजूद हमें अपना हिस्सा नहीं मिला और हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और अब बी0बी0एम0बी0 से हिमाचल प्रदेश को 7.19 प्रतिशत बिजली का हमारा शेयर मिल रहा है। लेकिन आज भी हमारा 4,200 करोड़ रुपये का एरियर बी0बी0एम0बी0 से लेना है जो हमें नहीं मिल रहा है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1455/डी0सी0/ए0पी0-01

श्री राकेश जम्वाल जारी .....

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद है कि जल्दी फैसला आ जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियां है कि जब प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश में लगा है और इसका फायदा साथ लगते पड़ोसी प्रदेशों को भी मिल रहा है, यह तो स्वाभाविक तौर पर उनको भी मिले, लेकिन हमारा भी हक है क्योंकि पानी हमारा है, जमीनें हमारी हैं, हम चाहते हैं कि उसमें हमारा हक हमें मिले। बाद में जो प्रोजेक्ट लगे, जैसे कोल डैम, उसमें हमें 12 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें हमें अभी भी 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है। सभापति महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि बी0बी0एम0बी0 के साथ एक मीटिंग बुलाएं और प्रभावित क्षेत्रों के विधायक भी उसमें शामिल किये जाए, फिर चाहे वे मंडी, कांगड़ा या बिलासपुर का क्षेत्र हो। जब हम जनप्रतिनिधि मुख्य मंत्री जी के साथ उस बैठक में बैठेंगे और बी0बी0एम0बी0 के अधिकारियों तथा चेयरमैन को यहां बुलाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ-न-कुछ समाधान निकलेगा। पूर्व में श्री जय राम जी की सरकार के समय, जब जय राम जी मुख्य मंत्री थे, उस समय भी हमने उनसे आग्रह किया था। उन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स करवाई और सभी विधायक उस मीटिंग में रहे। उस बैठक के बहुत से रिजल्ट सामने आए। आदरणीय विनोद जी ने अपने विधान सभा क्षेत्र की सड़क का जिक्र किया था। इन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के इश्यू रखे और उसमें बहुत-सी बातों का समाधान भी निकला। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बी0बी0एम0बी0 में हमारा कोई परमानेंट मेंबर नहीं है। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल में लगा और हमारा कोई मेंबर वहां पर नहीं है। जब हमारा परमानेंट मेंबर बी0बी0एम0बी0 में होगा तो निश्चित तौर पर हमारे हकों की लड़ाई और यहां की समस्याओं के लिए लड़ेगा। हम अपने मेंबर से बात कर सकते हैं जो हिमाचल की सारी परिस्थितियों के बारे में जानता होगा। इससे हमारी

समस्याओं का समाधान होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमें 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिला है तो स्वाभाविक तौर पर हमारा भी एक मेंबर बी0बी0एम0बी0 में होना चाहिए। सभापति महोदय, यह प्रोजेक्ट वर्ष-1977 में कम्पलीट हो गया और उसके बाद प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया। जैसा मैंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के कारण सुंदरनगर भी अंतर्राष्ट्रीय

27.08.2026/1455/डी0सी0/ए0पी0-02

मानचित्र पर आया। मैं यह नहीं कहता कि इस प्रोजेक्ट के केवल दुष्प्रभाव हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। लेकिन जिन दिक्कतों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है, उनका समाधान नहीं हो रहा है। बी0बी0एम0बी0 ने प्रोजेक्ट बना दिया। बी0बी0एम0बी0 की जो सड़क है, उस सड़क के माध्यम से हमारे क्षेत्र के लोग वहां पर सफर करते हैं। चाहे हमारी अड्डगढ़-बगी की सड़क हो या बी0बी0एम0बी0 की हमारी झील के साथ जाती हुई कपाई वाली सड़क हो, अगर उन सड़कों की दुर्दशा आप देखेंगे। बी0बी0एम0बी0 के अधिकारियों को हम बार-बार कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं, एक्सिडेंट हो रहे हैं और बड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। इसलिए यह चर्चा सदन में की जा रही है कि कोई स्थायी नीति बने, जिसके कारण जो पी0एस0यूज0 इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और जब यह प्रोजैक्ट का काम चला था बहुत बड़ी कॉलोनी सुंदरनगर के शहर सलापड़ में बनाई गई थी और पंडोह में भी कॉलोनी बनाई गई थी। लेकिन अब कर्मचारी कम हो गए हैं। प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है, कई कर्मचारी वहां से चले गए और कई रिटायर हो गए हैं। उसके बाद उनकी जगह कोई नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। अब थोड़े ही कर्मचारी वहां पर सर्विस कर रहे हैं, लेकिन जो क्वार्टर वहां जिस प्रकार से बने हुए थे, वे सारे खंडहर बने हुए हैं। बी0बी0एम0बी0 के कुछ क्वार्टर तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ले लिए है, लेकिन जो जमीन खाली पड़ी है, उसके बारे में मैंने सदन के अंदर प्रश्न किया था। जिसके जवाब में बी0बी0एम0बी0 कहती है कि हमारे पास कोई सरप्लस लैंड नहीं है। फिर हमने प्रश्न किया कि खाली जमीन कितनी है। लेकिन जब बी0बी0एम0बी0 को पता चला कि हम विधान सभा के अंदर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उन्होंने अपनी उस सारी

जमीन के इर्द-गिर्द चारदीवारी लगाकर कवर कर दिया और अब अंदर खाली जमीन है। वहां पर जंगली जानवरों के कारण बहुत-सी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तेंदुए आ रहे हैं, नशेड़ी वहां पर घूमते हैं। ऐसी अनेकों समस्याओं का सामना हमारे क्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है। पूर्व की सरकार के समय सलापड़ में भी इसी प्रकार जो एरिया खाली पड़ा था, मैंने आदरणीय जय राम ठाकुर जी से निवेदन किया और एन0डी0आर0एफ0 की बटालियन को वहां पर उसी खाली जमीन में जगह दे दी गई।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.08.2026/1500/AT/HK/01

श्री राकेश जम्वाल जारी ....

इसमें लगभग 7.5- 8 करोड़ रुपये हिमाचल का खर्च हुआ, लेकिन एन0डी0आर0एफ0 की बटालियन के लिए वहां पर रहने की सारी व्यवस्था होगी और उन्हें एक अच्छी जमीन भी वहां पर मिल गई।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट के बनने से, जब टनल बनी, तो हमारे अनेकों पीने के पानी के स्रोत सूख गए। उसकी एवज में भी हमको कुछ नहीं मिला। मननीय सभापति महोदय,हमारी सबसे बड़ी समस्या, सिल्ट की है। इस बी0एस0एल0 प्रोजेक्ट के कारण सुंदरनगर की जो झील है, उसमें हमारे डिसिल्टिंग चैंबर और रिजर्वायर में सिल्ट इकट्ठी होती है। उस सिल्ट को निकालकर सुकेती खड्ड में डाला जाता है। वहां से वह सिल्ट बल्ह वैली से होती हुई फिर से ब्यास नदी में जाती है। लेकिन हमने बार-बार आग्रह किया कि सुकेती खड्ड की चैनलाइजेशन हो जाए, नहीं तो सिल्ट के कारण हमारी जमीनें खराब हो रही हैं। बल्ह विधान सभा क्षेत्र, नाचन विधान सभा क्षेत्र और सुंदरनगर की उपजाऊ जमीन, जो मंडी तक है, वह सारी जमीन इस सिल्ट के कारण खराब हो रही है। हम बी0बी0एम0बी0 से बार-बार आग्रह करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। सुकेती खड्ड की चैनलाइजेशन के लिए कभी बी0बी0एम0बी0 ने काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, जो सदन में बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आप शिमला में एक बैठक जरूर बुलाएं। बी0बी0एम0बी0 के चेयरमैन और उनके अधिकारियों को बुलाया जाए और आपकी अध्यक्षता में यह बैठक हो। पूरे प्रदेश में बी0बी0एम0बी0 के जितने भी प्रोजेक्ट हैं और जहां-जहां प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के चुने हुए प्रतिनिधि और विधायक भी उस बैठक में रहें। तो निश्चित तौर पर जब मुख्य मंत्री जी और हम सब लोग वहां बैठेंगे, तो हम उन समस्याओं का समाधान करवाने में कामयाब होंगे।

27.08.2026/1500/AT/HK/02

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मेरे सुंदरनगर में जो बी0बी0एम0बी0 की कॉलोनी है जैसा मैंने पहले भी कहा है, वर्ष 1977 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ था और लगभग 50 साल से वहां सीवरेज की व्यवस्था है। आज उसकी उस सीवरेज की बहुत दयनीय हालत है। सीवरेज खुले में चल रही है और नाले में आ रही है, जिसके कारण महामारी फैलने का भी डर है। मैंने कई बार बी0बी0एम0बी0 के अधिकारियों से भी कहा है अपनी कॉलोनी की सीवरेज व्यवस्था को ठीक करें, अन्यथा हमारे शहर में महामारी फैल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा हमारा प्रोजेक्ट हमारे विधान सभा क्षेत्र में सतलुज नदी पर कोलडैम प्रोजेक्ट है, जो 800 मेगावाट का है। इसका शिलान्यास स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक प्रोजेक्ट जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला था, तब बी0एस0एल0 प्रोजेक्ट बना और जब दूसरा प्रोजेक्ट बना तो उसमें बहुत-सी चीजों में सुधार भी हुआ, लेकिन कुछ कमियां उसमें भी हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारा कोलडैम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो गया है। 800 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट में मंडी, बिलासपुर, सोलन और शिमला हमारे चार जिले प्रभावित हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण कुछ जमीन का अधिग्रहण भी हुआ और क्षेत्र भी प्रभावित हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ, हमारे इस विधान सभा क्षेत्र और माननीय अवस्थी जी के विधान सभा क्षेत्र में हमारी रिश्तेदारी है और हमारा आना-जाना चलता रहता है। करला से बेरल तक हमारा एक पैदल पुल था, जिससे हमारे लोग बेरल की ओर जाने के लिए उस फुटब्रिज को परियोग किया करते थे। लेकिन जब कोलडैम प्रोजेक्ट बना, तो इसके कारण वह फुटब्रिज डूब गया। मैंने कई बार एन0टी0पी0सी0 के अधिकारियों को भी कहा और अपने प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहा कि हमारा जो पैदल पुल, फुटब्रिज था, वह कोलडैम बनने के कारण खत्म हो गया है। उसका पुनर्निर्माण किया जाए, क्योंकि हमारे लोगों का आवागमन इससे प्रभावित हुआ है।

27.08.2026/1500/AT/HK/03

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमारा एक देवता बड़ा देव का प्रसिद्ध स्थान है मेरे विधान सभा क्षेत्र के बादू के दुर्गम क्षेत्र में देवता का स्थान है। देवता की मान्यता जहां मंडी जिले में है, वहीं सोलन और बिलासपुर जिले में भी है। दूर-दूर से सोलन और बिलासपुर के क्षेत्रों से लोग वहां आते हैं। अगर यह बेरल वाला फुटब्रिज बन जाता है, तो मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ साथ लगते सोलन और बिलासपुर के क्षेत्रों के लोगों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जो तत्तापानी से सलापड़ तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी यह सड़क पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। इसलिए मेरे क्षेत्र के लोग, चाहे वह धनयारा हो, हाड़ाबोई हो या बटवाड़ा हो, वे इसी मार्ग से आते-जाते हैं और वे जल मार्ग से भी बोर्ड के द्वारा आते हैं पर जब वे कियान में बोर्ड से उतरते हैं, तो उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट के रास्ते से आना होता है। लेकिन वहां पर सी0आई0एस0एफ0 द्वारा हमारे उस

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1505/av/hk/1

श्री राकेश जम्वाल जारी-

क्षेत्र के लोगों की आवाजाही को रोक दिया जाता है। वहां कम-से-कम उस क्षेत्र के लोगों को तो सुविधा मिले जिस क्षेत्र के लोगों को इस प्रोजैक्ट के कारण दिक्कतें आईं, जिनकी जमीनें गईं और जो प्रभावित हुए। जिनकी जमीनें जाने के बाद वह प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां से उनको क्रॉस करने के लिए भी रोका जाता है जिससे हमारे उस क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे लोगों के लिए स्थाई तौर पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां पर लगी सी0आई0एस0एफ0 की फोर्स उनको वहां न रोके। बिलासपुर में एम्ज बनने के कारण अब तो हमारे बहुत सारे लोग वहां के लिए भी आते हैं। लेकिन उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तत्तापानी से सलापड़ सड़क अभी पूरी तरह से नहीं बनी है और उस पर ध्वाल में एक ब्रिज भी बन रहा है। जिसका अभी 90 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है जिसके कारण लोगों को अभी प्रोजैक्ट के रास्ते से आना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक ऐसी नीति बनाई जाए कि जिन लोगों की जमीनें जाती हैं और जिन लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है, उनको कुछ सुविधा भी मिले। इसके साथ-साथ मैं उनको रोज़गार देने से संबंधित बात भी करना चाहूंगा क्योंकि जब भी किसी क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उस क्षेत्र की जनता को उम्मीद रहती है कि हमारे यहां पर हाईडल प्रोजेक्ट लग रहा है तो इसमें हमारे लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। कहीं पर 90 मेगावाट का प्रोजैक्ट लगता है और यह तो 800 मेगावाट का प्रोजैक्ट है। वह चाहे बी0बी0एम0बी0, बी0एस0एल0 प्रोजैक्ट हो या फिर एन0टी0पी0सी0 द्वारा कोल डैम बनाया गया हो। इसके लिए एक स्थाई नीति बने ताकि प्रभावित परिवारों के लोगों को रोज़गार मिल सके। हम देखते हैं कि इस कोल डैम प्रोजैक्ट से प्रभावित बहुत से परिवारों के सदस्यों को नौकरी न देकर बाहर के लोगों को रोज़गार दिया जाता है जिसके कारण उनको लगता है कि जमीन जाने के कारण हमारा नुकसान हुआ। अब कम्पनसेशन तो आप भी जानते हैं कि कितना मिलता है और जो मिलता भी है वह तो वैसे ही खत्म हो जाता है। परंतु यदि हमारे लोगों को स्थाई रोज़गार

मिले, उसमें चाहे सुन्दरनगर का क्षेत्र है या बिलासपुर या फिर सोलन का क्षेत्र है। बहुत से लोग रिटायर होते हैं और उनकी जगह

27.08.2026/1505/av/hk/2

दोबारा से भर्ती होती है, वह चाहे आउटसोर्स बेसिज पर ही हो। लेकिन वहां पर विस्थापित हुए परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मैं इस विषय को लेकर यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इसके लिए कोई स्थाई नीति बनाए और उस नीति को बनाते समय इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए क्योंकि समस्याएं प्रोजैक्ट बनने से पहले भी आती हैं और उसके तैयार होने के बाद भी उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहां पर जैसे डॉ0 हंस राज जी ने कहा कि जब एम0ओ0यू0 हुआ तो उसमें तो अनेकों बातें होती हैं कि हम स्कूल, होस्पिटल, सड़क व रास्ते बनाएंगे व उनका रख-रखाव भी करेंगे। मैं निवदेन करना चाहूंगा कि वह चाहे सी0एस0आर0 का पैसा हो या उसमें लाडा का पैसा है। उस पैसे का उपयोग करने के संदर्भ में प्राइवेट कम्पनीज और पी0एस0ईज0 वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी पूछे क्योंकि वे भी अपने क्षेत्र की समस्याओं से भली-भान्ति परिचित होते हैं। वे अकसर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिलते रहते हैं, उनको पूरी जानकारी होती है इसलिए उसमें उनको भी प्राथमिकता दी जाए, यह मेरा सुझाव रहेगा।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2026/1505/av/hk/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी हिस्सा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी : सभापति महोदय, यह संकल्प दिनांक 31 मार्च, 2026 को हमारे साथी डॉ0 जनक राज जी ने नियम-101 के तहत लाया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक और

पर्यावर्णीय प्रभाव से उत्पन्न समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने बारे यह सदन विचार करे", मैं भी इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हिमाचल प्रदेश को देश की जल विद्युत राजधानी के रूप में पहचान मिली है और हमारे प्रदेश की नदियों एवं जल स्रोतों से देश को ऊर्जा उपलब्ध करवाने में हिमाचल प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं जल विद्युत परियोजनाओं से प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति भी होती है।

टी सी द्वारा जारी

27.08.2026/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

श्री सुरेन्द्र शौरी .... जारी

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पिछले कई दशकों से जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन के दौरान स्थानीय स्तर पर उत्पन्न हो रही समस्याओं तथा उनके कारण समाज और पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके कारण अनेक प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरी विधान सभा के अंदर एन0एच0पी0सी0 के दो बड़े प्रोजैक्ट हैं जिनमें एक 800 मेगावाट तथा दूसरा 500 मेगावाट का है। इसके अतिरिक्त एच0पी0पी0एस0एल0 का 100 मेगावाट का एक प्रोजैक्ट तथा लारजी का एक प्रोजैक्ट है। इस प्रकार मेरी विधान सभा के अंदर लगभग 1,600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है।

सभापति महोदय, वर्ष 1998 में हिमाचल सरकार और एन0एच0पी0सी0 के बीच एम0ओ0यू0 साइन हुआ था और उसके बाद इन प्रोजैक्टों पर कार्य शुरू हुआ। आज 28 वर्ष बाद हम देख रहे हैं कि उनके परिणाम हमारे सामने क्या हैं। जब एन0एच0पी0सी0 के प्रोजैक्ट के लिए एम0ओ0यू0 साइन हुआ था तो प्रोजैक्ट के

लोग अपनी उस समय की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एग्रीमैंट में कई बातें लिख दी थी। आज हम देख रहे हैं कि उनमें से अनेक बातें धरातल पर लागू नहीं हुई हैं। लोगों को यह उम्मीद थी कि प्रोजैक्ट आने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने राष्ट्रहित में इन बड़ी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीनें दीं। हमारे जंगल परियोजनाओं में चले गए और कई गांवों के पानी के स्रोत भी परियोजनाओं में चले गए लेकिन आज 28 वर्ष बाद इसके प्रभाव सामने आने पर लोग अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सैंज घाटी में वर्ष 2023 और वर्ष 2025 की आपदा के दौरान इनकी डैम साइट ओवरफ्लो हो गई और अचानक पानी छोड़े जाने के कारण सैंज

27.08.2026/1510/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

से लेकर लारजी तक बहुत सारे मकान बह गए तथा हमारी बहुत-सी निजी जमीनें भी इसकी चपेट में आ गईं। इसके साथ ही आज बहुत सारे गांव विस्थापित होने के कगार पर हैं। हम आज देख रहे हैं कि जब यह प्रोजैक्ट पूरा होने को है तब एन0एच0पी0सी0 के स्टेज टू के 800 मेगावाट के प्रोजैक्ट में मणिकर्ण वैली की पार्वती नदी का पानी लगभग 32 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से सैंज में पहुंचाया गया है। सैंज में अत्यधिक पानी आने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसमें गडसा घाटी के नाले सहित दो-तीन अन्य नाले भी जोड़े गए हैं जिससे वहां पानी की मात्रा और बढ़ गई है तथा स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसलिए आज सैंज के कस्बे के लोग बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि प्रोजैक्ट के कारण कब पानी ओवरफ्लो हो जाए या अचानक अधिक पानी आ जाए और पूरा कस्बा बह जाएगा। वर्ष 2023 में भी ऐसा हुआ और वर्ष 2025 में भी ऐसा हुआ था। इसलिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें अब वहां से विस्थापित किया जाए और उन्हें वहां से विस्थापित कर सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाया जाए। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। यदि

न्यूली से चलें तो न्यूली का भी आधा बाजार तेज बहाव की चपेट में आ गया। एच0पी0पी0सी0एल0 की डैम साइट में अधिक पानी आने के कारण अचानक पानी छोड़े जाने से न्यूली का आधा बाजार बह गया। इसके कारण सीयूंड के पास एन0एच0पी0सी0 के सेकंड स्टेज की बियर साइट भी ओवरफ्लो हो गई और पानी अधिक आने के कारण बहुत सारी जमीनें चली गईं तथा बहुत सारे घर और पुल भी इसकी चपेट में आ गए। अब हमारी स्थिति

एन0एस0 द्वारा .... जारी

27-8-2026/1515/NS-YK/1

श्री सुरेन्द्र शौरी------जारी

यह है कि न्यूली से लेकर सैंज बाजार तक और वहां से आगे हमारा बगशाड़ गांव पूरी तरह खतरे में है। वहां की सड़क और पुल बह गए हैं। मेर विधान सभा क्षेत्र के तरेड़ा, तलाड़ा, बिहारी गांव और यहां तक कि तलाड़ा तक सभी गांव विस्थापित होने के कगार पर हैं। हम चाहते हैं कि एन0एच0पी0सी0 तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से इस संबंध में एक सर्वे करवाए जिसमें यह आकलन किया जाए कि बरसात के दिनों में मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है और कितना पानी छोड़ा जा सकता है? इस संबंध में इंजीनियरों से सर्वे करवाकर नदी के दोनों किनारों पर कितना पानी आया तो उस जमीन का पूरा एक्वायर किया जाए तथा भूमि मालिकों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि भविष्य में वहां कोई घर न बना सके और पूरा इलाका सुरक्षित हो सके। अब वह भूमि किसी काम की नहीं रह गई है इसलिए उसको एक्वायर करना बहुत जरूरी है। जब एन0एच0पी0सी0 उस जमीन को एक्वायर करेगा तो निश्चित तौर पर भविष्य में वहां न कोई कंस्ट्रक्शन होगी और न ही कोई अन्य गतिविधियां होंगी। निश्चित तौर पर आने वाले समय में सभी लोग सुरक्षित हो जाएंगे। मैं इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैंने जिस 32 किलोमीटर टनल का जिक्र किया है उसके अंदर भी जगह-जगह रिसाव हो रहा है। उस रिसाव के कारण जिभा, खड़ोआ, सुड़गा, रूमरा और बागीधार जैसे बहुत-से गांवों में खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान दो

टरबाइनें भी बंद कर दी गईं क्योंकि टनल में बहुत ज्यादा पानी आ रहा था जिससे इन गांव के अंदर खतरे की स्थिति पैदा हो गई है। टनल के अंदर हो रही लीकेज और पानी के रिसाव के कारण भी बहुत-सी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में लगे हाइड्रो प्रोजैक्ट्स का प्रौपर तरीके से आकलन हो और सही ढंग समीक्षा की जाए कि यह लगातार खतरा आखिर कब तक बना रहेगा? पिछले वर्ष जिभा नाले के अंदर डंपिंग साइट बनाई गई थी उसमें पानी आ गया और पूरी डंपिंग साइट बह गई जिसके कारण बहुत ज्यादा मलबा आ गया और चार लोगों की मृत्यु हो गई तथा चार-पांच घर भी बह गए। सैंज घाटी के लोगों के लिए दहशत के माहौल में बरसात के दो-तीन महीने काटना बहुत मुश्किल होते हैं। अब धीरे-धीरे इस प्रोजैक्ट के प्रभाव नजर आने लगे हैं और वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे कई गांवों के रिसोर्सिज भी सूख गए हैं। सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि इन हाइड्रो

27-8-2026/1515/NS-YK/2

प्रोजैक्टों की ठीक से समीक्षा होनी चाहिए और इनकी निगरानी के लिए एक कमेटी भी बनाई जानी चाहिए क्योंकि इसके इम्पैक्ट आम जनमानस और लोगों पर पड़ रहे हैं और उस पर भी समीक्षा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं रोजगार के विषय में भी कहना चाहूंगा कि इन प्रोजैक्टों के साथ एक बार नहीं बल्कि कई एग्रीमैंट्स और एम0ओ0यू0 सरकार के साथ किए गए लेकिन इन्होंने किसी भी एग्रीमैंट को ठीक से इम्प्लीमैंट नहीं किया और न ही वे अपने किसी एग्रीमैंट पर खरे उतरे। रोजगार देने के वायदे किए गए। इन्होंने कहा था कि जितने भी लैंडलैस लोग होंगे हम उन सबको रोजगार देंगे। ऐसे 606 लोगों की सूची बनी लेकिन उनमें से केवल 33 लोगों को रोजगार दिया गया और कहा कि जब वैकेंसी होगी तो हम रोजगार देंगे लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं हुई। बहाना बनाकर रोजगार नहीं दिया गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब इन्होंने कमिटमैंट की है और एग्रीमैंट में साइन किया है कि लैंडलैस लोगों को रोजगार देंगे तो सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि विभागों में जितने पद खाली हैं उसकी लिस्ट इनको देनी चाहिए कि योग्यता के अनुसार इस स्कूल में चपरासी, क्लर्क के पद खाली हैं और इस डिपार्टमैंट में

इलैक्ट्रिशियन के पद खाली हैं तथा अन्य विभागों में भी कौन-कौन से पद खाली हैं, इसकी पूरी सूची दी जानी चाहिए। जिन स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वायदा किया गया है उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें एन0एच0पी0सी0 के प्रोजैक्ट्स में रोजगार दिया जाए क्योंकि एग्रीमैंट में इन्होंने लिखा है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे। ऐसी सूची बनाकर इन्हें देनी चाहिए कि पैसा इनका होगा और लोग कार्य संबंधित सरकारी कार्यालयों में करेंगे। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? इनके पास कभी भी वैकेंसी नहीं होगी। जिन लोगों ने वर्ष 2004, वर्ष 2005 और वर्ष 2006 में आवेदन किया था उनकी आयु आज 50-55 वर्ष हो गई है। इस प्रकार से एक बहाना लगा कर कि जब वैकेंसी आएगी तब रोजगार देंगे तो इस विषय पर भी सरकार को आने वाले समय में पहल करनी चाहिए कि इन लोगों को किस प्रकार रोजगार मिल सकता है? सभापति महोदय, दूसरा, इन्होंने प्रोजैक्ट बनने के बाद नाले का पूरा पानी डाइवर्ट कर दिया है जबकि इनको गाइडलाइन है कि केवल 20 प्रतिशत पानी उसमें छोड़ा जाएगा। कई बार लोगों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। हमारे वहां पर कई

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.08.2026/1520/RKS/AG-1

श्री सुरेन्द्र शौरी जारी.....

उठाऊ जल परियोजनाएं क्रियान्वित हैं। उनके लिए पानी की जरूरत रहती है इसलिए निश्चित तौर पर उस हिसाब से पानी अधिक मात्रा में छोड़ा जाना चाहिए। मैंने आपके समक्ष बहुत सारी समस्याएं रखी हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी हैं उनके साथ अभी तक कोई न्याय नहीं हो पाया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके काफी इम्पैक्ट अभी सामने आ रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जो लोग लैंडलेस हुए हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए और जिन लोगों को प्रोजैक्ट के कारण बिना वजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनका भी कोई समाधान निकाला जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इतनी बात कहते हुए आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2026/1520/RKS/AG-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार : सभापति महोदय, दिनांक 31 मार्च, 2026 को हमारे वरिष्ठ साथी डॉ0 जनक राज जी द्वारा "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने संबंधी जो महत्वपूर्ण संकल्प लाया गया है, इसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एस0जे0वी0एन0एल0 के माध्यम से 412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत परियोजना बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र में लूहरी जल विद्युत प्रोजैक्ट के प्रथम चरण का कार्य भी चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इन परियोजनाओं का कार्य आरम्भ हुआ था तब हम कॉलेज में पढ़ते थे और जब बायल प्रोजैक्ट का कार्य शुरू हुआ था तब मैं स्कूल में था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जंगल हमारे हैं, जमीन हमारी है और पानी हमारा है लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। यदि हम 412 मेगावाट बायल जल विद्युत प्रोजैक्ट की बात करें तो वर्ष 2023-24 में हमारे क्षेत्र में लगातार बाढ़ आई। आज भी बायल गांव के पास बने इस प्रोजैक्ट के कारण लगभग सैकड़ों बीघा भूमि प्रभावित हो रही है। जिन किसानों की आजीविका धान, गेहूं तथा अन्य नगदी फसलों पर निर्भर थी, वे अब उस भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। वहां पानी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब प्रोजैक्ट के अधिकारियों से इस विषय में बात की जाती है तो वे आश्वासन देते हैं कि आवश्यक कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। परंतु बाढ़ आए हुए दो वर्ष हो चुके हैं और आज तक वे कार्य पूरे नहीं हुए हैं। हमारे क्षेत्र की बायल तथा कोयल दो महत्वपूर्ण कुहलें हैं। वे दोनों कुहलें टूट गई हैं और वहां लगातार समस्या बढ़ रही है। बायल गांव में पेयजल का जो स्रोत था वह भी प्रोजैक्ट के कारण प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद उस समस्या के समाधान के लिए प्रोजैक्ट प्रबंधन द्वारा अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। मैं आपके माध्यम से संबंधित अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस विषय पर गंभीरता

से ध्यान दें। मैंने पहले भी कहा कि जमीन हमारी है, टनल हमारे क्षेत्र में बनी है, ब्लास्टिंग हमारे क्षेत्र में हुई है, घरों में दरारें पड़ी हैं और नुकसान भी हमारे लोगों का हुआ है लेकिन उसके बावजूद मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को वह लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके लिए वे वास्तविक रूप से हकदार हैं। मैं मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ लगते दूसरे विधान सभा

27.08.2026/1520/RKS/AG-3

क्षेत्र के खिलाफ नहीं हूं। रोजगार का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जब किसी प्रोजैक्ट का एम0ओ0यू0 साइन होता है तो उसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए 70:30 का अनुपात निर्धारित किया जाता है। सरकार को इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि वास्तव में स्थानीय क्षेत्र के कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रोजैक्टों के बाहर स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर धरना-प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद प्रोजैक्ट अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वे लोगों की समस्याएं सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वे प्रोजेक्ट परिसरों के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात करके रखते हैं। उन्होंने 500 मीटर के दायरे के अंदर लोगों को भेजना बंद कर दिया है। जो लोग रोजगार के लिए वहां जा रहे हैं, उनको अंदर आने नहीं दिया जाता है। हमारा बायल और लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट अभी निर्माणाधीन है। बरसात की वजह से वहां कुछ समय के लिए काम रुका हुआ है। अभी लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट का काम तो शुरू हो गया है। मेरा निथर का क्षेत्र है और इसके साथ लगता हुआ हमारा आनस गांव है। निथर से ऊपर झल्ली का क्षेत्र है

श्री बी0एस0द्वारा जारी

27.08.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी...

और हमारा दुरा का क्षेत्र भी आता है। इन सभी जगहों पर इस प्रोजैक्ट का प्रभाव पड़ रहा है और लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत है और घरों के अंदर दरारें पड़ रही

हैं परंतु अभी तक चाहे वह लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट हो वहां दरारों का पैसा मेरे लोगों को नहीं मिला है।

कुछ दिन पहले मैंने पिछले महीने अधिकारियों की मीटिंग निर्मंड में की थी। वहां प्रोजैक्ट के लोगों को भी बुलाया गया था और प्रोजैक्ट के कुछ अधिकारी भी वहां पहुंचे थे। हमने वहां से तय किया था कि आपको निथर में जाकर वहीं मीटिंग करनी है जहां प्रभावित इलाका है। परंतु अभी तक प्रोजैक्ट के द्वारा वहां मीटिंग नहीं की गई है।

आप जान सकते कि प्रोजैक्ट के लोग किस तरीके से आनाकानी कर रहे हैं। क्योंकि उनके पार्ट पर कोई गलती होगी इसलिए वे जानबूझकर मीटिंग को टाल रहे हैं। हमने कहा कि जो नई पंचायतें हमारी गठित हुई हैं उन पंचायतों के प्रधानों के साथ बैठक करिए। उसमें एस0डी0एम0 साहब भी हो और हमारे पी0आर0आई0 भी उसमें हों। हमारे जिला परिषद सदस्य भी हों और विधायक भी उसमें हो।

ताकि हमारे प्रोजैक्टों में वास्तविक स्थिति जो है वह सामने आ सके और चाहे रोजगार का विषय हो चाहे एक प्रतिशत प्रदूषण का पैसा हो चाहे दरारों का पैसा हो उन सभी विषयों पर वहां काम हो सके और लोगों को सही तरीके से उनका मुआवजा मिल सके। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय।

दूसरा, एक पैरामीटर की बात मैंने पहले भी सदन के अंदर की थी। जो शिमला जिला है उसमें प्रदूषण का पैमाना जो है और सामने हमारी विधान सभा लगती है उसमें प्रदूषण का पैमाना गांव नागाधार तक जाता है और जो मेरी विधान सभा का क्षेत्र है जहां प्रोजैक्ट बना है और प्रोजैक्ट में ब्लास्टिंग हो रही है वहां यह पैमाना सिर्फ आनस गांव तक आता है।

27.08.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-2

आनस गांव बहुत नीचे है जबकि उस प्रोजैक्ट का प्रभाव उसकी धूल-मिट्टी का प्रभाव और उसकी दरारों का प्रभाव निथर के क्षेत्र तक और झल्ली गांव के क्षेत्र तक पड़ता है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। कृपया आप आदेश करें कि जिस पैमाने से लूरी

हाइड्रो प्रोजैक्ट के रामपुर वाली साइड को मापा गया है वही पैमाना आज मेरी विधान सभा क्षेत्र में भी लागू किया जाए।

ताकि जो प्रभावित परिवार हैं उन परिवारों को सही मुआवजा मिले और उनके घरों की देखभाल के लिए जो पैसा मिलता है वह पैसा भी उन्हें मिल सके। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी से भी अपील करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो प्रोजैक्ट हैं उनकी ओर आप विशेष ध्यान दें।

सभापति महोदय, 412 मेगावाट की जो मैंने पहले बात की थी और बायल की बात की थी उसके साथ हमारा पोखनी गांव लगता है। जब श्रीखण्ड में बादल फटा और हमारी बागी पुल वाली नदी में बाढ़ आई तो वहां के सारे पुल बह गए। पोखनी खड्ड के ऊपर बहुत लंबा स्पैन का पुल लगना है जो हमारी विधायक निधि से भी नहीं हो पाएगा। हमने कोशिश की थी कि चाहे 6 लाख रुपये का पुल लगे या 7 लाख रुपये का पुल लगे लेकिन उन लोगों ने लगभग 25 लाख रुपये का एस्टिमेट दिया है कि 25 लाख रुपये का स्पैन का पुल वहां लगेगा।

मैं चाहूंगा कि जो बायल प्रोजैक्ट वहां है वह जिस भी तरीके से सी0एस0आर0 फंड और कुल्लू में हमारा जो लाडा का पैसा जमा है उसके तहत उस पुल को लगवाने की कृपा करें ताकि वहां के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो अपनी रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने वाले बेरोजगार युवा हैं या अपनी आमदनी के लिए रामपुर जाते हैं उनको लगभग 10-15 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। अगर यह पुल लग जाता है तो यह सफर 3-4 किलोमीटर में पूरा हो जाएगा। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बहुत दुख के साथ मैं सदन में एक और बात कहना चाहता हूं। जब हमारे समेज खड्ड में बादल फटा था, मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। शिमला जिला के लोगों को ग्रीनको कंपनी ने दो-दो लाख रुपये दे दिए। जिन लोगों की यहां मृत्यु हुई

27.08.2026/1525/बी.एस./ए.जी.-3

थी उनको दो-दो लाख रुपये और जिनके मकान प्रभावित हुए थे उनके मकान बनाने के लिए एक-एक लाख रुपये दे दिए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन लोगों की मृत्यु हुई है। उन तीनों को आज तक वे दो-दो लाख रुपये नहीं मिले हैं और जिनके घरों के लिए एक-एक लाख रुपये मिलना था वे एक-एक लाख रुपये भी नहीं मिले हैं।

मैंने पहले भी सदन में यह बात कही थी और मुख्य मंत्री जी से मिलकर भी मैंने यह बात कही थी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में भी शीघ्र कार्रवाई की कृपा करें ताकि जिन परिवारों को सहायता मिलनी है उन्हें उनका हक मिल सके।

दुःख का विषय है कि ग्रीनको कंपनी के अधिकारियों की वजह से या हमारे अधिकारियों की वजह से वह पैसा उन मजबूर व्यक्तियों और उनके परिवार के लोगों को नहीं मिल पाया है। यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्टों की मनमानी देखिए। हमने विधान सभा के अंदर प्रोजेक्टों को चलाने और बिजली बनाने के लिए जमीनें दी हैं। परंतु उसके बावजूद भी हमारे लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वे सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और सभापति महोदय, चाहे वह लाइट का विषय है चाहे हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से स्कूलों के अंदर जो काम होने थे उसका विषय है

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

27.08.2026/1530/DT/AS-1
श्री लोकेन्दर कुमार जारी...

या हमारे पहाड़ों में मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए निथर पंचायत के प्रतिनिधियों ने प्रोजैक्ट के अधिकारियों को लगभग एक करोड़ रुपये का एस्टीमेट डिपॉजिट दिया है। वहां भोलेनाथ का मंदिर बन रहा है। परंतु उसके ऊपर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उस प्रोजैक्ट के अधिकारियों के द्वारा की गई है। हम देव समाज को मानने वाले लोग हैं और हिमाचल देव भूमि है। निथर के लोग भी वहां पर भोलेनाथ का मंदिर बनाने के लिए चंदा इक्ट्ठा कर रहे हैं परंतु चंदा भी उचित राशि में हमें नहीं मिल रहा

है। वहां लाइट्स लगाने के लिए भी पैसा नहीं है। स्कूल के लिए भी कोई फंडिंग नहीं उस प्रोजैकटस से मिल रही है। वहां पर बाजार बनाने की व्यवस्था के लिए भी कोई फंडिंग नहीं है। इसीलिए माननीय सभापति महोदय मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आदरणीय डॉ0 जनक राज जी इस सदन में लाए हैं कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसे समस्या पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने बारे" ऐसे प्राजैक्टस से हमारे पर्यावरण का नुकसान है, हमारी जगह का नुकसान है, हमारे घरों का नुकसान है और हमारे क्षेत्र का नुकसान है। उसके बावजूद भी मेरी विधान सभा, आनी को इन प्राजैक्टस से जो बेनिफिट मिलने चाहिएं वे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। लेकिन क्षेत्र के साथ अन्याय कितना ज्यादा हो रहा है। हमारी एक वाटर स्कीम है जिसका एस्टीमेट 24 करोड़ रुपये दिया है परंतु प्रोजेक्ट वालों ने केवल आठ करोड़ रुपये ही सैंक्शन किए हैं। रामपुर के साथ लगते क्षेत्र के लिए हमारी वाटर स्कीम के लिए 14 करोड़ रुपये सैंक्शन किए हैं, मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं कि वहां पैसा नहीं मिलना चाहिए, वहां पैसा मिले परंतु प्रोजैक्ट के अधिकारियों द्वारा दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। ये दोहरे मापदंड क्यों? आए दिन वहां हड़ताल होती है और यूनियन नेता वहां आते हैं। उनको हड़काया जाता है और जिस तरीके से भी हो मनमानी से उनसे काम करवाया जाता है। सभी अपने-अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे हैं पर मैं भी अपने क्षेत्र की बात ही रख रहा हूं। अगर हमारे कोटगढ़ और रामपुर के क्षेत्रों को इसका बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे क्षेत्र में भी नुकसान हो रहा है, मेरे क्षेत्र को भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना हम मांग रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस विषय पर ध्यान देगी।

27.08.2026/1530/DT/AS-2

मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि प्रोजैक्टस के कारण हमारी जितनी भी पंचायतें इफेक्टेड हैं, वहां जब हमारी ग्राम सभा होती है उस समय प्रोजैक्ट के अधिकारी वहां उन सभाओं में आएं और लोगों को बताएं कि क्या-क्या चीजें हम आपको दे सकते हैं तथा क्या-क्या कार्य हो सकते हैं। परंतु वे नहीं आते । वे अपने ए0सी0 वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते। लूहरी और बायल की गर्मी को देख कर बाहर आकर लोगों की समस्याओं का

समाधान करने की बजाय वे अपने ए0सी0 कमरों के अंदर बैठे रहते हैं। लेकिन बाहर हमारा मजदूर आदमी है, किसान है- वह उनकी नीतियों के कारण परेशान है। इसीलिए जिस समय प्रोजैक्ट लगा और एम0ओ0यू0 साईन हुआ, उसमें जो ट्रम्स एंड कंडिशन्ज हैं, वे लोगों को भी पता होनी चाहिए। मैंने पहले जो बात की है उसे मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें।

ग्रीनको कम्पनी के संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि वहां पर फ्लड आने के कारा जो लोग उस समय प्रभावित हुए थे उनमें से तीन लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बारे में मैं इस सदन में और सदन के बाहर भी चार- पांच अपनी बात रख चुका हूं कि उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जिनके घर गिरे हैं उनको एक-एक लाख रुपये मिलना था वह नहीं मिला और जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा मिलना था जो नहीं मिला है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। जिस तरीके से 410 मेगावाट रामपुर प्रोजैक्ट के अंदर और 210 मेगावाट लूरी हाइड्रो प्रोजैक्ट के अंदर प्रोजैक्ट के लोग मनमानी कर रहे हैं और जो कम्पनियां वहां आकर मनमानी कर रही हैं, विशेषकर लूहरी प्रोजेक्ट के अंदर उस प्राजैक्ट के संचालकों की मनमानी चली है मे मैं चाहूंगा कि सरकार उसमें जरूर हस्तक्षेप करे। इस तरीके का हस्तक्षेप होना चाहिए कि वहां नौकरी के मामले में मेरे क्षेत्र के लोगों को भी अवसर मिले। बाहर से लोगों को लाया जा रहा है परंतु मेरे निथर के लोग मेरे देहरा के लोग, मेरे आनी के लोग और मेरे बायल के लोग रोजगार से वंचित हैं। प्रोजैक्टस के कारण जितनी भी इफेक्टेड पंचायतें हैं वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। स्थायी रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और बाहर से लोगों काम करने के लिए लाया जा रहा है। इसके ऊपर जो रोक लगनी चाहिए वह लगनी चाहिए। मेरे क्षेत्र की आनी विधान सभा के दोनों प्रोजैक्टों के अंदर जो इफेक्टेड पंचायतें हैं उन इफेक्टेड पंचायतों के बेरोजगार युवाओं को वहां

27.08.2026/1530/DT/AS-3

रोजगार मिलना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो हक है वह उस क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए मैं यह बात इस सदन में बार-बार कहता आया हूं। आने वाले

एक-दो महीने के अंदर फिर से लूहरी प्रोजैक्ट का काम शुरू होगा। हम नहीं चाहते हैं कि वहां कोई व्यवधान हो क्योंकि हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए जितने भी प्रयोजन हैं उनके कार्य भी सुचारु रूप से आगे बढ़ने चाहिएं। राष्ट्र निर्माण के लिए बिजली का उत्पादन होगा और बिजली देश के अन्य हिस्सों तक भेजी जायेगी तो उससे हमें काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते हमें आम जनता के साथ, आम किसान के साथ और आम मजदूर के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में इसके लिए यह सरकार जिम्मेदार रहेगी। यदि वहां इस तरह की कोई भी घटना घटती है या वहां के स्थानीय लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है तो हम सबसे पहले वहां जाकर उनके खड़े रहेंगे। इस संकल्प के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने क्षेत्र के संबंध में जो बातें इस सदन में रखी हैं, मैंने सदन के माध्यम से सरकार को भी अवगत करवाया है कि प्रोजैक्टस के प्रबंधन द्वारा जिस तरीके से वहां मनमानी चलाई जा रही है वह मनमानी वहां नहीं होनी चाहिए। वहां के लोगों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वह मिलना ही चाहिए और जिन लोगों को प्रदूषण का पैसा नहीं मिला है

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./1

श्री लोकेन्दर कुमार......... जारी

अभी तक उनके खातों में नहीं आया है। मेरा आग्रह है कि उनको प्रदूषण और दरारों का पैसा भी मिले। मैं एक बात कहना भूल गया हूं कि लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट के अंदर हमारी लगभग 20 बीघा 5 बिस्वा जमीन है और यह शनाहां गांव में है तथा जिसके ऊपर किसान अब काम नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह है कि लूहरी हाइड्रो प्रोजैक्ट उस जमीन को भी एक्वायर कर ले ताकि किसानों को उसका उचित मुआवजा मिल सके। यही मैं कहना चाहता था।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द! जय हिमाचल प्रदेश! जय आनी!

27.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल भाग लेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, यह जो संकल्प माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी ने लाया है, मैं इस संकल्प की चर्चा में अपने आपको भी सम्मिलित करता हूं।

सभापति महोदय, यहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। मुझे लगता है कि मैं उस जिला से आता हूं, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद अगर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहीं बनना शुरू हुआ, तो वह मेरे बिलासपुर जिला में हुआ है। मेरे बिलासपुर जिले का जो भाखड़ा बांध है, वह वर्ष 1948 में बनना शुरू हुआ था। उसका एम0ओ0यू0 उससे पहले साइन हो गया होगा। यह हाइड्रो सेक्टर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 1325 मेगावॉट बिजली बनती है। जब देश आज़ाद हुआ और प्रोजैक्ट बनना शुरू हुआ तो लगभग 10 वर्षों के बाद बनकर कंप्लीट हुआ। वर्ष 1962 के आसपास यह प्रोजेक्ट चलना भी शुरू हो गया था। लेकिन जब इस प्रोजैक्ट की सबसे बड़ी मैन मेड लेक बनी और उस झील में सबसे पहले अगर कोई शहर डूबा, तो वह मेरा बिलासपुर शहर था, जोकि सबसे पुराना शहर था और पूरा शहर पानी में सबमर्ज हो गया। सबसे बड़ी कुर्बानी अगर किसी ने आज़ादी के बाद दी—एक तरफ आज़ादी और उसके बाद अपने घर छोड़े, अपना शहर छोड़ा, अपना व्यवसाय छोड़ा, अपनी संस्कृति छोड़ी, अपना कल्चर छोड़ा, ताकि हमारे सैक्रिफाइस के ऊपर देश को बिजली मिलती रहे, देश जगमगाता रहे, देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े।

सभापति महोदय, हम लोग सी-टाइप स्टेट में थे और वर्ष 1954 में मर्ज हुए। हमारे जो राजा थे, वे भी इस चीज का विरोध करते थे कि जो एम0ओ0यू0 हमारे लोगों के साथ हुआ, उसमें हमारे साथ जस्टिफिकेशन नहीं हुई है। शायद यह भी एक विषय उसके बीच

में था। इसी कारण मेरा जिला बिलासपुर सबसे बाद में मर्ज हुआ। लेकिन हम लोगों का दर्द—पूरा शहर चला गया, पूरी जमीनें चली गईं—कोई शहर पूरा नहीं गया,

27.08.2026/1535/ए.एस.-एन.जी./3

लेकिन बिलासपुर शहर एकमात्र शहर था कि उधर देश आज़ाद हुआ और 10 साल के भीतर-भीतर हमने अपना सब कुछ छोड़कर, जहां सरकार ने बसाया, वहां बस गए। किसी को हिसार में जगह मिली, किसी को राजस्थान में मिली, किसी को पंजाब में मिली, किसी को हरियाणा में मिली और कुछ लोगों को छोटे-छोटे प्लॉट न्यू बिलासपुर टाउनशिप (NBT) में मिले।

सभापति महोदय, जो हमारी सोसायटी/समाज था, भाईचारा था, वह सब समाप्त हो गया। मेरे बिलासपुर के लोगों ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि देश आज़ाद हुआ है और देश की आजादी के बाद अगर प्रोग्रेस होनी है तथा वह प्रोग्रेस हमारे घरों के ऊपर, हमारी जमीनों के ऊपर, हमारे व्यवसाय के ऊपर होनी है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे लोगों ने सारा सैक्रिफाइस किया और देश को जगमगाया। लेकिन बदले में आज तक हम उसके दर्द को झेल रहे हैं।

सभापति महोदय, 1325 मेगावॉट कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा? पहले के टाइम में जो भी एम0ओ0यू0 हुआ होगा, हमारे बुजुर्गों ने या उस समय के लोगों ने किया होगा। लेकिन मेरा शहर आज भी 999 साल की लीज पर है। मेरे बिलासपुर शहर के लोग न्यू बिलासपुर टाउनशिप (NBT) में 100 गज के प्लॉट, 120 गज के प्लॉट अर्थात तीन बिस्वा, चार बिस्वा के प्लॉट में रहने चले गए। जिनके पांच बच्चे थे, उनको आपने चार बिस्वा के प्लॉट में निपटा दिया। आज उन पांच बच्चों के 10 परिवार बने हैं

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.08.2026/1540/DC/PB/1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

ऐसे में दस परिवारों को कितनी जमीन मिलेगी? जब बिलासपुर शहर जलमग्न हुआ तो जिन लोगों के पास 10 बीघा जमीन थी उनको भी कई जगह 100 गज का प्लॉट मिला। ये लोग कहां जाएंगे और किसे अपना दुःख सुनाएंगे? यह सिलसिला वर्ष 1948 से शुरू हुआ और वर्ष 1962 में बिलासपुर शहर में पानी आया। हम वहां से वर्ष 1954 के बाद ऑस्टी (विस्थापित) बनना शुरू हो गए। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1971 में भाखड़ा डैम ऑस्टीज रीसेटलमैंट एंड रिहैबिलिटेशन की पॉलिसी बनी जिसके तहत ग्रांट ऑफ लैंड स्कीम शुरू की गई। वर्ष 1971 से लेकर आज तक जिन लोगों को प्लॉट मिलने चाहिए थे उनको आज भी प्लॉट नहीं मिले हैं। आज भी उनकी केवल सूची बनाई जा रही है और उसमें नाम जोड़े जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यक्ति थोड़ी-सी एंक्रोचमैंट करता है तो उसे हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है जबकि हमारा अपना कुछ भी नहीं है और हम आज भी लीज पर हैं। मेरे शहर के लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जीवन बत्रा नाम की एक महिला ने वर्ष 1992 में एक प्लॉट लिया था। दो भाइयों के पार्टिशन में पहला प्लॉट बिका था and on the fag end of her life जब वह उस प्लॉट को बेचने के लिए परमिशन मांगी तो उसे परमिशन नहीं मिली। हमें प्रत्येक प्लॉट बेचने के लिए सरकार तथा डिप्टी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। हम ऑस्टी हैं और जमीन के मालिक नहीं हैं। मेरे शहर के लोग आज भी ऑस्टी हैं। इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है? जिन्होंने देश को जगमगाया है वे आज इस दंश को झेल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, कई लोगों को दो बिस्वे और 10 बिस्वे जमीन मिली है। हमने कहा था कि जितनी जमीन गई है उतनी ही जमीन शहर के आसपास दे दी जाए लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। पंडित जय कुमार जी तथा हमारे वरिष्ठ लोग इन मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों की 20-20 बीघा और 30-30 बीघा

जमीन गई है। उनके संबंध में उस समय सरकार ने कहा होगा और एम0ओ0यू0 में भी ऐसी व्यवस्था दी होगी कि पानी का स्तर कम होने पर लोग इस

27.08.2026/1540/DC/PB/2

जमीन का उपयोग कर सकते हैं। जब पानी का स्तर कम होता है तो लोग उस जमीन का उपयोग करते हैं लेकिन बी0बी0एम0बी0 के अधिकारी उन्हें रोकते हैं, उनके चालान करते हैं और उनके औजार ले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब तो बी0बी0एम0बी0 के अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि जब उन्होंने बुर्जियां लगाई तो एक्चुअल एच0एफ0एल0 अर्थात हाईएस्ट फ्लड लेवल को छोड़कर 20-30 फीट ऊपर तक लगा दी है। जब वे 30 फीट ऊपर तक आ गए तो हमारी एक्चुअल जमीन पर भी अपनी मर्जी से बाउंड्री लगाकर बी0बी0एम0बी0 के लोग चले जाते हैं। हमारे लिए यह बड़ी पीड़ा की बात है कि बी0बी0एम0बी0 अपनी मर्जी से पहले हमें पानी के लिए एन0ओ0सी0 लेने को बाध्य करता था। पानी हमारा, ज़मीन हमारी तथा सब कुछ हमारा है फिर भी कुछ समय पहले तक हमें बी0बी0एम0बी0 से एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती थी कि हम पानी उठा सकते हैं या नहीं। पिछली बार सरकार ने तय किया कि हम बी0बी0एम0बी0 से एन0ओ0सी0 नहीं लेंगे। लेकिन बाकी कार्यों के लिए भी जहां बी0बी0एम0बी0 की जमीन हमारी बाउंड्री से लगती है वहां यदि हमें कंस्ट्रक्शन करना हो तो हमें बी0बी0एम0बी0 से एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती है कि कहीं निर्माण कार्य उनकी जमीन में तो नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) उप-मुख्य मंत्री जी यह व्यवस्था पिछली सरकार में हुई है। जब से हमारी कोलडैम स्कीम और कंदरौर के पास की स्कीम बनी है तब से सरकार ने यह तय किया है कि एन0ओ0सी0 की कोई आवश्यकता नहीं है।

27.08.2026/1540/DC/PB/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी एक मिनट बैठ जाइए, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बी0बी0एम0बी0 में जो एन0ओ0सी0 की बात है इस संदर्भ में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यदि हमें वॉटर सप्पलाई की स्कीम लानी होती थी तो उसके लिए पहले बी0बी0एम0बी0 से एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती थी। सिंचाई की स्कीम में भी बी0बी0एम0बी0 से एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती थी। हमारी सरकार ने... (व्यवधान) यदि आप (नेता प्रतिपक्ष की ओर इशारा करते हुए) इस प्रकार बोलेंगे तो आपके खिलाफ तीसरा प्रिविलेज बन जाएगा। आप स्वंय सबसे ज्यादा झूठ बोलते है और सच्चे व्यक्ति के खिलाफ बात करते है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1545/डी0सी0/ए0पी0-01

मुख्य मंत्री जारी .....

आपने कहा कि पिछली सरकार के समय! अध्यक्ष महोदय, इसे नोट किया जाए। मैं इनके खिलाफ तीसरा प्रिविलेज भी लाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में श्री आर.के. सिंह जी हमारे पावर मिनिस्टर थे। ...(व्यवधान) सुनो तो सही, वे पावर मिनिस्टर थे। उनसे बार-बार अनुरोध करने के बाद, जब वर्ष-2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में इलेक्शन आए तो उन्होंने मुझे वादा किया कि मैं इसको कर दूंगा। उस समय मैं और माननीय राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी किन्नौर में उनके पास बैठे थे। वे रात को किन्नौर में हमारे साथ रुके थे और हमने वहां रात बिताई। वे सांगला भी हमारे साथ गए थे और उन्होंने वहां कमिटमेंट की थी। इसके बाद एन0ओ0सी0 लेने के लिए उन्होंने हमारे पास उसकी कॉपी भी भेजी थी। कल मैं वह कॉपी सदन में ले कर दूंगा और आपके खिलाफ प्रिविलेज भी लाऊंगा क्योंकि यह सच्चाई है। आप माननीय सदन में बोल रहे हैं तो सच बोला करें। इसलिए मैंने आपको कहा कि यह जो एन0ओ0सी0 है ...(व्यवधान) अभी नहीं दिया है प्रिविलेज, अभी आपको राहत दी है, प्रिविलेज हम सोमवार को देंगे, आपको दो दिन की राहत दी है। मैं यह चीज कहना चाह रहा हूं कि यह हमें पता है और माननीय राजस्व मंत्री श्री नेगी जी को भी पता है। पावर मिनिस्टर होने के नाते वे किन्नौर में आपदा के समय आए थे। उन्होंने सी0आर0एफ0 में भी हमारी मदद की और इसमें भी मदद की है। इसकी जो

कॉपी है, वह भी हम आपको कल बता देंगे। माननीय सदस्य आप अच्छा बोल रहे हैं और सभी बहुत अच्छा बोला रहे हैं। मैं उस पर ही बोलने के लिए आया हूं, लेकिन झूठ न बोलिए, सत्य बोलिए, यही अच्छा रहेगा।

27.08.2026/1545/डी0सी0/ए0पी0-02

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जो अपने बिलासपुर की ओर हो रही समस्या का जिक्र कर रहा था, उसमें मैं कह रहा था कि चाहे पीने का पानी हो या इरीगेशन का पानी हो, उसे उठाने के लिए भी हमें बी0बी0एम0बी0 से एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी अभी कह रहे थे। मेरे बिलासपुर शहर के लिए कोल डैम से पहले भी एक परियोजना बनी है। दूसरी अभी एम्स में पानी देने के लिए परियोजना बनी है। तीसरी, हमने भटोली से पानी उठाकर अपने मल्यावर और हरलोग पूरे क्षेत्र को देने के लिए परियोजना बनाई। चौथा मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय नगर एवं योजना मंत्री श्री राजेश धर्माणी जी यहां बैठे हैं मैं कहना चाहता हूं कि कंदरौर के पास से हम पानी उठा रहे हैं। ये सभी वर्ष- 2022 से पहले की योजनाएं हैं, जो शुरू हुई हैं। एन0ओ0सी0 किसने दिया, किसने नहीं दिया, यह अलग विषय है। लेकिन ये सारी योजनाएं तब से शुरू हुई हैं और आज कम्प्लीशन पर हैं। लगभग चार वर्षों में भी ये योजनाएं कम्प्लीट नहीं हो पाई हैं, जबकि इन योजनाओं का 90 प्रतिशत काम पहले हो चुका था, उनका केवल 10 प्रतिशत काम आज तक चार वर्षों में कम्प्लीट नहीं हो पाया। इसके साथ, मैं कह रहा था कि मेरे बिलासपुर में जो इकोलॉजी है, उसका मूल उद्देश्य भी देखना चाहिए। जब गर्मियां होती हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्योंकि पानी नीचे चला जाता है और सिल्ट बाहर दिखाई देती है और सिल्ट इतनी ज्यादा आ गई है। यह सिल्ट इतनी ज्यादा गर्म होती है, जिससे मेरे शहर के आसपास के एनवायरनमेंट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सर्दियों में पानी का स्तर बहुत ऊपर रहता है तो सर्दियों में कोहरें के कारण भी वहां का मौसम प्रभावित हुआ है। तीसरे, इस सिल्ट के कारण मेरे गांव और आसपास के गांव के लोगों की जमीन पर भी असर पड़ रहा है। सिल्ट बहुत ऊपर आ गई है और जब यह सिल्ट गांव की

लोकल जमीन के अंदर इंटर कर रही है तो लोगों की छोटी-छोटी लैंड होल्डिंग भी समाप्त हो रही हैं। यही इस इकोलॉजी का इम्पैक्ट है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि इस सिल्ट की कैसे डी-सिल्टिंग किया जाए। कैसे सिल्ट को बेचा जाए या रॉयल्टी पर दिया जाए या कुछ भी किया जाए। इसका क्या सदुपयोग हो सकता है। इस पर भी हम लोगों को रिसर्च करनी

27.08.2026/1545/डी0सी0/ए0पी0-03

चाहिए। ऐसा आज के समय में कुछ नहीं है कि किसी चीज का कोई यूज नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना पैसा जमा होता है, लेकिन हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा। अगर मैं बात करूं कि कोल डैम मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ है तो यह एक ऐसा डैम है। मैंने कहा कि मेरे शहर में, एक शहर में, जिसमें 2,125 मेगावॉट बिजली पैदा होती है, इन दो प्रोजेक्ट से पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, यह जो कोल डैम है, इसका पानी केवल एक मीटर-डेढ़ मीटर ऊपर-नीचे आता है। यह पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ा स्पोर्ट्स हब बन सकता है। अगर प्रदेश सरकार चाहे तो एन0टी0पी0सी0 के ऊपर जो सी0एस0आर0 में हमें पैसा मिलता है। हम एन0टी0पी0सी0 से ही बात करें। कोल डैम से बात करें कि आप लोकल यूथ को प्रशिक्षित करिए और उनको सी0एस0आर0 के माध्यम से स्वरोजगार के लिए अवसर प्रदान करें। यह टूरिस्ट हब भी बन सकता है, क्योंकि यह फॉर-लेन से भी चार-से-पांच किलोमीटर दूर है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां से भाई संजय अवस्थी जी बैठे हैं। इनकी तरफ को हमारी सड़क, जिसका माननीय सदस्य श्री राकेश जम्बाल जी ने भी जिक्र किया, इस कोल डैम के साथ-साथ हमारी सड़कें हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी नाजुक है। अगर इस सीएसआर

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.08.2026/1550/AT/HK/01

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी ....

के माध्यम से इन सड़कों को बनाने के लिए भी कोल डैम या एन0टी0पी0सी0 वालों को कहा जाए, क्योंकि जो दो प्रतिशत सी0एस0आर0 में काटता है, वह पूरे देश में उपयोग होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार इस पर विचार करे। अगर यह पैसा मेरे बिलासपुर में कलेक्ट हो रहा है तो यह बिलासपुर में लगे। अगर यह हिमाचल में हो रहा है तो हिमाचल में लगे। लेकिन हिमाचल का पैसा अगर बॉम्बे में लगे तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी विस्थापितों की समस्या है, अगर यह सी0एस0आर0 का पैसा या लाडा का पैसा स्थानीय क्षेत्र में लगता है तो हमारी जो समस्याएं वर्ष 1962 से प्लॉट नहीं मिले की है, जमीन नहीं मिलने की है। उनको इस पैसे से प्लॉट और जमीन दी जा सकती है। इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यह जो हमारी सिल्ट है, अगर इसको बेचने का इतना बड़ा अवसर है और मुझे ध्यान है कि कुछ सिल्ट सिर खड से हम बेच रहे हैं या उसकी हमने नीलामी की है। तो यह सिल्ट गोविंद सागर में भी है, क्योंकि दोनों बांधों के बीच जो दूरी केवल 45 किलोमीटर की है और इस 45 किलोमीटर के जितने रिजर्वायर में सिल्ट, सिल्ट और सिल्ट ही है। इस सिल्ट को बेचकर प्रदेश सरकार को क्या प्राप्त हो सकता है, कितनी रॉयल्टी आ सकती है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए और जो मैंने मैडम जीवन बत्रा का एक उदाहरण दिया कि मेरे बिलासपुर के लोग अपने प्लॉट को बेच नहीं सकते। हमें डी0सी0 के पास जाना पड़ता है, अर्जी लगानी पड़ती है, हम लीज पर हैं। हमें उन प्लॉटों का मालिकाना हक मिलना चाहिए, जिनके हम मालिक हैं और जो सरकार ने हमें दिए हैं। लीज पर रहने का अधिकार अगर यहां के एक एग्रीकल्चरिस्ट को होगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता।

Speaker: Wind-up please.

27.08.2026/1550/AT/HK/02

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मेरा जो एन0टी0पी0सी0 का कोल डैम है, उसके साथ जो गांव मर्ज हो गए हैं, आज मेरे क्षेत्र के युवाओं को अगर अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होती है तो जो उनकी कॉलोनी बनाई गई है, वह डी0पी0एफ0 एक जंगल में है। जब उस जमीन का नेचर देखते हैं तो वह डी0पी0एफ0 जंगल है, लेकिन जो उनका वास्तविक गांव था, वह पानी में चला गया। अब उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, उनके पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं और उनके एस0सी0-एस0टी0 के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय कॉलोनी बस गई है और एन0टी0पी0सी0 ने केवल वन टाइम 11 करोड़ रुपये देकर उसकी सारी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार पर डाल दी। जब इतना रेवेन्यू वहां से आता है तो क्या एन0टी0पी0सी0 की कॉलोनी जो एन0टी0पी0सी0 ने जमथल में बनाई है, उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी एन0टी0पी0सी0 की नहीं होनी चाहिए? इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। उनके रोड मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए, क्यों वह रोड पी0डब्ल्यू0डी0 मेंटेन करता है।? एन0टी0पी0सी0 के पास इतना पैसा है तो एन0टी0पी0सी0 मेंटेन करे इससे प्रदेश सरकार का बोझ भी कम होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मेरी इरीगेशन की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, जो कोल डैम के बनने से इरिगेशन की स्कीम तहस-नहस हो गई। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आई0पी0एच0 मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। तो कोल डैम को कहा जाए कि उस स्कीम को भी रिवाइव करें। यही मैं आपके समक्ष इस संकल्प के माध्यम से कहना चाहूंगा और यह भी कहना चाहूंगा कि इन दोनों प्रोजेक्टों में सौ रोजगार में मेरे बिलासपुर के युवाओं, मेरे बिलासपुर के बेरोजगार साथियों और जो विस्थापित हैं उनको पहला मौका दिया जाए। यही आपसे विनती और निवेदन करने के लिए मैं खड़ा हूं। आपने मुझे समय दिया, अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2026/1550/AT/HK/03

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे। आग्रह करूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कि इसमें डिटेल्ड रिप्लाई दें।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर जनक राज जी द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें माननीय राकेश जंबाल जी, तिलोक जंबाल जी, हमारे लुकेंद्र जी, इन सबने अपने विचार रखे और बड़े विस्तृत विचार रखे और हमारे नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी ने भी इस पर बड़े विस्तृत विचार रखे और बड़े अच्छे विचार रखे। बिल्कुल सही विचार रखे।

मैं आपके विचारों का अनुमोदन भी करता हूं और जो आपने सुझाव दिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहता हूं। कुछ राजनीतिक बातें भी आपने बीच में रखीं। तो अच्छा है कि जब विपक्ष में होते हैं तो प्रदेश की संपदा की याद आती है। जब डबल इंजन की सरकार थी, तब आपको याद नहीं आई। डबल इंजन की सरकार में आपको याद नहीं आई। अच्छा है, विपक्ष में ऐसा होता है। अगर आप डबल इंजन की सरकार में अगर ये मुद्दे उठाते तो निश्चित रूप से इन पर ज्यादा फायदा होता। लेकिन कोई बात नहीं। उस समय आपकी चलती कम थी, हमारी आजकल ज्यादा चलती है अब हमारी इसलिए ज्यादा चलती है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1555/av/hk/1

मुख्य मंत्री जारी-------

क्योंकि हम मुद्दों को तर्क के साथ उठाते हैं। उसमें नीतिगत फैसले लेने वाली हमारी सरकार के मंत्रिमण्डल की समिति, हमारे अधिकारी और वकील इस आवाज को बहुत

तेजी से उठाते हैं। मैं माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल की इस बात से सहमत हूं कि बी0बी0एम0बी0 की वहां पर करोड़ों रुपये की जगह है। जब यह प्रोजैक्ट बना था तो उस समय हिमाचल में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं थी। उस समय हम पंजाब के पार्ट थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा जगह ले ली। लेकिन अब वहां पर बिल्डिंग्ज खाली पड़ी हैं। मैं एक दिन बी0बी0एम0बी0 के रैस्ट हाउस में रुका था। हमने यह बात भारत सरकार से उठाई और मैंने यह कहा कि हम हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के ऑफिस को उठाकर मण्डी में बी0बी0एम0बी0 के 45 बीघा जमीन पर ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं इस संदर्भ में माननीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मिला। हमने कहा कि वहां पर बी0बी0एम0बी0 की जगह है और बिलासपुर तो आज भी विस्थापितों का शहर है। वहां पर लोग 99 वर्षों की लीज पर रह रहे हैं। हम उसका समाधान करने की दृष्टि से भी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पौंग डैम के विस्थापित भी हैं। हमने अपने प्रयासों से लगभग 200 परिवारों को पट्टे उपलब्ध करवाए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने प्रदेश की सम्पदा के हित में बातें रखी हैं। हमने सत्ता में आते ही प्रथम डे से प्रदेश की सम्पदा का आंकलन किया और हमने पाया कि हमें अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है तथा कैसे आत्मनिर्भर बनना है। उसकी कल्पना हमारे पानी से निकली। मैंने सत्ता में आते ही पहले दिन से यह कहना शुरू कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आर0डी0जी0 बंद न हुई होती तो हम वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर बन गए होते। परंतु आर0डी0जी0 बंद होने के बावजूद भी हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह कोई व्यक्तिगत इंटरस्ट नहीं होता बल्कि इस प्रकार का आंकलन और अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के पश्चात यह महसूस किया जाता है कि जहां पर 75 लाख की जनसंख्या की सम्पदा से एस0जे0वी0एन0एल0 तो 67,000 करोड़ रुपये की कम्पनी बन जाए और एन0टी0पी0सी0 व एन0एच0पी0सी0 हमारी सम्पदा का दोहन करके उनकी मार्किट शेयर के रेट दुगने हो जाए। हिमाचल प्रदेश में 12 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी

27.08.2026/1555/av/hk/2

मिल रही है। 12 वर्षों के बाद कोई भी पावर प्रोजैक्ट चाहे उसकी 10 रुपये प्रति यूनिट कॉस्ट हो, वह प्रोजैक्ट फ्री हो जाता है। परंतु हमें 40 वर्षों तक नहीं अपितु लाइफ लॉंग 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलेगी। अगर कोई थर्मल पावर प्रोजैक्ट लगता है उसकी रॉयल्टी भी मिलती है। उसका तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होता है। वहां पर 7 रुपये प्रति यूनिट बिजली होती है। हमारी पॉलिसी केवल 12 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी की है। हमने उस लड़ाई को लड़ना भी शुरू किया। हमने अपने अधिकार देखे तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमने कहा कि हम लड़ेंगे। बी0बी0एम0बी0 के एरियर के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 15 वर्ष पहले हमारी फेवर में फैसला सुनाया था। जिसमें यह कहा गया था कि सन् 1971 में जब पंजाब से अलग होकर हमारा हिमाचल प्रदेश बना, तब से हमें 7.19 प्रतिशत के हिसाब से एरियर मिलना चाहिए। वर्ष 2011 में फैसला आ चुका है परंतु 15 वर्षों तक हमें कोई एरियर नहीं मिला। उसके बारे में अभी दिनांक 20 अगस्त, 2026 को पेशी थी। हमने वहां पर श्री कपिल सिब्बल जी को खड़ा किया और वॉटर सैस में श्री पी0 चितम्बरम को खड़ा किया है। हमें सी0आर0 पाटिल जी के फोन आ रहे हैं कि हमें किशाऊ बांध के संदर्भ में एम0ओ0यू0 करना है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी दृढ़संकल्पता कितनी मजबूत है। मैंने कहा कि हम समझौता तब करेंगे जब हरियाणा सरकार कोर्ट में यह एफिडेविट देगी कि हमें हिमाचल को 7.19 प्रतिशत के हिसाब से एरियर देने में कोई कोताही नहीं है, तब हरियाणा को पानी मिलेगा। पंजाब को तो पानी मिलेगा नहीं, हरियाणा और दिल्ली को मिलेगा। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा और भारत सरकार ने हमारी इस शर्त को माना और सुप्रीम कोर्ट में यह एफिडेविट दे दिया।

टी सी द्वारा जारी

27.08.2026/1600/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

मुख्य मंत्री.... जारी

मैंने पंजाब को भी कहा था और केन्द्रीय पावर मिनिस्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उनके साथ बैठक भी की लेकिन पंजाब ने आनाकानी करते हुए टेढ़ा-मेढ़ा एफिडेविट दे दिया और अब फैसला रिजर्व है। मुझे विश्वास है कि किशाऊ बांध के बाद बी0बी0एम0बी0

का फैसला भी हमारे हक में आएगा और हम यह लड़ाई जीतेंगे। यह राज्य के प्रति किसी राज्य सरकार की कटिबद्धता होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस फैसले से पहले दो-तीन बार मुझे केन्द्रीय मंत्री श्री सी0आर0 पाटिल जी के फोन आए। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी रोज आकर बताता था कि उनका फोन आया है और एम0ओ0यू0 साइन करना चाहते हैं। मैंने स्वयं फोन ही नहीं उठाया और कहा कि जब तक इनके एफिडेविट नहीं चले जाते तब तक बात नहीं करेंगे क्योंकि बाद में मामला 15 वर्ष और लटक जाएगा और कुल 30 वर्ष हो जाएंगे। अब उनसे बात करेंगे और किशाऊ का पानी भी देंगे। किशाऊ में हमारी पहली जीत हुई है। इसमें 211 मेगावाट फ्री पावर मिल रही है जबकि अभी हमारे पानी से बने एन0एच0पी0सी0, एन0टी0पी0सी0 और एस0जे0वी0एन0एल0 के डैमों से केवल 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है। होम मिनिस्टर के सामने बैठक हुई जिसमें हमने तथ्य रखे और होम मिनिस्टर ने हमारी बात स्वीकार की।

इसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहता हूं। उसी समय श्रीमती अनुराधा राणा जी मेरे पास आई थीं और उन्होंने कहा था कि यह हमारा प्रोजैक्ट है तथा इसका पानी यहां से नहीं आना चाहिए बल्कि पीछे किसी और जगह से दिया जाना चाहिए। मैंने भी कहा था कि जो चिनाब का पानी आप ब्यास में लाएंगे उस पानी को भी किसी और जगह से लिया जाए। अधिकारियों ने कहा था कि इससे बहुत अधिक खर्च आएगा लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इससे पॉलिटिकल विरोध होगा और यह दस वर्ष तक नहीं बनेगा। उन्होंने इस संबंध में भी फैसला किया। इसलिए फैसले करवाने की ताकत होनी चाहिए। जब हम कानूनी रूप से और तर्क के साथ आगे बढ़ते हैं तो फैसला हमारे पक्ष में आता है

27.08.2026/1600/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

अब इस फैसले के बाद मैं लाडा के विषय पर आता हूं। वर्ष 2005-06 में लाडा लागू हुआ था और इसमें हमें एक प्रतिशत मिलता है। यह विचित्र बात है कि फैसले के बाद भी एन0एच0पी0सी0 और एन0टी0पी0सी0 सहित कई प्रोजैक्ट वाले अभी तक हिमाचल के लोगों को एक प्रतिशत लाडा नहीं दे रहे हैं। कई निजी प्रोजैक्ट वालों ने तो हाईकोर्ट में केस

भी कर दिया है। मैं केंद्रीय पावर मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारी बात समझी और स्वीकार किया कि इनको लाडा मिलना चाहिए। लाडा के पिछले एरियर को लेने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए एस0जे0वी0एन0एल0 का 2005-06 में 1,500 मेगावाट का प्रोजैक्ट बन गया था। मुझे लगता है कि शीघ्र ही इसमें हमें सफलता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, अब सवाल यह पैदा होता है कि बी0बी0एम0बी0 में और पौंग डैम में आपके अधिकार ही नहीं थे? किस प्रकार के अधिकार थे? आपको अपने लोगों के लिए पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी लेना है, आपकी जगह के साथ जगह जा रही है और घर बीच में है लेकिन पीने के पानी के लिए एन0ओ0सी0 लेने के लिए बी0बी0एम0बी0 के पास जाना पड़ता था। बी0बी0एम0बी0 एन0ओ0सी0 जल शक्ति विभाग को देता था और उसके बाद पीने के पानी तथा सिंचाई की योजना बनती थी। यह प्रथा थी और हमने कहा कि यह गलत है। मैंने एक दिन आदेश दिए कि आप वहां से पानी क्यों नहीं उठाते। बिलासपुर की कोई योजना थी और श्री बम्बर ठाकुर जी मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि वहां से एन0ओ0सी0 नहीं मिला। तब यह बात मेरे ध्यान में आई और मैंने इसे जोरदार तरीके से उठाया। मैं केंद्रीय पावर मिनिस्टर श्री आर0के0 सिंह का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आपकी तरफ से भी कई बार चिट्ठियां गई होंगी लेकिन उन्होंने हमारी इस बात को माना। आज उन्होंने हमें चिट्ठी देकर कहा है कि एन0ओ0सी0 लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारे समय में हुआ है। मैं आपको कल इसकी चिट्ठी भी बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद बी0बी0एम0बी0 ने डिसिल्टिंग के लिए टेंडर लगा दिया कि हम डिसिल्टिंग करेंगे। मैंने कहा कि एक तो डिसिल्टिंग नहीं करेंगे और जो भी ठेकेदार वहां से रेता-रोड़ी या सिल्ट उठाएगा उसको अरेस्ट करो। हमने उस टेंडर को कैंसल किया और फॉरेस्ट डिपार्टमैंट तथा माइनिंग डिपार्टमैंट को आदेश दिए कि सभी

27.08.2026/1600/टी0सी0वी0/वाई0के0-3

डैमों की डिसिल्टिंग से संबंधित जो भी कार्य बी0बी0एम0बी0 द्वारा हिमाचल प्रदेश में होगा उसे हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी और डिसिल्टिंग की पूरी रॉयल्टी हमें मिलेगी।

बी0बी0एम0बी0 ने 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी लेना शुरू कर दिया था जिसे हमने रोक दिया। क्या यह सरकार की कटिबद्धता नहीं है? डबल इंजन की सरकार सोई रही। ...(व्यवधान) मैं आपके प्रस्ताव के समर्थन में हूं, विरोध में नहीं हूं लेकिन सच्चाई बता रहा हूं। ...(व्यवधान) यही बात थी जिसे आप सुन नहीं रहे थे।...(व्यवधान)

एन0एस0 द्वारा ... जारी

27-8-2026/1605/NS-YK/1

मुख्यमंत्री------जारी

...(व्यवधान) आपके नेता ने जो कहा है, इन्हें बोलने की आदत है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज माननीय बिक्रम सिंह जी, प्लीज। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : ये पता नहीं कहां से उठकर आ जाते हैं?

अध्यक्ष : इनका अगला प्रस्ताव है। इनका अगला प्रस्ताव है आपने तब बोलना। ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, अभी 5.00 बजने में समय है। बैठिए, बैठिए, अभी let him complete his reply. ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : मैं यह प्रस्ताव पढ़ देता हूं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप ही प्रस्ताव पढ़ दें।

अध्यक्ष : मैं पढ़ देता हूं। यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने पर विचार करें।" यही तो बोला, ये पर्यावरण के बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान) ये सामाजिक समस्याओं के बारे में ही तो बोल रहे हैं। ...(व्यवधान) समस्याओं के बाद अचीवमैंट है न? जो समस्याएं थीं और जो सरकार ने रिजॉल्व करवा दीं, ये उनका ही व्याख्यान कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं बाद में आपको समय दे दूंगा। क्लैरिफिकेशन के लिए

समय दे दूंगा। ...(व्यवधान) आप कमाल कर रहे हैं। अभी कम्प्लीट तो होने दो, मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई समाप्त नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : माननीय जय राम ठाकुर जी, आप अपनी नाकामियों को क्यों छिपाते हो? आप मुझे बोलने तो दो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह जनसभा नहीं है। ये जो प्रस्ताव है यह आपका ही है और इस पर अगर गवर्नमैंट पॉजिटिवली बोल रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। ...(व्यवधान) पॉवर

27-8-2026/1605/NS-YK/2

पॉलिसी से ही प्रोजैक्ट बने हैं और कैसे बने हैं? ...(व्यवधान) उस पॉवर पॉलिसी को डिस्कस करना जरूरी है और उसके ऊपर रिप्लाई देना भी जरूरी है। उसके बीच में जो शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको डिस्कस करना जरूरी है। ...(व्यवधान) यह इश्यू तो आपकी तरफ से आया है। डॉ0 जनक राज भी अब आ गए हैं ...(व्यवधान) and the Government is likely to accept this. इसका बड़ा श्रेय ऑपोजिशन को जाएगा कि आपका लाया हुआ संकल्प सरकार एक्सैप्ट कर रही है। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी इनकी क्या क्वेरीज हैं उनको सुन लेते हैं।

मुख्य मंत्री : मैंने पहले ही बोला है कि आपने इनको ज्यादा टाइम देना है। चलो, मैं पांच मिनट बैठ जाता हूं।।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : अभी टाइम बहुत है। अभी माननीय बिक्रम सिंह जी का संकल्प इंट्रोड्यूस होना है। माननीय जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बात को लेकर आपसे निवेदन है कि एक स्थिति बन गई है कि मुख्य मंत्री विधान सभा को जनसभा में बदल देते हैं। अब ये जब भी बोलते हैं, जिस विषय का लेना-देना नहीं होता है आप उस विषय को लेकर आपने क्या किया है आप उस पर बोलिए। आप पूरे हिमाचल प्रदेश का ऐसा चित्रण करने जा रहे हैं कि दिनांक 11 दिसंबर, 2022 के बाद ही हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ है जैसे उससे पहले तो प्रदेश था ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब भी कोई विषय आता है तो कहा जाता है कि डबल

इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया, डबल इंजन की सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे, अगर हमसे कमी रही है तो आप अपने कार्यों के बारे में बोलिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपने अच्छे कार्यों का प्रस्तुतीकरण भी इस प्रकार से मत कीजिए कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना और उनके आशीर्वाद के बिना कुछ हुआ ही नहीं। ...(व्यवधान) वे आपकी बात सुन रहे हैं और सुनने के बाद मान रहे हैं तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। हम वह कर रहे हैं। ...(व्यवधान) ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इनकी उंगली के इशारे पर चलेगी। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है। इसलिए ठीक प्रस्तुति होनी चाहिए।

अध्यक्ष : ये धन्यवाद ही कर रहे हैं कि मैं केंद्रीय मंत्री जी का आभारी हूं। ...(व्यवधान)

27-8-2026/1605/NS-YK/3

श्री जय राम ठाकुर : मैं यही कह रहा हूं, आप लोग सुनिए। ...(व्यवधान) हमारा जो विषय चल रहा है, हम दोनों को उसी पर बोलने दीजिए। हमारी बात तो आप लोगों तक पहुंच ही जाएगी।

मैं इस बात को लेकर स्पैसिफिक हो करके इस विषय पर जो लिखा है, जो सामने है और जो प्रस्ताव रखा गया है उसी पर बोलें तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा हटकर हम बहुत लंबी जनसभा की तरह बैठकर बोलेंगे तो ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये तो कंक्लूड ही कर रहे हैं। अब आपने दो-चार मिनट और बढ़ा दिए। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी आप अपना वक्तव्य दीजिए।

मुख्यमंत्री ------आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

27.08.2026/1610/RKS/AG-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष मेरे लॉजिक और कानून की बात को भी जनसभा की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। ..(व्यवधान) बी0बी0एम0बी0 की बात आपके सदस्यों ने उठाई थी।..(व्यवधान) उसी के कारण बी0बी0एम0बी0 का एरियर मिल रहा है। हमारे एक माननीय सदस्य ने 'लाडा' के विषय को बहुत अच्छे ढंग से उठाया है तो क्या मैं उस पर बात न करूं? मैं श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री आर0 के0 सिंह जी का एन0ओ0सी0 के लिए धन्यवाद करता हूं। ..(व्यवधान) ये दोनों एक-दूसरे की कुर्सी के चक्कर में बहुत परेशान हैं। अगर मैंने आपके सदस्यों द्वारा उठाए गए विषयों से बाहर कोई बात कही हो तो आप मुझे कहना। अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें मेरा पूरा भाषण दिखाना मैंने इनके पक्ष के सदस्यों से संबंधित ही बात की है। मैं नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी से कहना चाहता हूं कि विपक्ष में रहते हुए परेशानी होती हैं और मैं आपकी परेशानी को समझता हूं लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसमें आपके पांच गुटों का कसूर है। ..(व्यवधान) आपने जो जनसभा की बात की है यह उसका जवाब है। ..(व्यवधान) जब मैं लय में बोल रहा होता हूं तो आप बीच में उठ जाते हैं और यह इनकी आदत बन गई है। ये मेरी लय को बदलना चाहते हैं लेकिन मैं अपना तरीका बदलने वाला नहीं हूं। माननीय सदस्यों ने जो बात उठाई है उसका उत्तर देना मेरा दायित्व है। आपने कहा कि 'लाडा' के धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है। हमने आज ही निर्णय लिया है कि पूरे चम्बा डिस्ट्रिक्ट के लिए लाडा का चेयरमैन अध्यक्ष महोदय को बनाया जाएगा ताकि उस धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष महोदय कानून के ज्ञाता हैं और जिनसे लाडा लिया जाना है, उनसे लाडा लिया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने लाडा दे दिया है और बात समाप्त हो गई। आवश्यक हुआ तो कानूनी प्रावधानों का उपयोग करके पूरा लाडा प्राप्त किया जाएगा। ..(व्यवधान) मैं आप को नाराज नहीं कर सकता हूं। आप घर से भले ही नाराज हों या आपके पांच गुट आपको नाराज कर दें लेकिन मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, सवाल प्रदेश की संपदा और माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए विचारों का खड़ा होता है। मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी संपदा हमारा पानी है। इसी पानी से सोना निकलता है। मैं पूर्व मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष एक उदाहरण रखना चाहता हूं। सरकारी पद आते-जाते रहते हैं। हम उस कुर्सी और प्रदेश की संपदा के संरक्षक हैं। आज एस0जे0वी0एन0एल0 की 67,000 करोड़ रुपये की

परिसंपत्तियां क्यों बनी हैं? आज हिमाचल प्रदेश का बजट 58,000 करोड़ रुपये से घटकर 54,000 करोड़ रुपये क्यों करना पड़ा है? हमें अपने बजट को कम

27.08.2026/1610/RKS/AG-2

करना पड़ा है। हमने निर्णय लिया कि धौलासिद्ध, लूहरी और सुन्नी पावर प्रोजैक्टों को हिमाचल प्रदेश सरकार टेक-अप करेगी। इस संबंध में हम हाईकोर्ट भी गए। हमने कहा कि हम इन परियोजनाओं को टेक-ओवर करना चाहते हैं। वे कह रहे थे कि बिजली 6 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी। मैंने कहा कि चाहे 7 रुपये पड़े या 8 रुपये लेकिन दस वर्ष बाद तो 8 रुपये प्रति यूनिट पड़ने वाली बिजली फ्री हो जाएगी। उसके बाद पानी से बहता हुआ यह सोना प्रदेश की जनता को प्राप्त होगा। यही हमारी सोच है। उन्होने बी0बी0एम0बी0 की भूमि का विषय भी उठाया है। यदि बी0बी0एम0बी0 वाले हमें भूमि उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो हम कानूनविदों से राय लेकर शीघ्र ही एक कानून लेकर आएंगे। जहां-जहां उनकी अनयूटिलाइज्ड भूमि पड़ी है, उस भूमि को हम वेस्ट करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।...(व्यवधान) आप मुझे बीच में मत टोकिए, आप मुझे पूरी बात रखने दीजिए। उनके द्वारा जो असैसमैंट की गई है, हमने उस असैसमैंट को मान लिया है। ...(व्यवधान) आप मुझे बोलने दीजिए। आप मुझसे इतना प्यार क्यों रखते हैं? आप मेरी लय को क्यों बदलने की कोशिश करते हैं? चार वर्ष बीत गए हैं लेकिन यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है।अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात बताना चाहता हूं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

27.08.2026/1615/बी.एस./ए.जी.-1

मुख्य मंत्री जारी...

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश से जब पानी बिकेगा उसके संबंध में आपको एक और नई बात बताना चाहूंगा। जो पानी हिमाचल प्रदेश से बिकेगा उस पानी से अपनी आय कैसे बढ़ानी है हम उस आय के दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ रहे हैं।

बैरसूल प्रोजैक्ट को 40-43 वर्ष हो गए हैं। आज तक इस विषय पर किसी ने आवाज नहीं उठाई। वर्ल्ड प्रैक्टिस है कि 40 वर्ष बाद वह प्रोजैक्ट वापस मिलना चाहिए। बैरसूल के मामले में कहा गया कि हाईकोर्ट में चले गए हैं। मैंने कल ही बात की है कि हम टॉप के वगील लगाएंगे और वर्ल्ड प्रैक्टिस के अनुसार 40 वर्ष बाद वह प्रोजैक्ट वापस हमें मिलना चाहिए नहीं तो हम यह कहेंगे कि 20 वर्ष के लिए और एक्सटेंड करते हैं लेकिन जो फ्री रॉयल्टी है वह हमें 50 प्रतिशत कर दीजिए और 60 वर्ष बाद वापस दे दीजिए। यह एक सोच है। इस सोच के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तभी प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा।

यह पैसा न आपका है न मेरा है। यह प्रदेश की 75 लाख जनता का है जिसको हम लूटने से बचा रहे हैं। आप इसे नहीं बचा पाए लेकिन हम बचा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार इसलिए कहता हूं कि आप कर सकते थे लेकिन डबल इंजन की सरकार ने गलत काम कर दिए।

हम आज भी आपको यह कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय, जो यह चाहते हैं उसके लिए हमने आज भी पावर प्रोजैक्ट्स में नई पॉलिसीज को स्वरूप दिया है। हम देख रहे हैं। हम फ्रंट प्रीमियम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोर्ट से डायरेक्शन मिली है। हम फ्रंट प्रीमियम भी नहीं दे पा रहे हैं। इन सब चीजों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पार्वती-2 में एन0एच0पी0सी0 की जो बात की है कि लोगों को इंप्लॉयमैंट नहीं मिल रही है। आप बोल रहे हैं कि लोगों को इंप्लॉयमैंट नहीं मिल रही है और आदरणीय लोकेन्दर जी ने भी बोला है कि डिसिल्टिंग और ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स के बारे में बात की है।

27.08.2026/1615/बी.एस./ए.जी.-2

हमारी सरकार प्रयास करेगी कि जहां भी पौंड्स बने हैं वहां किसी प्रकार के एन0ओ0सी0 की जरूरत न पड़े। लोकल इनहैबिटेंट के लिए जो भी होगा वे अपने पानी का इस्तेमाल कर सकें और सिंचाई के लिए भी उसका इस्तेमाल करें। यह कार्य हमारी सरकार ही करेगी। आप तो बेचारे विपक्ष में बैठे हैं। यदि सत्ता में आते तो भी आप से यह कार्य नहीं हो पाना था। हम आपके लिए करेंगे और जरूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डॉ0 जनक राज जी ने लाया है मैं उसके समर्थन में चाहता हूं कि यह प्रस्ताव पारित हो। हम विपक्ष के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं और विपक्ष के प्रस्ताव को पारित करने की दिशा में पहली बार सरकार ही अनुरोध कर रही है कि विपक्ष द्वारा लाए हुए प्रस्ताव को हम स्वीकार करना चाहते हैं। इस प्रस्ताव को पास करके जो भी बातें डॉ0 जनक राज जी ने और सब माननीय सदस्यों ने कही हैं हम भारत सरकार को संकल्प भेजेंगे कि यह देखिए हिमाचल की संपदा के लिए, कुछ विधायक तैयार नहीं हैं लेकिन कुछ विधायक तैयार हैं जो इसके समर्थन में खड़े होकर समर्थन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर पावर प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो प्रभावी कदम उठाने हैं वे निश्चित हों।"

संकल्प स्वीकार

27.08.2026/1615/बी.एस./ए.जी.-3

अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री बिक्रम सिंह जी।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं। यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि के मद्देनज़र पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु अधिक लागत अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति बनाने पर विचार करें।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि "प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि के मद्देनज़र पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु अधिक लागत अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति बनाने पर विचार करें।"

अब इसमें निर्धारित कुल समय 40 मिनट है। इसलिए जितने कम समय में बोला जाए उतना अच्छा रहेगा। This is again a very good Resolution which can be adopted. मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह रहेगा कि आप सभी कम-से-कम समय में अपनी बात रखें ताकि जल्दी-से-जल्द हम इस चर्चा को समाप्त कर सकें। क्योंकि आज सदन 5.00 बजे अपराह्न खत्म होगा। हमारे पास केवल 40 मिनट बचे हैं। माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे संकल्प को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करें।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

27.08.2026/1620/DT/AS-1

अध्यक्ष के पश्चात

श्री बिक्रम सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आज इस संकल्प के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, जैसे इससे पूर्व के संकल्प में माननीय सदस्यों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गये हैं, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव को भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसको भी एडोप्ट करना चाहिए।

मैं माननीय मुख्य जी से मैं यह कहना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी अडोप्ट किया जाए क्योंकि जैसा मुख्य मंत्री महोदय बोलेंगे मंत्री जी वैसा ही करेंगे क्योंकि इनके बिना वे न हिल सकते हैं न बोल सकते हैं। ....(व्यवधान) नहीं अगर वे तो बोलते भी हैं तो आप रोक देते हैं। इसलिए आप बोल दें कि इस संकल्प को भी अडोप्ट करना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक ऐसे विषय को उठाना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध हिमाचल प्रदेश के हजारों गरीब ग्रामीणों, भूमिहीन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सम्मानजनक जीवन से है। मेरा संकल्प है कि "प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली आवास सहायता राशि में वर्तमान लागत महंगाई मजदूरी परिवहन और प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्याप्त बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार को प्रभावी प्रस्ताव भेजा जाए"।

माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहाड़ी राज्य में मकान बनाने के लिए पात्र व्यक्ति को केंद्रीय सहायता एक लाख तीस हजार रुपये मिलती है। केंद्र और जो हिमालयी राज्य हैं उनमें 90:10 का हमारा समझौता भी है। 25 वर्ग मीटर के ऊपर यह सारी कैलकुलेशन हुई है और यह कहा गया था कि 20 हजार रुपये प्रदेश सरकार देगी तथा 1,50,000/- रुपये उस पात्र व्यक्ति को मिलेंगे। लेकिन आज मैंने बी0डी0ओ0 के ऑफिस से पता किया था कि जो प्रदेश सरकार की और से पात्र व्यक्ति को ऑनलाइन 20 हजार रुपये मिल रहे हैं परंतु वर्ष 2021 के बाद 20 हजार रुपये पात्र व्यक्तियों को नहीं गए हैं। मैं

27.08.2026/1620/DT/AS-2

आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कृपया इसको भी चेक किया जाए। जब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे तो इसमें स्पष्टीकरण हो जाएगा। मैंने तो बी0डी0ओ0 के ऑफिस से आज ही यह जानकारी ली है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज यह जो संकल्प लेकर आया हूं यह 24 जुलाई, 2026 को केंद्र सरकार द्वारा संसद में दिए गए आधिकारिक उत्तर के अनुसार है इसमें हिमाचल प्रदेश को पी0एम0ए0वाई0 में 1,30,68 मकान स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 68,016 मकान पूर्ण हो गए हैं तथा 35,052 मकान अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। आज की परिस्थितियों में जिस समय कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो उसको सीमेंट, रेत, बजरी, ईंटें- इन सब चीजों को रखने की व्यवस्था करनी होती है। आजकल बाजार में जो सीमेंट है उसके एक बैग की कीमत 380 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति बैग है। ईंटों का रेट 7000 रुपये से लेकर 9000 रुपये प्रति हजार ईंट है। इसी प्रकार से एक-ग्रेड क्वालिटी का सरिया, लोहा, स्टील या टीएमटी जो हैं वे 60 हजार रुपये से लेकर 63 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से मिल रहे हैं। रेत आपको 50 से 65 रुपये प्रति क्यूबिक फीट मिल रही है और जो मजदूरी आज की तारीख में है वह 450 रुपये से लेकर 600 रुपये तक है। यह हिमाचल की टोपोग्राफी जिस प्रकार की है उसके अनुसार लोगों की जमीन सड़कों से दूर होती है और मकान बनाने के लिए अगर कहीं सामग्री लेनी हो तो पहले उसे सड़क में उतारना पड़ता है सारी-की-सारी

Sh. B.S. cont……

27.08.2026/1625/ए.एस.-एन.जी./1

श्री बिक्रम सिंह……… जारी

चीजों को उस पार्टिकुलर स्थान पर ले जाने के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च आता है। इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर ऐसा लगता है कि यह जो हमें पैसा मिलता है, उसके ऊपर एक हाउस मॉडल की प्रकाशित डिटेल्ड एस्टीमेट में काफी कुछ दिया गया है। उन्होंने 25 वर्ग किलोमीटर के ऊपर कैलकुलेशन की है और उस कैलकुलेशन में यह पाया है कि लगभग 3000 ईंटें, सीमेंट की कई दर्जन बोरियां, 1.4 से 1.6 क्विंटल रिइनफोर्स बार, रेत और फ्लोरिंग-प्लास्टर वगैरह व लेबर को मिलाकर, यह लगभग 2 लाख 25 हजार बनता है। इन सारी परिस्थितियों के अंदर जो गरीब व्यक्ति है, उसको मकान बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री आवास योजना केवल ईंट और सीमेंट की योजना नहीं है। यह गरीब परिवार के लिए सम्मान का घर है, मां के लिए सुरक्षा है और बच्चों के लिए सुरक्षित बचपन है। इसलिए हम केवल और केवल इस योजना के नाम से तथा इस समय हमें जो पैसा मिलता है, उस पैसे से हम किसी भी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर छोटे-से-छोटा घर बनाने में भी असमर्थ हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से मेरा यह निवेदन रहेगा कि इस प्रस्ताव के माध्यम से, जिसमें हमने ये सारी चीजें रखी हैं और इसमें हमने कम्पैरिजन भी दिए हैं कि ये रेट्स बहुत ज्यादा हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि हम यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें। केन्द्र सरकार को कहें कि हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी जिस प्रकार की है, जिस प्रकार से आज चीजों के रेट बढ़े हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए जो पैसा हमें मिल रहा है, उस पैसे को बढ़ाकर

3 लाख रुपये किया जाए ताकि यहां पर गरीब लोग अपना एक सुरक्षित मकान बना सकें। इतना ही मुझे कहना है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.08.2026/1625/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री विनोद कुमार भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस महत्वपूर्ण गैर-सरकारी सदस्य संकल्प का समर्थन करता हूं। यह केवल एक योजना की राशि बढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि प्रदेश के हजारों गरीब, जरूरतमंद और बेघर परिवारों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है।

अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि हर गरीब परिवार का अपना पक्का घर हो। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को घर दिए गए। जहां तक मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को भी 1 लाख 3 हजार से अधिक घर देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिए हैं। इसके लिए मैं निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

27.08.2026/1630/DC/PB/1

श्री विनोद कुमार...जारी

निश्चित तौर पर हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य प्रदेशों से भिन्न हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी राज्य है। यहां निर्माण सामग्री को दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने में भारी कैरिज देना पड़ता है तथा पहाड़ों में मकान बनाने के लिए मजबूत नींव, रिटेनिंग वॉल, कटिंग और सुरक्षा से संबंधित अतिरिक्त कार्य करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान वित्तीय सहायता कई बार वास्तविक लागत से काफी कम पड़ जाती है।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे अनेक परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं लेकिन उन्हें मिलने वाली राशि से मकान पूरा नहीं बन पाता है। कुछ लोग अपनी जमा पूंजी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलने वाली राशि से मकान का निर्माण पूरा करते हैं जबकि कुछ लोग बैंक से कर्ज लेकर निर्माण कार्य पूरा करते हैं। जिन लोगों के पास इन दोनों में से कोई साधन नहीं है उनके मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाता। यह स्थिति पूर्ण रूप से चिंता का विषय है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण लागत का आकलन करवाया जाए तथा उसी के अनुरूप वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाए। जैसा कि यहां कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 3 लाख रुपये की सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग मानक निर्धारित किए जाएं ताकि वहां रहने वाले गरीब लोगों को अतिरिक्त सहायता मिल सके तथा कोई भी पात्र परिवार केवल आर्थिक अभाव के कारण अपने सपनों का घर बनाने से वंचित न रहे।

अध्यक्ष महोदय, घर केवल ईंट, सीमेंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता बल्कि वह परिवार की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है। जब किसी गरीब व्यक्ति का पक्का घर बनता है तब उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, महिलाओं को सम्मान मिलता है तथा पूरा परिवार आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संकल्प की भावना

27.08.2026/1630/DC/PB/2

को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लिया जाए तथा केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करके हिमाचल प्रदेश के लाभार्थियों के लिए अधिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम प्रदेश के हजारों गरीब परिवारों के जीवन में नई आशा और खुशी लेकर आएगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नाचन।

27.08.2026/1630/DC/PB/3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिक्रम सिंह जी आप कुछ कहना चाहते है?

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपने सदस्यों से यह निवेदन कर रहा था कि यदि संकल्प को अडॉप्ट करना है तो हम समय बचा सकते हैं। यदि आपकी मंशा ऐसी है तो मैं माननीय सदस्यों को रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वे इस संकल्प पर नहीं बोलेंगे।

अध्यक्ष : ठीक है, यदि आप सभी इस कंटेंट पर पॉज़िटिव हैं और आपने यही कंटेंट बोलना है तो I request Hon'ble Panchyati Raj and Rural Development Minister to reply on this Resolution.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री ए0पी0 ...

27.08.2026/1635/डी0सी0/ए0पी0-01

Speaker : I request Hon'ble Panchyati Raj and Rural Development Minister to reply on this Resolution.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी इस सदन में जो गैर-सरकारी संकल्प लेकर आए हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मानव जीवन के लिए घर एक मूलभूत सुविधा है। यह न केवल सामाजिक, बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। गरीब ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जाते हैं और प्रयास किए जाते हैं। इसी कड़ी में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से इंदिरा गांधी आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का आधार सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना वर्ष 2011 के हिसाब से है। मैं यह बताना चाहूंगा कि इसका सर्वे बहुत सरल होता है। अब हर घर की जियो-टैगिंग की जा रही है। पूरे सदन को पता है कि वर्ष 2023-24 और 2025-26 में करीब 87,707 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सैंक्शन हुए हैं। मैं धन्यवादी हूं और मैंने स्वयं मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था। जब हमारे यहां आपदा आई थी, उस समय हम स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश पर वहां गए थे। उस समय हमारा कोटा कम था, क्योंकि स्टेट वाइज कोटा होता है। केंद्र सरकार ने उस समय दूसरी स्टेट्स का कोटा काटकर जो पेंडिंग था, वह भी हमारे राज्य को दिया। 87,707 घरों में से करीब 55,207 घर कंप्लीट हो चुके हैं और 32,497 घर अंडर कंस्ट्रक्शन या प्रोग्रेस में हैं। क्योंकि यह योजना वर्ष-2029 तक चलनी है। इसलिए न्यू फेज, जो नेक्स्ट फाइव ईयर्स के लिए है, उसका टारगेट करीब 2,30, 035 रुपये है। उसकह वेरिफिकेशन अभी चल रही है और समय-समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट के साथ मिलकर रिपोर्ट भी मांगती रहती है। यह योजना पूर्णतः एम0आई0एस0 पर आधारित है। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से 90:10 का अनुपात रहता है। केंद्र सरकार से 1 लाख 30 हजार रुपये की सहायता मिलती है। जिसमें 10 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है। करीब 1 लाख 17 हजार रुपये केंद्र से आते हैं और 20 हजार

27.08.2026/1635/डी0सी0/ए0पी0-02

रुपये राज्य सरकार इसमें टॉप-अप करती है। साथ में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के लिए भी लोगों को सहायता दी जाती है। जिससे कुल सहायता राशि करीब 1 लाख 62 हजार रुपये हो जाती है। इस सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत, जिसे अब वी0बी0 जीराम0जी0 के नाम से जाना जाता है। उसके अंतर्गत भी प्रावधान है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अपने मकान के निर्माण में मनरेगा की दिहाड़ी लगा सकता है। सभी आवास के निर्माण के लिए सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 से वर्ष 2025 तक 20 हजार रुपये का अतिरिक्त वित्तीय टॉप-अप प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसमें तीन किश्तों में पैसे दिए जाते हैं। प्रथम किश्त में 65 हजार रुपये, द्वितीय किश्त चिनाई आदि कार्य के लिए और लैंटर लेवल पर 52 हजार रुपये और तीसरी किस्त में 13 हजार रुपये दिये जाते हैं। इसके अलावा 20 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा टॉप-अप के रूप में मकान का कार्य पूर्ण करने के लिए दिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम भोगोलिक स्थिति की बात करें जोकि सभी माननीय सदस्यों ने कही है, उसके अंतर्गत 1 लाख 30 हजार रुपये या डेढ़ लाख रुपये की राशि, जो करीब 1 लाख 62 हजार रुपये तक होती है और यह भी पर्याप्त नहीं है और वह राशि भी किश्तों में मिलती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और जब वर्ष-2023 और वर्ष-2025 में भी आपदा आई तो हर व्यक्ति जिसका घर टोटली डैमेज हुआ था, उसको सात-सात लाख रुपये दिए गए और साथ में बिलॉगइंगज़ के लिए भी पैसा दिया गया। हम लोगों ने इस पर बहुत स्टडी की है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

27.08.2026/1640/AT/HK/01

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी...

अभी आप सभी लोगों ने साथ में बिलॉन्गिंग्स के भी पैसे दिए गए थे। हम लोगों ने इस विषय पर बहुत अध्ययन किया है। अभी आप लोगों ने, विक्रम जी और विनोद जी ने भी कहा कि इसका एस्टिमेट कराया गया है या नहीं। लखनपाल जी, इंद्र जी और सभी की मंशा बहुत अच्छी है। इसलिए हम लोगों ने इसका सर्वे कराया, विस्तृत सर्वे कराया।

मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अनुसूचित दर 2020 के स्टैंडर्ड डिजाइन के अनुसार 25 वर्ग मीटर में पक्का आवास निर्माण हेतु अनुमानित लागत का एस्टिमेट कराया गया था। इसकी अनुमानित लागत 3 लाख 63 हजार रुपये प्रति इकाई आई थी। इस संबंध में हमने 15 फरवरी, 2024 को भारत सरकार को प्रस्ताव भेजकर अनुरोध किया था। यह कार्य हम पहले ही कर चुके हैं और विभाग भी इस पर कार्रवाई कर चुका है।

भारत सरकार की ओर से मेरे पास इसकी चिट्ठी भी है। 12 अगस्त को इस संबंध में उनकी बैठक हुई थी। भारत सरकार में कोई भी प्रस्ताव केवल एक राज्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और वर्तमान में वही 1 लाख 30 हजार रुपये की राशि निर्धारित है।

मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष भी यह विषय उठाया है। हमने 3 लाख 63 हजार रुपये की लागत का प्रस्ताव भेजा है। सदन की भावना और सभी सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए हम पुनः इसका डिजाइन तैयार करवाकर, एस्टिमेट बनाकर केंद्र सरकार को भेजेंगे। मैं तो यह भी चाहूंगा कि हम हमेशा यही कहते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी यही कहते हैं कि हिमाचल के हित के लिए हम भारत सरकार के पास जाने के लिए सदैव तैयार हैं। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारे साथ चलें, कम से कम इस मुद्दे पर तो साथ चलें। यदि केंद्र सरकार 3 लाख 63 हजार रुपये की राशि को मान लेती है, तो इसमें राज्य सरकार अपनी ओर से कुछ टॉप-अप राशि बढ़ा सकती है। इसमें कोई समस्या नहीं है। अभी 1 लाख 30 हजार रुपये में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा

27.08.2026/1640/AT/HK/02

10 प्रतिशत दिया जा रहा है। यदि राशि 3 लाख 63 हजार रुपये हो जाती है, तो उसमें 10 प्रतिशत के साथ राज्य सरकार अपनी ओर से कुछ और देकार 50 हजार रुपये, भी दे सकती है। अभी 1 लाख 30 हजार रुपये के ऊपर हम 20 हजार रुपये दे रहे हैं। इसलिए इस दिशा में हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, सदन की भावना भी यही है और हमारी भावना भी यही है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस संकल्प को हम लोग स्वीकार करें। धन्यवाद। जब हम इसका प्रस्ताव/रिजोल्यूशन भेजेंगे, तो मैं माननीय सदस्यों को भी सूचित कर दूंगा और नेता प्रतिपक्ष को भी सूचित कर देंगे, ताकि हम लोग साथ में दिल्ली चलें और केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व करें, जिससे हमारे प्रदेश का भला हो सके। धन्यवाद।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि यहां सदन राज्य सरकार/केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश की भौगोलिक भौगोलिक दृष्टि के मद्देनजर पात्र लाभार्थियों को मकान बनाने हेतु वर्तमान में दी जा रही राहत राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर जो प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है, मुबलिक 3.63 लाख की राशि देने पर विचार किया जाए।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी...

27.08.2026/1645/av/hk/1

प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकार हुआ।

अब माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री), आप क्या कहना चाहते ?

संसदीय कार्य मंत्री (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज गैर-सरकारी सदस्य दिवस है और 05.00 बजने के लिए केवल 15 मिनट्स शेष रह गए हैं। इसलिए माननीय सदस्य आज अपने संकल्प को इन्ट्रोड्यूस कर लेंगे और इस पर आगामी चर्चा अगले सत्र में गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर हो जाएगी।

अध्यक्ष : ठीक है।

माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर, आप अपना संकल्प रख सकते हैं।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित एवं सुरक्षित करने की नीति बनाने पर विचार करे।'

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि 'यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित एवं सुरक्षित करने की नीति बनाने पर विचार करे।

इस संकल्प के लिए 40 मिनट्स का समय आबंटित होता है लेकिन अभी 05.00 बजने को केवल 10-12 मिनट्स ही शेष रहते हैं। अतः इस पर चर्चा आगामी शीतकालीन सत्र के गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के दौरान होगी।

27.08.2026/1645/av/hk/2

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 31 अगस्त, 2026 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

यशपाल शर्मा
सचिव

शिमला : 171004
दिनांक : 27.08.2026